वार्षिक रिपोर्ट
2010-11

विनियामकों का फोरम

एफओआर

विनियामकों का फोरम

वार्षिक रिपोर्ट
2010–11

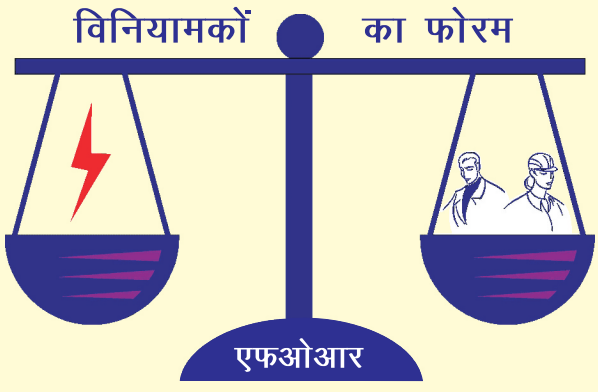

विनियामकों का फोरम

प्रकाशित

विनियामकों का फोरम (एफ ओ आर)

सचिवालय – केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के वि वि आ)

तीसरा एवं चौथा तल, चन्द्रलोक विल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001

दुरभाष : +91 11 23753920 Fax : +91 11 23752958

मुद्रक :

आबीर प्रिंट पोइंट

M. : 9810216074, 011-28520788

अध्यक्ष का कथन

वर्ष 2010-11 के दौरान विद्युत क्षेत्र पर विनियमों का सुमेलन प्राप्त करने के लिए विनियामको का फोरम (एफओआर) ने अपने प्रयास जारी रखे । सेक्टर से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई; मतैक्य प्राप्त किया और उन्हें अग्रसर बनाने में सहमति हुई ।

विद्युत क्षेत्र में सुधारों का केन्द्र बिन्दु उपभोक्ता रहे हैं । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फोरम ने वर्ष के दौरान उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, ओम्बड्समेन तथा उपभोक्ता अधिवक्तता पर आदर्श विनियम विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की हैं । इससे उपभोक्ता के संरक्षण के लिए अधिनियम में कल्पित इन संस्थानात्मक क्रिया विधियों के कार्यपालन से संबंधित मुद्दों का समाधान हुआ है । राज्य आयोगों के लिए अपने-अपने विनियमों में अंगीकार करने हेतु एक आदर्श उपभोक्ता चार्टर भी विकसित हुआ है ।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल वितरण उपयोगिताओं की वित्तीय व्यवहार्यता का गहन अध्ययन करने के संबंध में की गई। वितरण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के सुधारों का प्रमुख बिन्दु रहा है और मूल्य श्रंखला अर्थात् उत्पादन, पारेषण और व्यापार के अन्य संघटकों में सुधार का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इस खंड की स्थिति को पुनःस्थापित करना महत्वपूर्ण है । दस राज्यों के लिए कराए गए विस्तृत अध्ययन से यह पता चलता है कि उपयोगिताओं के राजस्व अन्तर में, टैरिफ पुनरीक्षित न किए जाने, ट्रू अप यंत्र प्रणाली की अनुपस्थिति, राज्य सरकारों द्वारा सहायिकी के भुगतान में कमी या विलंब और टैरिफ में उचित लागत अनुज्ञात न करने के कारण वृद्धि हो रही है । वितरण सेक्टर के सामने वाली समस्याओं के निदान के आधार पर फोरम ने विद्युत वितरण के इस महत्वपूर्ण तत्व की स्थिति पुनःस्थापित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता पर एक मतैक्य विकसित किया है ।

विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के प्रोन्नयन के लिए निर्बाध पहुंच एक महत्वपूर्ण हथियार है । यद्यपि अन्तर-राज्य स्तर पर निर्बाध पहुंच क्रियान्वित की जा चुकी है, राज्य स्तर पर निर्बाध पहुंच को क्रियान्वित करने के संबंध में कुछ मुद्दे हैं । राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) की स्वतंत्रता संबंधी निर्बाध पहुंच के माध्यम से बिक्री के लिए अधिशेष, विद्युत की उपलब्धता जैसी मूलभूत समस्याओं के अलावा कुछ अन्य प्रचालानात्मक स्तर के भी मुद्दे हैं, जिनका समाधान किया जाना भी आवश्यक है । फोरम ने ऐसे सभी पहलुओं पर विचार किया है और निर्बाध पहुंच एंव मीटरिंग, बिलिंग, असंतुलित विवरण अर्हता के निश्चित प्रचालानत्मक ढांचे की और विभिन्न स्थितियों तथा परिस्थितियों के अधीन निर्बाध पहुंच के क्रियान्वयन पर आदर्श विनियम विकसित किए हैं ।

हरित ऊर्जा, विनियामक फोरम के लिए सदैव चर्चा का प्रमुख बिंदु रही है । वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, देश में नवीकरणीय ऊर्जा सामर्थ्य के निर्धारण पर विस्तृत अध्ययन का पूरा किया जाना और विद्युत क्रय लागत की उपलब्धता और इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए एक आर पी ओ समछेदी का सुझाव देना रही है । अध्ययन से यह निश्चय निकला है कि जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना (एन ए पी सी सी) के लक्ष्य के साथ-साथ आर पी ओ समछेदी प्राप्त करने के लिए विद्युत क्रय पर वृद्धात्मक प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा । इस अध्ययन ने प्रथम बार देश में हरित ऊर्जा के प्रोन्नयन के लिए आर पी ओ समछेदी पर पहुंचने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका प्रस्तुत किया है ।

हरित ऊर्जा पर पहल के परिणामस्वरूप फोर ने मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा क्षमता (डी एस एम एण्ड ई ई) को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों पर भी विचार-विमर्श किया और एक मतैक्य विकसित किया । फोरम ने, नियमित बहु-राज्य डी एस एम कार्यक्रम के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी ई ई) से प्राप्त प्रस्ताव को पृष्ठांकित किया ।

फोरम द्वारा की गई पहलों के पृष्ठपट में, अब यह दायित्व प्रारभिंक रूप से राज्य विनियामकों का है कि वे अपने आदेशों और विनियमों द्वारा इन सिफारिशों को आगे बढ़ाएं और इन्हें वास्तविक रूप दें । मार्गदर्शक सिद्धांत और आदर्श विनियम विकसित करने के लिए फोरम सभी सुसंगत पणधारियों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श करने में लगा हुआ है । हमें आशा है कि भविष्य में भी फोर के दायित्वों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चत करने के लिए पणधारियों से भरपूर समर्थन प्राप्त होता रहेगा ।

(डा. प्रमोद देव)

विषय तालिका

1.	**विनियामकों का फोरम**	**1**
	फोरम का गठन	1
	फोरम के कृत्य	1
	फोरम के वित्त	2
	उद्देश्य विवरण	2
2.	**गतवर्ष - सिंहावलोकन**	**3**
3.	**वर्ष के दौरान कार्यकलाप**	**5**
	3.1 विनियामकों के फोरम की बैठकें	5
	3.2 क्षमता संवर्धन कार्यक्रम	10
	3.3 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान पूरे किए गए अध्ययन	11
	3.4 मानक विनियम	13
4.	**वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यकलाप**	**16**
	4.1 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की उपलब्धियां	16
	4.2 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की उपलब्धियां	18
5.	**आंतरिक जानकारी**	**24**
	5.1 वर्ष के दौरान कमीशन किए गए अध्ययन	24
	5.2 वित्त वर्ष 2011-12 के लिए कार्यसूची	24
6.	**विनियामकों के फोरम (एफओआर) के वार्षिक विवरणों के लेखा उपाबंध**	**25**
	I विनियामकों के फोर के सदस्य	26
	II विद्युत विनियामक आयोगों के पते व सम्पर्क ब्यौरे	29

1. विनियामकों का फोरम

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति ने" सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्डों का गठन" करने की सिफारिश की थी । समिति ने यह भी दोहराया था कि " टैरिफ बोर्डों" से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफ तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी ।

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया । सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य-योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) में सुधार और उनकी पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया । इस प्रकार, केन्द्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया ।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था । अधिनियम में विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, सहायिकियों के बारे में पारदर्शी नीतियों आदि के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों का प्रावधान किया गया है । ईए, 2003 लाए जाने से अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत बाजार के विकास तथा सरकार को सलाह संबंधी कार्य सौंपकर विनियामक आयोगों के कार्यों का विस्तार किया गया है । सीईआरसी और अधिकांश राज्य विद्युत आयोगों (एसईआरसीएस) को ईआरसी अधिनियम, 1998 के अधीन गठित किया गया था । तथापि, एमएसईआरसी, जेईआरसी-एम एण्ड एम तथा जेईआरसी संघ राज्येक्षेत्रों जैसे कुछेक एसईआरसी को ईए, 2003 के बाद गठित किया गया था ।

इस फोरम का गठन, विद्युत क्षेत्र में विनियमन में सामंजस्य बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ईए, २००३ की उपधारा 21 की धारा 166 के उपबंध के अनुसरण में, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) की दिनांक 16.02.2005 की अधिसूचना के जरिए गठित किया गया था । इस फोरम में सीईआरसी का अध्यक्ष व एसईआरसीएस के अध्यक्ष हैं । सीईआरसी का अध्यक्ष फोरम का अध्यक्ष है । केन्द्रीय सरकार ने विनियामकों के फोरम के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं ।

फोरम का गठन

- फोरम में केन्द्रीय आयोग का अध्यक्ष व एसईआरसीएस के अध्यक्ष हैं । केन्द्रीय आयोग का अध्यक्ष, विनियामकों के फोरम के अध्यक्ष होंगे ।
- केन्द्रीय आयोग के सचिव, फोरम के पदेन सचिव होंगे ।
- फोरम को सचिवालयीता सहायता, केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी ।
- फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

फोरम के कृत्य

फोरम निम्नलिखित कार्य करेगा अर्थातः

- टैरिफ ओदेशों तथा केन्द्रीय आयोग व राज्य आयोगों के अन्य आदेशों का विश्लेषण और उक्त आदेशों से

उत्पन्न डाटा, विशेषतः प्रतिष्ठानों की दक्षता सुधारों का मुख्य रूप से उल्लेख करते हुए डाटा का संकलन;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन का सामंजस्य;
- अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों कार्य-पालन के मानक (एसओपी) निर्धारित करना;
- संयुक्त हित तथा साथ ही संयुक्त प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों के संबंध में फोरम के सदस्यों में सूचना की भागीदारी;
- विद्युत क्षेत्र विनियमन के लिए संगत मुद्दों पर आंतरिक रूप से या बाह्य स्त्रोत से अनुसंधान कार्य करना;
- उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा विद्युत क्षेत्र में दक्षता, अर्थव्यवस्था व प्रतिस्पर्धा के संवर्धन संबंधी उपाय विकसित करना, और
- अन्य ऐसे कार्य, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, फोरम को समनुदेशित करें ।

फोरम के वित्तः

- केन्द्रीय आयोग, फोरम के कार्यकलापों के संचालन के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय योगदान ले सकता है ।
- केन्द्रीय आयोग, फोरम के कार्यकलापों का अलग लेखा-जोखा रखेगा ।

उद्देश्य विवरण

विनियामकों के फोरम की परिकल्पना, स्वतंत्र विनियमन के विकास के पोषण तथा उन सभी के सशक्तीकरण के उद्देश्य से की गई थी जिनकी भारत में विद्युत क्षेत्र में हिस्सेदारी है ।इस उद्देश्य के अनुसरण में, फोरम के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- विद्युत क्षेत्र में विनियमन का सामजंस्य;
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन;
- भारत के विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसीएस को मंच प्रदान करना;
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों का कार्यान्वयन करके विद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पहलों का सुगम बनाना ।

2. गत वर्ष - सिंहावलोकन

वर्ष 2010-11 में फोरम द्वारा निम्नलिखित अध्ययन सफलतापूर्वक पूरे किए गए :

- **वितरण फ्रेन्चाइजी मॉडल का मानकीकरण**

फोरम ने उपयोगिता और वितरण फ्रेन्चाइजी द्वारा अपनाई जाने वाली किसी डी एफ संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया से नीतियों के समापन के वितरण फ्रेन्चाइजी करार के मानकीकरण की आवश्यकता की पहचान की । अध्ययन, मानक बोली दस्तावेजों के साथ-साथ निवेश आधारित नगरीय फ्रेन्चाइजी के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत बनाने के साथ समाप्त हुआ ।

- **अनेक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों, विभिन्न राज्यों में सामर्थ्य का निर्धारण आर पी ओ समछेदी का अवधारण और टैरिफ पर इसका प्रभाव**

अध्ययन ने नवीकरणीय ऊर्जा (आर इ) स्त्रोतों की उपलब्धता पर आधारित आर पी ओ समछेदी, एन ए पी सी सी द्वारा सुझाए गए लक्ष्यों, आर ई सी यंत्र के प्रचालनीकरण और टैरिफ पर इनके प्रभाव के लिए दृश्य लेख उपलब्ध कराया । इससे यह निष्कर्ष निकला कि आर ई प्रदाय रूढिवादी दृश्य लेख में भी 2015 का लक्ष्य पूरा करने में सीमित नहीं होगा और पान इंडिया लक्ष्य टैरिफ पर बिना किसी अधिक प्रभाव के प्राप्त किए जा सकते हैं ।

- **वितरण उपयोगिताओं की वित्तीय व्यवहार्यता**

फोरम ने वितरण उपयोगिताओं की कमजोर वित्तीय स्थिति के लिए कारण की पहचान करने के उद्देश्य से अध्ययन कमीशन किया था । अध्ययन दो चरणों में किया गया और दस उपयोगिताओं का कार्य पालन पांच से अधिक वर्ष की अवधि के लिए मूल्यांकित किया गया । कार्य-क्षेत्र में विद्युत क्रय लागत में वृद्धि का प्रभाव विनियामक आस्तियों का उपचार आर ओ ई का मोक, सहायिकी वितरण प्रदाय से औसत लागत के विरूद्ध टैरिफ सम्मिलित थे । अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकतर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए प्रदाय की औसत लागत और औसत राजस्व वसूली में महत्वपूर्ण अन्तर है । उपयोगिताओं का राजस्व अन्तर टैरिफ पुनरीक्षित न किए जाने, ट्रू अप यंत्र के अभाव, विनियामक आस्तियों के सृजन, राज्य सरकार द्वारा सहायिकी वितरण कमी और विलंब और उचित लागत अनुज्ञात न करने के कारण बढ़ रहा है ।

- **प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन कार्यक्रम**

फोरम का एक प्रमुख दायित्व ई आर सी के कार्मिकों के क्षमता संवर्धन का है । वर्ष के दौरान फोरम ने ई आर सी के लिए पांच प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का संचालन किया । इसमें तीन दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शन के साथ आई आई एम, अहमदाबाद में अध्यक्षों और सदस्यों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम सम्मिलित है । ई आर सी के अधिकारियों के लिए विद्युत क्षेत्र में विनियामक मुद्दों के अनेक पहलुओं पर तीसरे क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन आई आई टी कानपुर में किया गया। '' डी एस एम और ऊर्जा दक्षता '' पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एन पी टी आई) फरीदाबाद में किया गया । ''उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण'' पर एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सी जी आर एफ के अधिकारियों, ओम्बड्समेन और उपभोक्ता संगठनों के लिए एन पी टी आई में संचालित किया गया । ई आर सी के लिए, विद्युत क्षेत्र विनियमन के विधिक पहलुओं पर प्रशिक्षण का आयोजन एन एल एस यू आई बंगलौर में किया गया ।

बैठकें और मुख्य परिणाम

वर्ष 2010-11 में विनियामकों के फोरम की छह बैठकें आयोजित हुई । बैठकों के दौरान चर्चा में आए प्रमुख मुद्दे और उनके परिणाम निम्नानुसार हैं :-

- फोरम ने उपभोक्ता हित का संरक्षण (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, ओम्बड्समेन और उपभोक्ता अधिवक्तता) तथा उपभोक्ताओं को अंतः राज्य निर्बाध पहुंच पर आदर्श विनियमों का अनुमोदन किया ।

- अनुपालन संपरीक्षा संबंधी प्रारूप आदर्श विनियमों पर चर्चा की गई और परामर्शदाता को भुगतान, संपरीक्षा प्रारम्भ करने के लिए प्रक्रिया और संपरीक्षा के दौरान सभी सुसंगत दस्तावेजों के निरीक्षण के मुद्दों पर उपांतरण के साथ उनका अनुमोदन किया गया ।

- प्रारूप आदर्श मांग पक्ष प्रबंधन विनियमों पर चर्चा की गई और कुछ उपांतरणों के साथ उनका अनुमोदन किया गया ।

- वितरण फ्रेन्चाइजों के लिए मानक मॉडल पर चर्चा की गई और फोरम द्वारा अनुमोदन किया गया ।

- फोरम ने वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता पर अध्ययन के संबंध् में चर्चा की । फोरम ने अमीटरित कृषि प्रदाय, विक्रय पर आधार रेखा आंकड़ों की अनुपलब्धता, हानि स्तर के कारण विनियामकों को पेश आने वाली बाध्यताओं को मान्यता दी । इस बात पर एक मत था कि फोरम और विद्युत विनियामकों के अग्रणी होना चाहिए और एसी बाध्यताओं से निपटने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कमीशन करना चाहिए ।

- फोरम द्वारा नवीकरणीय सामर्थ्य के निर्धारण आर पी ओ समछेदी के अवधारण और टैरिफ पर प्रभाव के संबंध में चर्चा की गई और अनुमोदन किया गया ।

- वितरण उपयोगिताओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर सी ए जी की रिपोर्ट पर चर्चा करते समय फोरम में इस बात पर एक मत था कि ई आर सी को लघु अवधि आधार पर विद्युत के उपापन के लिए अनुज्ञाप्तधारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करते हुए विनियम बनाने चाहिए ।

- फोरम ने वितरण क्षेत्र में बहु/समानान्तर अनुज्ञप्तिधारियों और विशेष आर्थिक जोनों के टैरिफ के अवधारण के संबंध में मुद्दों पर चर्चा की तथा उसका समाधान निकालने के लिए अगली कार्रवाई को अंतिम रूप दिया ।

- फोरम में इस बात पर एक मत था कि एस ई आर सी को सरकारी सहायिकी पर विचार किए बिना टैरिफ आदेश जारी करने चाहिए जिससे कि यदि राज्य सरकार सहायिकी का भुगतान करने में विफल रहे तो उपभोक्ताओं से ऐसा टैरिफ प्रभारित किया जा सके ।

- फोरम ने टैरिफ अवधारण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में एस ई आर सी द्वारा अपनाई जाने वाली अनेक प्रथाओं पर और अधिक अध्ययन करने और सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश करने के लिए कार्य समूह स्थापित करने पर अपनी सहमति व्यक्त की ।

- फोरम ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियमित बहु राज्य डी एस एम कार्यक्रम (आर एम एस डी पी) के क्रियान्वयन पर प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

3. वर्ष के दौरान फोरम के कार्यकलाप

3.1 विनियामकों के फोरम की बैठकें

क. सतरहवीं बैठक (20-21 अप्रैल को शिलांग में) :

- अनुपालन संपरीक्षा संबंधी आदर्श विनियमों पर चर्चा की गई और परामर्शदाता को भुगतान, संपरीक्षा प्रारम्भ करने के लिए प्रक्रिया और संपरीक्षा के दौरान सभी सुसंगत दस्तावेजों के निरीक्षण के मुद्दो पर उपांतरण के साथ उनका अनुमोदन किया गया ।

- आदर्श मांग पक्ष प्रबंधन विनियमों पर चर्चा की गई और बी ई ई से अनिवार्य परामर्श हेतु उपबधों में परिवर्धन, डी एस एम योजना में बी ई ई द्वारा विकसित कार्यक्रमों को सम्मलित करके तथा व्ययों पर रिपोर्ट की अवर्तिता के संबंध उपांतरणों के साथ उनका अनुमोदन किया गया ।

- " विभिन्न राज्यों में अनेक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत सामर्थ्य के निर्धारण, नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आर पी ओ) समछेदी और टैरिफ पर इसके प्रभाव" के संबंध में अध्ययन पर चर्चा की गई और अनेक राज्यों में सी यू एफ, आर पी ओ आंकड़ों में तथा सेवा की औसत लागत पर बढ़ते प्रभाव को उपांतरणों के साथ स्वीकार किया गया ।

- फोरम ने अधिनियम की धारा के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की । फोरम में इस बात पर एक मत था कि एस ई आर सी को सहकारी सहायिकी पर विचार किए बिना टैरिफ आदेश जारी करने चाहिए जिससे कि यिद राज्य सरकार सहायकि का भुगतान करने में विफल रहे तो उपभोक्ताओं से ऐसा टैरिफ प्रभरित किया जा सके ।

- राष्ट्रीय सौर मिशन के क्रियान्वयन की प्रास्थिति पर चर्चा की गई । एफओआर को नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित क्षमता परिवर्धन का संवर्धन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने के संबंध में १३वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों से भी अवगत कराया गया ।

- मोटे तौर पर फोरम में इस पर मतैक्य था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित अपकेन्द्रीयकृत उत्पादन सुविधाओं से विद्युत वास्तव में पारेषण और वितरण नेटवर्क के भार को कम करेगी, राज्य स्तर पर पारेषण और वितरण नेटवर्क पर व्हीलिंग नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पारेषण प्रभारों और हानियों से या तो छूट दी जानी चाहिए या उन्हें निम्नतर स्तर पर रखा जाना चाहिए ।

- बैठक में उपस्थित अधिकतर एस ई आर सी ने यह महसूस किया कि राज्य नोडल अभिकरणों को आर ई सी यंत्र के प्रयोजन के लिए राज्य अभिकरण के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए ।

- भारत के लिए अनुकूल विद्युत उत्पादन मिश्रण पर एक प्रस्तुतिकरण किया गया जिसकी मुख्य विशेषताएं

ये थी कि व्यस्ततम संयंत्र से न केवल अंशभार पर भी उच्चतर दक्षता का परिणाम देंगे बल्कि इस से भूमि, जल, सी ओ २ उत्सर्जन और नई पारेषण लाइनों की लागत में भी बचत प्राप्त होगी । फोरम का सुझाव था कि सुझाए गए मॉडलों पर पहले नगरीय क्षेत्रों के लिए विचार किया जाए जैसे अहमदाबाद और ग्रेटर नोएडा जहां पृथक वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्यरत हैं ।

ख. अठारहवीं बैठक (18 जून, 2010 को नई दिल्ली में)

- "समझे गए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में इसकी क्षमता में विशेष आर्थिक जोन के लिए टैरिफ की अवधारण कार्यसूची" पर फोरम में चर्चा की गई । इस बात पर एकमत था कि विशेष आर्थिक जोन के मामले में एस ई आर सी व्यटिक रूप से कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं । तथापि, टैरिफ की मात्र अधिकतम सीमा नियत करने की प्रस्तावित कार्रवाई द्वितीय अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित अन्य बाध्यताओं को पूरा करने से मुक्त नहीं करेगी ।

- सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विनियमित बहु राज्य डी एस एम कार्यक्रम (आर एम एस डी पी) प्रमुख उद्देश्यों, आर एम एस डी पी की यंत्र क्रिया और अग्रिम कार्रवाई पर विशेष बल देते हुए एक प्रस्तुतिकरण किया गया । विनियामकों का फोरम सहमत था और उसने सैद्धांतिक रूप से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

- फोरम ने चर्चा के पश्चात ए टी और सी हानियों की संगणना की विधि में प्रस्तावित उपांतरणों का भी अनुमोदन किया।

- फोरम ने टैरिफ अवधारण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में एस ई आर सी द्वारा अपनाई जा रही अनेक प्रथाओं पर और अधिक अध्ययन करने के लिए कार्य समूह स्थापित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश करने पर भी सहमति व्यक्त की।

- विभिन्न राज्यों में अनेक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत सामर्थ्य के निर्धारण, नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आर पी ओ) समछेदी के अवधारण और टैरिफ पर इसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट में प्रमुख पुनरीक्षणों पर विनियामकों के फोरम सचिवालय द्वारा एक प्रस्तुतिकरण किया गया था । चर्चा के पश्चात फोरम ने निम्निलिखित विनिश्चय किए :

- एक समान दर पर आर पी ओ में वृद्धि करने के मामले की सिफारिश की गई ।

- आर ई सी यंत्र की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आतिथेय राज्य में आर पी ओ के साथ उपलब्ध सामर्थ्य को जोड़े बिना इसका उपयोग करने के लए नए क्षमता परिवर्धनों को समर्थन देने और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी ।

- इस बात पर आम सहमति थी कि आर ई आधारित अधिकतर उत्पादनों को विकेन्द्रीयकृत किया जाएगा और आशायित क्षमता परिवर्धन के निष्क्रमण के लिए पारेषण सुविधाओं का निर्माण बाधक नहीं होगा ।

ग. उन्नीसवीं बैठक (30 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में) :

❍ " भारत में दिन के समय (टी ओ डी) के क्रियान्वयन और प्रभाव विश्लेषण" पर अध्ययन के निष्कर्ष फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए । कुछ उपांतरणों के साथ अध्ययन रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया गया ।

❍ विनियामकों के फोरम के सदस्यों के मध्य बहु/समानन्तर अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में मुद्दों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित विनिश्चय लिए गए :

❍ फोरम ने यह विनिश्चय वापस लिया कि विशेष आर्थिक जोनों में व्यष्टिक एस ई आर सी खुदरा टैरिफ को अधिकतम सीमा के रूप में विचार में ले सकते हैं जैसे कि यदि कुछ मामलों में अधिकतम सीमा प्रवेश प्रतिबंध के रूप में कार्य करें तो एस ई आर सी सामान्य टैरिफ अवधारण को अपना सकते हैं ।

❍ विनियामकों के फोरम ने इस बात पर सहमति व्यक्त कि एस ई आर सी विशेष आर्थिक जोन अनुज्ञप्तिधारियों के लिए सरलीकृत रिपोर्टिंग और समीक्षा अपेक्षाओं को अधिकथित करने पर भी विचार कर सकते हैं ।

❍ इस पर सहमति थी कि लागत धन टैरिफ विनियम से की कीमत या राजस्व बंद विनियम अपनाने के लिए संक्रमण मार्ग का, इस संक्रमण चरण के दौरान टैरिफ अवधारण की प्रक्रिया का व्हीलिंग प्रभार के अवधारण की प्रक्रिया का और संक्रमण चरण के बाद खुदरा विक्रय के लिए अधिकतम सीमा का टैरिफ का सुझाव देने के लिए विस्तृत कमीशन किया जाए ।

❍ दूसरे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए क्षेत्र के संबंध में नियम के पुनर्विलोकन के लिए विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया जाए कि लघुतर क्षेत्र के लिए जहां पदधारी अनुज्ञप्तिधारी का कोई वितरण नेटवर्क नहीं है, अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु एस ई आर सी को राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात विवेकाधिकार दिया जाए ।

❍ सचिव, एम एन आर ई के साथ राष्ट्रीय सौर मिशन (एन एस एम) के अधीन संयोजिता और निष्क्रमण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई । आर ई सी के प्रोन्नयन के लिए विनियामकों के फोरम द्वारा किए गए प्रयासों और नवीकरणीय के ग्रिड एकीकरण के लिए सी ई आर सी द्वारा की गई कार्रवाई की एम एन आर ई द्वारा प्रशंसा की गई ।

❍ विनियामकों के फोरम सचिवालय ने राष्ट्रीय सौर मिशन (एन एस एम) के अधीन संयोजिता और निष्क्रमण से संबंधित मुद्दों पर एक कार्यसूची प्रस्तुत की । सी ई ए ने पारेषण हानियों को नकद आधार पर प्रभारित करने के प्रस्ताव के औचित्य को स्पट किया । इस बात पर मतैक्य था कि कार्यसूची टिप्पण में सुझाए गए मार्ग को केवल एन एस एम के प्रथम चरण में स्थापित किए जाने वाले सौर विद्युत संयंत्रों के लिए अपनाया जाए और तद्नुसार, राज्य पारेाण उपयोगिताओं की क्षतिपूर्ति उनकी प्रणालियों पर पड़ने वाले अधिक भार की सीमा तक की जाएगी ।

घ. बीसवीं बैठक (25-26 सितंबर, 2010 को केरल में) :

❍ विनियामकों के फोरम सचिवालय द्वारा फोरम के समक्ष, वितरण उपयोगिताओं की व्यवहार्यता पर सी ए जी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । फोरम के सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि वार्षिक राजस्व अपेक्षा का अनुमोदन करने वाले एस ई आर सी के आदेशें और ट्रू अप आदेशें में भी अनेक अस्वीकृतियों के लिए आधारों को ध्यान में रखते हुए अधिक विस्तृत विश्लेाण अपेक्षित था । इस बात पर एक मत था कि ई आर सी को लघु अवधि आधार पर विद्युत उपापन के लिए अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करते हुए विनियम बनाने चाहिए ।

❍ उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध पहुंच पर आदर्श विनियम, कतिपय उपांतरणों के साथ अनुमोदित किए गए । अनेक सदस्यों ने यह महसूस किया कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी केवल ऐसे मामलों में व्हीलिंग प्रभार वसूल करने का अधिकारी होगा जहां निर्बाध पहुंच विद्युत वास्तव में इसके नेटवर्क के ऊपर व्हील हुई हो और व्हीलिंग प्रभारों का ऐसा भुगतान, प्रदाय की शर्तो से शासित होगा यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी और निर्बाध पहुंच की ईप्सा करने वाली एंटिटी के बीच करार विद्यमान है ।

❍ वितरण फ्रेन्चाइजी के लिए मानक मॉडल फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया और भुगतान सुरक्षा, केपेक्स के अनुमोदन और वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भूमि और अन्य आस्तियों की वापसी के उपबंधों के मुद्दों पर उपांतरण के साथ इसका अनुमोदन किया गया ।

❍ फोरम ने " पूर्व संदत्त मीटरिंग - विधिक और विनियामक मुद्दे " "आफ ग्रिड नवीकरणीय विद्युत उत्पादन" " और निर्बाध पहुंच, विद्युत केन्द्र तथा पारेषण कीमतीकरण " पर अध्ययन के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन किया ।

❍ असम सरकार ने विद्यमान तीन वितरण कंपनियों में से दो कंपनियों को तीसरी कंपनी में विलय कर दिया । इस पर विचार विमर्श किया गया कि दो उपयोगिताओं को विलय करने के लिए एस ई आर सी का अनुमोदन अपेक्षित था और कोई भी विलेयन, जब तक उसे एस ई आर सी के पूर्व अनुमोदन से न किया जाए, शून्य होगा । यह सुझाव दिया गया कि संबंधित एस ई आर सी, ऐसे मामले में स्वतः कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है ।

ड़. इक्कीसवीं बैठक (27-28 नवम्बर, 2010 को चैन्नई में) :

❍ फोरम ने उपभोक्ता हित का संरक्षण (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम , ओम्बड्समेन और उपभोक्ता अधिवक्तता) पर आदर्श विनियम पर विचार किया और कुछ उपांतरणों के साथ सैद्धांतिक रूप से इसका अनुमोदन कर दिया ।

❍ यह विनिश्चित किया गया कि अधिनियम की धारा 60 के अधीन आदर्श विनियम विकसित करने के लिए एक अध्ययन कमीशन करने हेतु विचारणीय विषय विकसित किए जाएं ।

❍ " आटोमेटेड डिमांड रेस्पांस - विद्युत क्षेत्र के लिए एक आलोचनात्मक प्रणाली स्त्रोत'' पर मैसर्स हनीवेल द्वारा एक प्रस्तुतिकरण किया गया जिसकी मुख्य विशेषताओं में राज्य में व्यस्ततम विद्युत अपेक्षा को कम करने के संभाव्य प्रौद्योगिकी समाधान पर प्रकाश डाला गया था । इस बात पर बल दिया गया कि राजय स्तर पर आटोमेटेड डिमांड रेस्पांस और डी एस एम विनियमों के संवर्धन के लिए विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है ।

❍ प्रयास एनर्जी ग्रुप द्वारा " सब के लिए विद्युत : शब्दाडम्बर को वास्तविकता में बदलने की ओर दस विचार'' पर एक प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें समाज के अधिक निर्धनों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अनेक पणधारियों द्वारा अपेक्षित उपाय/हस्तक्षेप पर निष्कर्षो को दर्शाया गया था ।

च. बाईसवीं बैठक (14 फरवरी, 2011 मुम्बई में) :

❍ फोरम ने विशेष आर्थिक जोनों के लिए टैरिफ सहित अनुज्ञप्ति शर्त हेतु सामान्य मार्ग दर्शक सिद्धांतों की कार्य सूची पर चर्चा की । एस ई ई पी जेड संगम के प्रतिनिधियों द्वारा एस इ इ पी जेड के समझे गए अनुज्ञप्तिधारियों की प्रास्थिति पर एक प्रस्तुतिकरण भी किया गया । चर्चा के पश्चात फोरम ने यह महसूस किया कि एस ई जेड क्षेत्र से संबंधित अनेक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है । इसमें विभिन्न दृश्यलेख हो सकते हैं, अर्थात एस ई जेड किसी अप्रयुक्त क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र में बन सकता है जहां बहु वितरण अनुज्ञप्तिधारी पहले से विद्यमान हों । ऐसे प्रत्येक मामले में, टैरिफ और संबंधित मुद्दों सहित अनुज्ञप्ति शर्ते, ऐसे क्षेत्र में प्रचलित विशेष स्थितियों और मुम्बई अनुज्ञप्तिधारियों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विकसित की जानी चाहिए, जहां उप नगरीय क्षेत्र में तार प्रभारो के ऊपर अन्य अनुज्ञप्तधारियों के तारों के उपयोग पर प्रति सहायिकी प्रभार के भुगतान को आज्ञापक बनाया गया है । अत : फोरम ने ऐसे सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार करने के लिए और अपनी सिफारिशों पर फोरम द्वारा विचार किए जाने के लिए एक कार्य समूह गठित करने का विनिश्चय किया है ।

❍ फोरम ने आदर्श प्रदाय संहिता के प्रारूप पर चर्चा की और सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया । चर्चा के पश्चात प्रारूप मॉडल को सैद्धांतिक रूप से पृष्ठांकित किया गया ।

❍ बचत लेम्प योजन (बी एल वाई) के कार्यन्वयन के दौरान सामने आए मुद्दों और पश्चातवर्ती वित्तीय जटिलताओं पर प्रकाश डालते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया । एफ ओ आर के सदस्यों ने यह महसूस किया कि स्वयं परियोजना को डिजाइन करते समय परियोजना विकासकर्ताओं को संभव सीमा तक जोखिम उठाना चाहिए ।

❍ एफ ओ आर सचिवालय ने दस राज्यों के लिए डिस्कोम व्यवहार्यता/टैरिफ पर्याप्तता पर फोरम के साथ चर्चा की । अध्ययन से वितरण कंपनियों की हानियों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार अनेक कारकों का पता चला । वितरण कंपनियों के लिए लागत और राजस्व वसूली के बीच अंतर के कुछ कारण टैरिफ पुनरीक्षण के लिए याचिका फाइल न करना और परिणामतः टैरिफ का पुनरीक्षण न होना, लागत की अस्वीकृति, विनियामक आस्तियों का सृजन, कुछ मामलों में ट्रू अप अभ्यास में विलंब और अभाव लागत/ब्याज लागत निकालने की अस्वीकृति हैं । इसने यह निकर्ष निकाला कि वितरण कंपनियों द्वारा उपगत उचित लागत के अनुपात में नियमित अंतरालों पर टैरिफ पुनरीक्षण किया जाना अत्यावश्यक है ।

फोरम ने विनियामकों के सामने आने वाली बाध्यताओं जैसे अमीटरीकृत कृषि प्रदाय, विक्रय पर आधार रेखा आंकड़ों की अनुपलब्धता, हानि स्तर आदि के कारणों की पहचान की । यह महसूस किया गया कि फोरम और विद्युत विनियामकों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और प्रत्येक राज्य में अलग-अलग ऐसी बाध्यताओं के निराकरण के लिए विस्तृत अध्ययन को मंजूरी देनी चाहिए ।

3.2 क्षमता संवर्धन कार्यक्रम

वर्ष के दौरान विनियामकों के फोरम ने पांच क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का संचालन सफलतापूर्वक किया :

❍ भारत और विदेशों में विद्युत क्षेत्र में विनियमन के सिद्धांत और पद्धति पर चर्चा करने के लिए 3 जून, 2010 से 10 जून, 2010 तक आई आई एम, अहमदाबाद में विद्युत विनियामक आयोगों (ईआर सी) के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए एक अनुकूलन कार्यक्रम का संचालन किया गया । कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित था :

- 3 जून, 2010 से 5 जून, 2010 तक आई एम एम, अहमदाबाद में तीन दिसवसीय माड्यूल ।
- 7 जून, 2010 से 9 जून, 2010 तक सान फ्रांसिसको में अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण ।

- 28 जून, 2010 से 1 जुलाई, 2010 तक एन एल एस यू आई बंगलौर में विद्युत विनियामक आयोगों (ई आर सी) के अधिकारियों के लिए " विद्युत क्षेत्र विनियमन के विधिक पहलू : अनुभव और प्रवर्तन मुद्दे " पर एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

- विद्युत क्षेत्र में विनियामक मुद्दों के अनेक पहलुओं पर ई आर सी के अधिकारियों के लिए तीसरा क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आई आई टी (कानपुर) में 23 अगस्त, 2010 से 28 अगस्त, 2010 तक संचालित किया गया ।

- १६ नवम्बर, २०१० से १८ नवम्बर, २०१० तक राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एन पी टी आई) फरीदाबाद में " डी एस एम और ऊर्जा दक्षता " पर एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

- २४ और २५ नवम्बर, २०१० के दौरान एन पी टी आई, फरीदाबाद में " उपभोक्ता हित का संरक्षण " पर सी जी आर एफ के अधिकारियों, ओम्बड्समेन और उपभोक्ता संगठनों के लिए एक दो दिवसीय आवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया ।

3.3 वि.वर्ष 2010-11 के दौरान पूर्ण किए गए अध्ययन

क. वित्तीय फ्रेन्चाइजी मॉडल का मानकीकरण

वितरण फ्रेन्चाइजी व्यवस्था की पूरी प्रक्रिया का मानकीकरण करने के उद्देश्य से फोरम ने वितरण फ्रेन्चाइजी मॉडल के मानकीकरण पर एक अध्ययन को मंजूरी दी । वितरण फ्रेन्चाइजी की प्रक्रिया में अंतर्वलित संकटमय तत्वों की पहचान की गई और उनका विश्लेषण किया गया । पणधारियों के साथ की गई चर्चा पर आधारित प्रारूप मानक मार्गदर्शक सिद्धांत, प्रस्ताव के लिए अनुरोध और वितरण फ्रेन्चाइजी करार तैयार किए गए । फ्रेन्चाइजिंग प्रक्रिया पर प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार है :

- प्रारम्भ में, विचार किए गए लक्ष्य क्षेत्र में कम से कम 2000 मिलियन यूनट (एम यू) प्रति वर्ा की निवेश ऊर्जा या 500 एम डब्ल्यू से अधिक का भार या 13 लाख से अधिक उपभोक्ता होने चाहिए । वितरण हानियां कम से कम 20% होनी चाहिए ।

- तत्पश्चात, उपयोगिता, ऐसे अन्य सघन क्षेत्रो को फ्रेन्चाइज कर सकती है जहां कम से कम निवेश ऊर्जा 400 एम यू और वितरण हानियां 20% से अधिक हों ।

- यदि फ्रेन्चाइज क्षेत्र 20% से कम के वितरण हानि के स्तर के हों, तो वितरण फ्रेन्चाइजिंग का उद्देश्य उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करना होना चाहिए ।

- संविदा अवधि आदर्शतः 15 वर्ष होनी चाहिए ।

- 20% से कम हानि वाले और हानि स्तर को 20% से कम करने के आशयित क्षेत्रों पर 20 वर्ष की संविदा अवधि के लिए विचार किया जा सकता है ।

- 20% से कम वितरण हानियों वाले क्षेत्रों के लिए, जहां ऊर्जा के घाटे को पूरा करने के लिए दीर्घ अवधि

विद्युत उपापन करार किए जाने की आवश्यकता हो सकती हो, संविदा अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए ।

- आर एफ पी दस्तावेज में तकनीकी और अवसंरचनात्मक ब्यौरों के साथ कम से कम पांच वर्ष के वाणज्यिक आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए ।
- उपयोगिता को कम से कम गत एक वर्ष के अपने वाणज्यिक आंकड़ों की तृतीय पक्षीय संपरीक्षा करानी चाहिए जिसमें निवेश ऊर्जा, ऊर्जा विक्रय, बिलकृत और संगृहीत रकम, वितरण हानियां और ए टी एण्ड सी हानिंया सम्मिलित हों ।
- संपरीक्षित आधार रेखा उपलब्ध कराने के साथ आधार वर्ष के लिए औसत बिलिंग दर (सहायिकी का शुद्ध) भी अवरूद्ध होनी चाहिए ।
- फ्रेंचाइज व्यवस्था के महत्वपूर्ण खंडों पर निविदा पश्चात बात-चीत से बचने के लिए, फ्रेंचाइज करार को निविदा दस्तावेज का भागरूप होना चाहिए ।
- बोली परिवर्तनीय एच टी और एल टी उपभोक्ताओं के लिए संयुक्त निवेश दर पर आधारित होनी चाहिए ।
- न्यूनतम बैंचमार्क दरें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे फ्रेंचाइजी के कारबार मॉडल के संबंध में एक धारणा बनाने की आवश्यकता होगी जो हो सकता है, सही न हो और इससे प्रक्रिया में अस्पष्टता पैदा होगी ।
- बोली दस्तावेजों में हानि कमी समछेदी का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

ख. विभिन्न राज्यों में अनेक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत सामर्थ्य का निर्धारण, ओपीओ समछेदी का अवधारण और टैरिफ पर इसका प्रभाव

" फोरम ने" विभिन्न राज्यों में अनेक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत सामर्थ्य का निर्धारण, आर पी ओ समछेदी का अवधारण और टैरिफ पर इसके प्रभाव" पर एक अध्ययन को मंजूरी दी है । अध्ययन ने नवीकरणीय ऊर्जा (आर ई) स्त्रोतों की उपलब्धता (और संभाव्य क्षमता परिवर्धन), एनएपीसीसी द्वारा सुझाए गए लक्ष्य, आरईसी तंत्र के प्रचालनीकरण और टैरिफ पर प्रभाव पर आधारित नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) समछेदी के लिए दृश्यलेखों की व्यवस्था की है । अध्ययन के प्रमुख संदेश निम्नानुसार हैं-

- आर ई प्रदाय 2015 के लक्ष्य को प्राप्त करने में अवरूद्ध नहीं होगा (रूढ़िवादी मामलों में भी)
- पान-इंडिया लक्ष्य टैरिफ पर अधिक प्रभाव डाले बिना प्राप्त किए जा सकते हैं ।
- तीन दृश्यलेखों के अधीन प्रदाय अपेक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त आरई प्रदायः
  - *दृश्यलेख- 1 आरंभिक वर्षों में आरपीओ स्तर में उच्चतर वृद्धि
  - *दृश्यलेख-2 सभी वर्षों के लिए आरपीओ स्तर में समान वृद्धि
  - *दृश्यलेख-3 आरम्भिक वर्षों में आरपीओ स्तर में धीमी वृद्धि
- यदि सभी राज्यों में सीईआरसी टैरिफ को भी मान लिया जाए, टैरिफ पर आरपीओ का बढ़ता हुआ प्रभाव २०११-२०१५ के दौरान 1.5 से 4.1 पैसे/यूनिट/वर्ष होगा ।

- उच्चतर आरपीओ प्रारंभ में, निम्नतर टैरिफ अवधियों के दौरान अच्छे स्थलों में विनिधान द्वारा टैरिफ पर प्रभाव को कम करने में सहायता करता है ।
- राज्य में तीन कोठकों उच्च, मध्य और निम्न में विभाजित हुआ है ।
- प्रत्येक राज्य आरई (अपने और आरईसी तंत्र के माध्यम से) को योगदान देना ।
- आर ई टैरिफ के प्रभाव को विभिन्न राज्यों में फैलाया जाएगा ।

ग. उपयोगिताओं की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए कारणों का निर्धारण

विद्युत मंत्रालय द्वारा फोरम से अनुरोध किया गया था कि वह वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की व्यवहार्यता पर अध्ययन की संभावनाओं का पता लगाए । फोरम ने अध्ययन को दस राज्यों के लिए दो चरणों में कमीशन किया और राज्यों के कार्य-पालन का मूल्यांकन पांच वर्षों की अवधि के लिए किया गया ।प्रथम चरण में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की कमजोर वित्तीय स्थिति के लिए कारणों की पहचान करने का उद्देश्य था ।दूसरे चरण में, वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए टैरिफ पुनरीक्षण निर्धारण और टैरिफ अवधारण के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई रीतियों की तुलना करना केन्द्र बिन्दु थे ।अध्ययन के प्रमुख परिणाम निम्नानुसार थेः

- अनुज्ञप्तिधारियों के लिए प्रदाय की औसत लागत और औसत राजस्व वसूली के अन्तर में वृद्धि । बहुत से राज्यों में उपयोगिताओं के लिए पर्याप्त रूप से टैरिफ में वृद्धि करने की आवश्यकता है ।
- अनुज्ञप्तिधारियों के राजस्व में अन्तर की वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो रही हैः
- टूअप तंत्र के अभाव सहित राज्य में टैरिफ का पुनरीक्षण न होना ।
- एसईआरसी द्वारा विनियामक आस्तियों का सृजन किया गया जिसका परिणाम टैरिफ में अन्तर होना है ।
- राज्य सरकारों द्वारा सहायिकी के वितरण में कमी और विलंब
- वास्तविक विद्युत क्रय मात्रा तथ लागत का अनुमोदित स्तर से अधिक होना
  - वास्तविक विक्रय अनुमोदित से अधिक है ।
  - वितरण कम्पनियों का वास्तविक हानि स्तर अनुमोदित हानि स्तर से अधिक है ।
  - पूर्व वर्ष के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए लघु अवधि ऋण पर ब्याज लागत की अस्वीकृति और एफ एस ए की वसूली में शामिल समयान्तर के लिए लागत वहन करना
- लघु अवधि ऋणों में वृद्धि

3.4. आदर्श विनियम

क. उपभोक्ता हित का संरक्षण (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, ओम्बड्समेन और उपभोक्ता अधिवक्तता विनियम) के लिए आदर्श विनियम

विनियमों का उद्देश्य राज्य भर में उपभोक्ता सरंक्षण के मुद्दों के प्रति दृटिकोण में एक समानता लाना और विभिन्न राज्यों के उपभोक्ताओं के बीच विभेद को कम करना है ।महत्वपूर्ण उपबंध निम्नानुसार हैं-

- नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में बहु सीजीआरएफ और ग्रामीण क्षेत्र में 3-4 राजस्व जिलों में एकल फोरम का उपबंध ।

- प्रति सप्ताह हर एक राजस्व जिले में कम से कम एक सत्र का संचालन ।
- प्रत्येक फोरम में तीन सदस्यों के लिए उपबंध जिनमें से दो की नियुक्ति और पारिश्रमिक का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा और एक का आयोग द्वारा किया जाएगा ।
- फोरम से संबंधित सभी प्रचालन लागत अनुज्ञप्तिधारी वहन करेगा और वह उनकी वसूली एआरआर के माध्यम से कर सकेगा ।
- प्रदाय के कनक्शन काटने के मामलों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और १५ दिनों के भीतर उनका समाधान किया जाएगा ।
- आयोग ओम्बड्समेन की नियुक्ति करेगा । बहु ओम्बड्समेन की नियुक्त की जा सकेगी ।
- ओम्बड्समेन के पद के लिए सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार का सचिव और ऐसा कोई व्यक्ति जो कम से कम तीन वर्षों के लिए राज्य स्तर पर किसी कानूनी, अर्द्ध न्यायिक निकाय का सदस्य या अध्यक्ष रहा हो, पात्र होगा ।
- उपभोक्ता अधिवक्तता प्रकोष्ठ का गठन और वित्तपोाण आयोग द्वारा किया जाएगा ।

ख. मांग पक्ष प्रबंधन विनियम

इन विनियमों का उद्देश्य, राज्यों को डीएसएम विनियम तैयार करते समय एक मार्गदर्शक दस्तावेज उपलब्ध कराना है । राज्य विशिष्ट स्थितियो/विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक उपांतरण/परिवर्धन किए जा सकेंगे । विनियमों की मुख्य विशेषताए निम्नानुसार हैं-

- विनियम वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए एसईआरसी द्वारा नियत डीएसएम उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए उपबंध करते हैं ।
- डीएसएम प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन सिद्धांतों का उपबंध करते हैं:-
  - भार और बाजार अनुसंधान,
  - डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
  - डीएसएम कार्यक्रमों की लागत प्रभावकारिता निर्धारण,
  - मानीटरिंग और रिपोर्टिंग तथा मूल्याकंन,
  - डीएसएम कार्यक्रमों के माध्यम से बचत के माप और सत्यापन,
  - डीएसएम कार्यक्रमों के लिए अर्हता मानदंड,
  - लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत,
  - आंकड़ा आधार विकास ढांचा मार्गदर्शक सिद्धांत, आदि
- विनियमों को उपांतरित किए बिना मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपांतरण किया सकता है ।
- डीएसएम ढांचे में किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों का उपबंध करते हैं ।
  - आधार रेखा आंकड़ों का भार अनुसंधान और विकास, डीएसएम योजना बनाना, आयोग का पुनर्विलोकन और डीएसएम योजना का अनुमोदन, डीएसएम कार्यक्रम दस्तावेज तैयार करना और उसका अनुमोदन और डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।
- मूल्यांकन, मानिटरिंग और सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप को परिकल्पित किया गया है और इसका दायित्व एसईआरसी को दिया गया है ।
  - वितरण उपयोगिता की पहुंच पर विचार करते हुए, अधिकतर निष्पादन संबंधी कार्य उन्हें समुदेशित किए गए हैं । इसके अलावा, तकनीकी सामर्थ्य और बाजार अनुसंधान का दायित्व भी उन्हें दिया गया है ।

ग. विनियमित ऐन्टिटियों के लिए एसईआरसी अनुपालन संपरीक्षा विनियम

विनियामक आयोग द्वारा अनुपालन संपरीक्षा के लिए एफओरआर ने एक आदर्श विनियम विकसित किया है। विनियम के महत्वपूर्ण उपबंध निम्नानुसार हैं-

- एसईआरसी किसी भी समय विनियमित ऐन्टिटियों की संपरीक्षा, अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम तथा आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुपालन के सत्यापन के लिए कर सकता है।
- आयोग संपरीक्षा के लिए परामर्शदाताओं/संपरीक्षकों का पैनल बना सकेगा।
- आयोग या तो अपने पैनल में से परामर्शदाताओं/संपरीक्षकों को संपरीक्षा के लिए नियुक्त कर सकेगा या यदि विनिर्दिष्ट आवश्यकता हो तो नए सिरे से चयन प्रक्रिया अपनाएगा।
- परामर्शदाता/संपरीक्षक, संपरीक्षा करने के दौरान निकाले गये निष्कर्षों के साक्ष्य के रूप में, अपने द्वारा किए गए कार्य को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा करेगा और उसे आधार बनाएगा।
- आयोग, एक आदेश के माध्यम से, संपरीक्षा का विशिष्ट कार्य, इसके द्वारा बनाए गए विचारणीय विषयों के आधार पर, विनियमित ऐन्टिटी की संपरीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परामर्शदाता/संपरीक्षक को समनुदेशित करेगा।
- एसईआरसी, रिपोर्ट के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए विनियमित ऐन्टिटी को अवसर उपलब्ध कराएगा।
- इन विनियमों के अधीन किसी संपरीक्षा से संबंधित और समानुंगिक सभी व्यय आयोग द्वारा संदत्त किए जाएंगे।

घ. अंतःराज्य निर्बाध पहुंच विनियमः

एफओआर की 19 वीं बैठक में फोरम द्वारा गठित कार्य-समूह ने उपभोक्ताओं की निर्बाध पहुंच के लिए आदर्श विनियम विकसित किए हैं। ये विनियम अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और राज्य में वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध पहुंच को लागू होंगे। निर्बाध पहुंच के लिए साधारण उपबंध निम्नानुसार हैं-

- 10 एम डब्ल्यू या अधिक भार वाले उपभोक्ता अथवा 10 एम डब्लयू या अधिक की संस्थापित क्षमता रखने वाले उत्पादक, अंतःराज्य पारेषण में निर्बाध पहुंच प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। 10 एम डब्ल्यू से कम क्षमता वाले उत्पादक, वितरण प्रणाली में निर्बाध पहुंच प्राप्त करने के पात्र हैं।
- निर्बाध पहुंच, पारेषण, व्हीलिंग और अन्य प्रभारों के भुगतान पर प्रदान की जाएगी।
- निर्बाध पहुंच प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को-
  - औद्योगिक पोषण से जुड़ा होना चाहिए किन्तु यह तब जब कि ऐसे औद्योगिक पोषण पर सभी उपभोक्ता निर्बाध पहुंच को पसंद करें।
  - एक स्वतंत्र पोषण के माध्यम से जुड़ा होना चाहिए।
  - अन्य उपभोक्ता सूचीबद्ध निर्बन्धनों के अधीन निर्बाध पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।
- दीर्घ अवधि निर्बाध पहुंच, मध्य अवधि निर्बाध पहुंच और लघु अवधि निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए मानदंडः
  - प्रणाली आवर्धन के साथ या बिना एल टी ए।
  - केवल प्रणाली आवर्धन के बिना एम टी ओ ए।

4. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यकलाप

4.1 सी ई आर सी की उपलब्धियां

गत की क्रियात्मक पहलों को जारी रखने के क्रम में, आयोग ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया को अग्रसर करते हुए वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ।

वर्ष के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना जून, 2010 में जारी किए गए अन्तर राज्य पारेषण प्रभारों और हानियों की साझेदारी पर विनियम थे । इन विनियमों से पारेषण प्रणाली के अनेक प्रयोक्ताओं के मध्य पारेषण प्रभारों के आबंटन में एक उदाहरणीय बदलाव आया है । राष्ट्रीय विद्युत नीति (इनईपी) और टैरिफ (टीपी) की वास्तविक भावना में, नई पद्धति दूरी, दिशा और विद्युत प्रवाह की मात्रा के प्रति संवेदनशील है । इससे विद्युत क्षेत्र विकास, प्रतिस्पर्धा की मांग और निर्बाध पहुंच की उभरती हुई आवश्यकताओं का समाधान हो जाता है । अंतर राज्य पारेषण स्कीम (आई एस टी एस) के प्रयोक्ता अब वैज्ञानिक रीति पर आधारित पारेषण प्रणाली का भुगतान करेंगे जिसमें उपयोग और पहुंच दोनों का ध्यान रखा गया है । विद्युत के प्रवाह की दूरी से विद्युत दूरी प्रतिबिंबित होती है क्योंकि विद्युत का प्रवाह भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों से होता है न कि संविदा मार्ग से । दिशा संवेदनशीलता को उत्पादन और मांग प्रभारों के प्रथक्करण से प्राप्त किया जाता है । विनियमों से उत्पादन क्षमता का पता लगाने के लिए, समुचित पारेषण प्रभारों को ध्यान में रखते हुए, साइटिंग संकेत का उपबंध करना भी अपेक्षित है । नई कीमतीकरण पारेषण पद्धति के क्रियान्वित हो जाने से, जहां पारेषण प्रभारों में अवस्थिति अनुसार विभेद किया जाता है, उत्पादकों को पारेषण प्रभार और ईंधन की परिवहन लागत दोनों को ध्यान में रखना होगा । पारेषण कीमतीकरण पद्धति से पूर्व शासन की बहुत सी कमियां दूर हो गई हैं विशेष रूप से प्रभारों की पेनकेकिंग और क्षेत्रों के बीच प्रतिसहायकीकरण ।

वर्ष के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण विनियामक पहल केन्द्रीय पारेाण उपयोगिता (सीटीयू) को आईएसटीएस के निपादन के लिए विनियामक की मंजूरी पर विनियम जारी करना था । इस पहल के साथ राष्ट्रीय विद्युत नीति का एक महत्वपूर्ण सपना पूरा हो गया है, अर्थात् पूर्वानुमानित पारेषण आवश्यकताओं की पहचान करने के बाद नेटवर्क का विस्तार करने हेतु सीटीयू/एसटीयू की अपेक्षा जो प्रणाली पर घटनात्मक होगी । ये विनियम किसी क्षेत्र के भीतर या आर-पार विद्युत के विश्वसनीय, दक्ष, समन्वयित और किफायती प्रवाह को समर्थ बनाने में सीटीयू द्वारा पहचान की गई प्रणाली के सशक्तीकरण/उन्नयन के लिए आईएसटीएस को भी लागू होंगे । इन विनियमों के अनुसरण में, आयोग ने नौ उच्च क्षमता विद्युत पारेषण गलियारों के निष्पादन के लिए भी विनियामक अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें ५८००० करोड़ रूप का निवेश है । यह विनियामक अनुमोदन अपनी किस्म का अकेला अनुमोदन है और यह व्यापक रूप से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के लिए एकीकृत पारेषण प्रणाली के विकास के लिए आयोग की इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास को दर्शाता है । इसके अलावा आयोग द्वारा उठाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कदम देश में ग्रिड के प्रचालन में वृहत्तर अनुशासन लाना था । भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) अननुसूचित अर्न्तबदल (यूआई) विनियमों में संशोधन के माध्यम से यह संदेश सभी को अधिक प्रबल रूप में संसूचित कर दिया गया है कि यू.आई. का उपयोग विद्युत में व्यापार के लिए मार्ग के रूप में नहीं किया जाना चाहिए । प्रचालन का अनुज्ञेय बारंबारता बैंड ४९.२-५०.३ एच जेड को पूर्व रेंज से और कम करके ४९.५-५०.२ एच जेड कर दिया गया है । तत्समानी रूप से अनुसूची से विचलन पर प्रभारों में भी और अधिक भयानक रूप में इस प्रकार वृद्धि हो गई है कि जब बारंबारता ४९.५ एच जेड से कम हो तो विचलन के लिए अतिरिक्त यू आई प्रभार ४० प्रतिशत होंगे और जब बारंबारता ४९.२ एच जेड से कम हो तो अतिरिक्त यू.आई. प्रभार १०० प्रतिशत होंगे । इन विनियमों के प्रवर्तन में आने से यह आशा की जाती है कि ग्रिड का प्रचालन अधिक स्थाई, सुरक्षित और किफायती हो जाएगा ।

आयोग अनेक पहलों के माध्यम से हरित ऊर्जा के संवर्धन की अपनी वचनबद्धता को दोहराता है । नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को मुख्य धारा में लाने के लिए, ग्रिड संयोजिता एक बड़ा अवरोध बना हुआ है । ग्रिड एकीकरण से संबंधित मुद्दों का

समाधान करने के लिए आयोग ने अपने संयोजिता विनियमों का संशोधन किया है जिससे कि हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों और ५० एम डब्ल्यू या अधिक क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उपयोग करने वाले अन्य उत्पादन केन्द्रों के लिए सीटीयू की संयोजिता को सुकर बनाया जा सके। हाइड्रो या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक प्रथक रूप से या संयुक्त रूप से ५० एम डब्ल्यू या अधिक क्षमता के साथ संयोजिता के लिए सीटीयू से संपर्क कर सकते हैं।

आयोग ने जनवरी, २०१० में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आर ई सी) पर विनियम जारी किए। आर ई सी को नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन की ओर की गई एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है और इससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिला है। इससे उच्च सामर्थ्य वाले क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को काम में लाने और स्रोत घाटा राज्यों द्वारा नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) के अनुपालन करने के दोहरे उद्देश्यों का समाधान हो जाता है। यह महत्वपूर्ण ढांचा औपचारिक रूप से नवंबर में प्रारंभ हुआ जिससे भारत में हरित ऊर्जा के विकास में एक नए योग की घोषणा हुई। आरईसीपर सर्वप्रथम व्यापार सत्र ३१.०३.२०११ को आयोजित किया गया। ढांचे के इस कार्यान्वयन को संसार भर के पणधारियों द्वारा गहन दिलचस्पी से देखा जा रहा है।

वर्ष के दौरान, आरईसी बाजार में लाभ अर्जित करने के लिए पीपीए के उल्लंघन में उत्पादक के लिए विपर्यस्त प्रोत्साहन से उत्पन्न चिंताओं का समाधान करने के लिए आरईसी से संबंधित विनियमों का संशोधन किया गया। संशोधनों ने आरईसी तंत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित नियंत्रित उत्पादक की भागीदारी के कार्यक्षेत्र को भी परिभाषित किया।

आयोग ने अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यवर्ती पारेषण सुविधा के उपयोग के लिए दरों, प्रभारों और निबंधनों तथा शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण विनियम भी जारी किया। इन विनियमों के जारी हो जाने से मध्यवर्ती पारेषण सुविधा का उपयोग आसान होगा और मध्यवर्ती प्रणाली के उपयोग के लिए दरों और प्रभारों सहित निबंधनों और शर्तों का निपटारा भी सुकर हो जाएगा। अन्ततोगत्वा में राज्यों और क्षेत्रों के आर-पार विद्युत प्रवाह अवरोध मुक्त होने को सुकर बनाएगा।

वर्ष २००९-१४ के लिए आयोग द्वारा जारी टैरिफ के निबंधन और शर्तें, हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत की विधीक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए उपबंध करते हैं। विनिधानकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की थी कि आयोग द्वारा अग्रिम में पूंजी लागत के अनुमोदन के लिए किसी उपबंध के अभाव में परियोजनाओं का वित्तीय समापन अनिश्चित हो सकता है। इस भय को कम करने के लिए आयोग ने हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाओं की पूंजी लागत की विधीक्षा करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए और उनकी पूंजी लागत की विधीक्षा के लिए स्वतंत्र अभिकरणों का एक पैनल भी बनाया।

किसी लागत धन शासन में, पूंजी लागत का बहुत महत्व है। पूंजी लागत की विनियामक अनुमोदन की प्रक्रिया में सख्ती लाने के लिए सीईआरसी द्वारा बनाई गई नीतियों और विनियम टैरिफ अवधारण के प्रयोजन हेतु पूंजी लागत का बैंचमार्क करने के लिए अनुध्यात करते हैं। सीईआरसी के सदस्य की अध्यक्षता में सशक्त समिति पारेषण में प्रतिस्पर्धात्मक बोली को सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस वर्ष के दौरान, सशक्त समिति ने ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बोली को सुकर बनाया, जहां कीमतों की खोज प्रतिस्पर्धा द्वारा किया गया था। इन सब मामलों में, खोजी गई कीमतें, लागत धन टैरिफ की तुलना में अधिक दक्ष पाई गईं। विद्युत अधिनियम, २००३ ने क्षेत्र में विनिधान के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए आयोग को आज्ञापक बनाया है। वर्ष के दौरान, आयोग ने निर्बाध पहुंच, व्यस्ततम विद्युत संयंत्रों के लिए आवश्यकता, नवीकरणीयों का संवर्धन, प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यकता और पब्लिक तथा प्राइवेट क्षेत्र के लिए पारेषण में प्रतिस्पर्धात्मक उपपान आदि जैसे अनेक मामलो में सलाह दी।

4.2 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की उपलब्धियां

1. मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एम एस ई आर सी)

एम एस ई आर सी ने 23 अगस्त, 2010 को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेश जारी किया । एम एस ई आर सी ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए हैं-

- विद्युत क्रय और उपापन विनियम, 2011
- राज्य ग्रिड संहिता विनियम, 2011
- विद्युत के पारेषण और व्हीलिंग के लिए टैरिफ अवधारण विनियम, 2011
- निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें विनियम, 2011
- आयोग ने विद्युत के पारेषण, वितरण और व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना विनियम, 2011 अधिसूचित किए ।

2. उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यू पी ई आर सी)

वित्तीय वर्ष 2010-11 में आयोग ने निम्नलिखित प्रदान किएः-

- यू पी विद्युत पारेषण निगम लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति और चार राज्य वितरण कंपनियों को वितरण अनुज्ञप्तियां ।
- नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) रिहन्दनगर पुनर्वास क्षेत्र को वितरण अनुज्ञप्ति ।
- नॉलिज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. और मित्तल पोसेसर्स प्रा.लि. नेशनल को अंतःराज्य व्यापार अनुज्ञप्ति ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में यू पी ई आर सी ने निम्निलिखित विनियम अधिसूचित किए-

- फीस और जुर्माना विनियम, 2010
- नियंत्रित और गैर-पारंपरिक ऊर्जा (सी एन सी ई) विनियम, 2009
- हरित ऊर्जा प्रोन्नयन विनियम, 2010
- उत्पादन टैरिफ के निबंधन और शर्तें विनियम, 2009
- विद्युत प्रदाय संहिता, 2005
- अंतः राज्य पारेषण प्रणाली को संयोजन प्रदान करना विनियम, 2010

3. असम विद्युत विनियामक आयोग (ए ई आर सी)

ए ई आर सी ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए/आदेश जारी किएः

- 31 अक्तूबर, 2010 को रूफटाप पी वी और लघु सौर विद्युत उत्पादन कार्यक्रम (आर पी एस एस जी पी) के अंतर्गत परियोजनाओं, जवाहर लाल नेहरू राट्रीय सौर मिशन के अधीन प्रवर्ग I परियोजनाओं से विद्युत का उपापन ।
- नवाकरणीय क्रय बाध्यता और इसका अनुपालन तथा ईंधन और विद्युत क्रय कीमत समायोजन सूत्र । अतिरिक्त प्रभारों के संबंध में असम विद्युत उत्पादन निगम लि. (ए पी जी सी एल) द्वारा 23 नवम्बर,

2009 को प्रस्तुत याचिका के सबंध में, आयोग ने यह घोषणा की कि 1 जुलाई, 2010 से सभी उपभोक्ताओं को 13 पैसे/यूनिट का ईंधन अधिभार लागू होगा ।

- आयोग ने 15 सितम्बर, 2010 को असम के बकसा जिले में 0.4 एम डब्ल्यू की रूपाही हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना और बार पेटा जिले में 2 एम डब्ल्यू की पहुमारा लघु हाइड्रो-इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ आदेश जारी किए ।

4. मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जे ई आर सी-एम एण्ड एम)

वर्ष के दौरान संयुक्त आयोग ने निम्नलिखित आदेश/विनियम अधिसूचित किए:

- वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन और शर्तें,
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें,
- अंतःराज्य व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने, निर्बाध पंहुच, फीसों के भुगतान और राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) को प्रभार तथा टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें,
- वित्तीय र्वा 2010-11 के लिए मणिपुर और मिजोरम के टैरिफ ओदश । दोनों राज्यों ने अप्राधिकृत उपभोक्ताओं के विनियमितिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है,

परिप्रेक्ष्य विनिधानकर्ताओं के हित में सौर पी वी, एस एच पी और पवन विद्युत उत्पादनों के लिए अवधारित सामान्य टैरिफ ।

अन्य पहलें निम्नानुसार हैं-

- जे ई आर सी विनियम, 2010 के अनुसार राज्य सलाहकार समिति की बैठकें प्रत्येक राज्य में प्रत्येक तिमाही में की जानी चाहिए । वर्ष 2010-11 के दौरान दोनों राज्यों की राज्य सलाहकार समिति की बैठकें क्रमशः एज़वाल और इम्फाल में आयोजित की गई ।
- राज्य समन्वय फोरम की बैठकें इम्फाल, मणिपुर और एज़वाल में आयोजित की गई ।
- मणिपुर और मिजोरम दोनों राज्यों के लिए विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन पैनल का गठन किया गया । आयोग ने, पैनल में एच टी उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक और सदस्य सम्मिलित करने की अनुज्ञा देते हुए मिजोरम के पैनल का पुनर्गठन करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिया है ।
- आयोग ने मणिपुर और मिजोरम में विद्युत उपभोक्ताओं की जागरूकता-सह-जन सनुवाई पर एक कार्यशाला आयोजित की । मिजोरम और मणिपुर के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु जन सुनवाई आयोजित की गई ।
- शक्ति और विद्युत विभाग, मिजोरम ने वित्तीय र्वा 2010-11 में 5 प्रतिशत के आर पी ओ के विरूद्ध राज्य की कुल आवश्यकता के 5.14 प्रतिशत का लक्ष्य केवल लघु हाइड्रो विद्युत से ही प्राप्त कर लिया,
- मणिपुर और मिजोरम की दोनों उपयोगिताओं ने प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सी जी आर एफ) स्थापित किया और उसे कृत्याकाकरी बनाया है ।

5. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पी एस ई आर सी)

पी एस आई आर सी ने निम्नलिखित के लिए विनियम अधिसूचित/आदेश जारी किए:

- वित्तीय वर्ष 2010-11 में विद्युत प्रदाय संहिता और संबंधित विषयों एवं पंजाब राज्य ग्रिड संहिता में संशोधन के लिए विनियम ।

- फोरम और ओम्बड्समेन विनियम ।
- आयोग ने प्रारूप बहुवर्षीय टैरिफ और सेवा विनियम परिचालित करते हुए पंजाब सरकार, पंजाब राज्य विद्युत निगम लि. (पी एस पी सी एल) और पंजाब राज्य पारेषण निगम लिमिटेड (पी एस टी सी एल) सहित विभिन्न पणधारियों से टिप्पणयां आमंत्रित की थीं ।
- 23 अप्रैल, 2010 को वित्तीय वर्ा 2010-11 के लिए टैरिफ आदेश ।
- टैरिफ के अवधारण, ईंधन अधिभार के उद्ग्रहण, निर्बाध पहुंच अनुज्ञात करने, विद्युत क्रय करारों के अनुमोदन, पारेाण/व्हीलिंग प्रभारों आदि के नियतन से संबंधित याचिकाओं के जवाब में आदेश ।

6. जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे के एस ई आर सी)

वित्तीय वर्ष 2010-11 में जे के एस ई आर सी ने निम्नलिखित के लिए विनयम अधिसूचित/आदेश जारी किएः-

- विद्युत ओम्बड्समेन के लिए विनियम ।
- उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम हेतु विनियम ।
- नवीकरणीय विद्युत क्रय बाध्यता, इसके अनुपालन और आर ई सी ढांचा कार्य क्रियान्वयन के लिए विनियम।
- जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, मांग पक्ष प्रबंधन, पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तों और सूचना के एक समान अभिलेख रखने और रिपोर्ट करने और विद्युत के प्रदाय के लिए व्यय की वसूली पर परिचालित विनियम ।
- वित्तीय वर्ष 2009-10 और वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए सकल राजस्व अपेक्षा (ए आर आर) और जे एण्ड के विद्युत विकास निगम लि. (राज्य की उत्पादन उपयोगिता) के लिए उत्पादन टैरिफ का अवधारण ।
- वित्तीय वर्ष 2009-10 और वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए जे एण्ड के राज्य विद्युत विकास नगम के 45 एम डब्ल्यू बागलिहार प्रक्रम I हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए पूंजी लागत और अंतरिम टैरिफ का अवधारण ।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए राज्य विद्युत विकास विभाग (राज्य की पारेषण और वितरण उपयोगिता) हेतु ए आर आर और खुदरा टैरिफ का अवधारण ।
- जवाहर लाल नेहरू राट्रय सौर मिशन के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए टैरिफ आदेश ।
- वित्तीय वर्ष 2009-10 और वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए आयोग द्वारा पारित ए आर आर सौर उत्पादन टैरिफ पर जे एण्ड के राज्य विद्युत विकास निगम द्वारा फाइल की गई पुनर्विलोकन याचिका से संबंधित आदेश ।
- जम्मू और कश्मीर राज्य के पवन उर्जा उत्पादकों से विद्युत के उपापन के लिए सामान्य टैरिफ का अवधारण।

7. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच ई आर सी)

एच ई आर सी ने 26 अक्तूबर, 2010 को झज्जर स्थित 2x600 एम डब्ल्यू थर्मल विद्युत संयंत्र से 400 के वी की झज्जर विद्युत पारेषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत निकालने हेतु प्रथम पारेषण अनुज्ञप्ति प्राइवेट पक्षकार मैसर्स झज्जर के टी ट्रांस्को प्रा.लि. को प्रदान की ।

आयोग ने निम्नलिखित के लिए विनियम अधिसूचित/आदेश जारी किएः

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोजों, नवीकरणीय क्रय बाध्यता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र से टैरिफ के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तों के लिए विनियम ।
- जवाहर लाल नेहरू सौर मिशन के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत परियोजनाओं और बारवाला स्थित पोल्ट्री लिटर आधारित परियोजना के संबंध में टैरिफ आदेश ।
- 06 अक्तूबर, 2010 को रजिस्ट्रीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रत्यायन और सिफारिश हेतु" हरियाणा नवीकरणीय विकास अभिकरण" को" राज्य अभिकरण" के रूप में पदाभिहित करने का आदेश।

8. झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे एस ई आर सी)

जे एस ई आर सी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में दो महत्वपूर्ण कार्य किए, अर्थात् बहुवर्षीय टैरिफ और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोन्नयन ।
आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए हैं-

- उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तों के लिए विनियम
- जैवसमूह और नान-फोसिल ईंधन आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं के टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें ।

9. मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एम पी ई आर सी)

एम पी ई आर सी ने निम्निलिखित के लिए टैरिफ आदेश जारी किए :-

- मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन । सौर पी वी विद्युत संयंत्र के लिए नियुत्रण अवधि ३१ मार्च, 2013 तक होगी और सौर थर्मल विद्युत संयंत्र तथा रूफ टाप और अन्य लघु सौर विद्युत संयंत्र के लिए ३१ मार्च, 2014 होगी ।
- 31 मार्च, 2013 तक की नियंत्रण अवधि के लिए वायु इलैक्ट्रिक उत्पादकों से विद्युत के उपायन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए भी जारी किया गया ।
- वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए वितरण और खुदरा प्रदाय तथा वितरण कंपनियों के ए आर आर के ट्रू अप के लिए एम पी ई आर सी ने निम्निलिखित विनियम भी अधिसूचित किए :-
- एम पी ई आर सी (अनुपालन संपरीक्षा) विनियम, 2010
- पारेाण टैरिफ के अवधरण् के लिए निबंधन और शर्तो, विद्युत प्रदाय संहिता, वैद्युत लाइन उपलब्ध कराने या प्रदाय देने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त संसंत्र हेतु व्ययों और अन्य प्रभारों की वसूली, ऊर्जा के नवीनीय स्त्रोतों से विद्युत के सह उत्पादन और उत्पादन, उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधनों और शर्तो, विनियामक अनुपालन की रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए निबंधन और शर्तो हेतु विनियमों में अधिसूचित संशोधन ।

10. कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (के ई आर सी)

- आयोग ने 07 दिसंबर, 2010 को के पी टी सी एल, बी ई एस सी ओ एम, एम इ एस सी ओ एम, सी ई एस सी, एच इ एस सी ओ एम और जी ई एस सी ओ एम के लिए 2011-13 की अवधि हेतु बहु वर्षीय टैरिफ आदेश जारी किया ।

- वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आर ई सी पर विनियम जारी किए गए और राजपत्र में प्रकाशित किए गए । के ई आर सी ने 13 जुलाई, 2010 को सौर विद्युत संयंत्रों के लिए टैरिफ आदेश जारी किया ।

11. महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एम ई आर सी)

एम ई आर सी ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए :-

- 04 फरवरी, 2011 को बहु वर्षीय टैरिफ विनियम ।
- आर ई टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें ।
- नवीनीय क्रय बाध्यता - आर ई सी ढ़ांचे के अन्तर्गत इसका अनुपालन और क्रियान्वयन
- मांग पक्ष प्रबंधन क्रियान्वयन ढांचा और
- मांग पक्ष प्रबंधन उपाय और कार्यक्रमों का लागत प्रभावी निर्धारण

12. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सी एस ई आर सी)

आयोग ने निम्नलिखित के लिए विनियम अधिसूचित/आदेश जारी किए :-

- संयोजिता और अंतः राज्य निर्बाध पहुंच के लिए विनियम ।
- उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए विनियम ।
- नवीनीय क्रय बाध्यता और आर ई सी ढांचा अंतर्गत क्रियान्वयन तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्रो की फीस और प्रभारों के लिए विनियम ।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 से वि०वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि०, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि०, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि०, राज्य भार पारेषण केन्द्र के लिए बहु वर्षीय टैरिफ आदेश ।
- आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि० हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए खुदरा टैरिफ आदेश भी जारी किया ।
- छत्तीसगढ़ राज्य में नवीनीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रत्यायन और सिफारिश के प्रयोजन के लिए ''राज्य अभिकरण'' मनोनित करने के संबध में एक आदेश जारी किया गया ।

13. त्रिपुरा विद्युत विनियाम आयोग (टी ई आर सी)

- टी ई आर सी ने गैस की कीमत वृद्धि पर एकमात्र उपयोगिता त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लि० (टी एस ई सी एल) द्वारा प्रस्तुत याचिका के विरूद्ध ईंधन और विद्युत क्रय समायोजक लागत (एफ पी सी ए) आदेश जारी किया ।
- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2005-06 और वि०वर्ष 2006-07 के लिए अनुज्ञप्तिधारी अर्थात टी एस ई सी एल से टैरिफ याचिका और वार्षिक राजस्व अपेक्षा की प्राप्ति पर दो टैरिफ आदेश जारी किए हैं ।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आयोग द्वारा किसी विधिक विवाद/विवादों का सामना नहीं किया गया ।

14. उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (यू ई आर सी)

- वित्तीय वर्ष 2010-11 में, यू ई आर सी ने अंतः राज्य निर्बाध पहुंच और नवीनीय क्रय बाध्यता के अनुपालन के निबंधनों और शर्तो के संबंध् में विनियम जारी किए ।

- यू ई आर सी ने वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कंपनी के लिए टैरिफ आदेश जारी किए । आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को 100% मीटरिंग के निदेश जारी किए जिसके विरूद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने मीटरिंग का 98.24% स्तर प्राप्त कर लिया है ।
- राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण प्रभावी रूप से करने के लिए आयोग ने उपभोक्ता शिकायत निवारण् फोरम के लिए विनियमों का संशोधन किया है ।
- आयोग ने राज्य के सभी प्रमुख उपभोक्ताओं के बिलिंग विश्लेषण की एक संस्कृति प्रारम्भ की है ।

15. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आर ई आर सी)

- आयोग ने बंधुवा विद्युत संयंत्रो द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत के विक्रय के लिए टैरिफ विनियम, 2010 अधिसूचित किए ।
- आयोग ने नियंत्र अवधि वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक वितरण कंपनियों के बहुवर्षीय ए आर आर और जयपुर तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि० के लिए भी ए आर आर के ट्रू अप अवधारित किए हैं ।
- आर ई आर सी ने रूफ टॉप एस पी वी प्रणाली और लघु सौर विद्युत संयंत्रों संहित सौर विद्युत संयंत्रों से राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत के विक्रय के लिए सामान्य टैरिफ अवधारित किया है ।
  वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के लिए व्हीलिंग प्रभारों और प्रति सहायिकी अधिभार पर आदेश ।
- राजस्थान राज्य विद्युत पारेषण निगम (आर वी पी एन एल) द्वारा अपनाए गए प्रतिस्पर्धात्मक बोली अभ्यास के अनुसार मामाला - १ के अधीन प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त टैरिफ को आयोग ने अंगीकृत किया है ।

5. अन्तर्दृष्टि

5.1 वर्ष के दौरान कमीशन किए गए अध्ययन

वर्ष के दौरान निम्नलिखित अध्ययन कमीशन किए गए :

1. पूर्व संदत्त मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय विकसित करना

फोरम ने पूर्व संदत्त मीटरिंग - विधिक और विनियामक मुद्दों पर एक अध्ययन कमीशन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन विनियामक फोरम (एफ ओ आर) की बीसवीं बैठक में कर दिया था । देश में व्याप्त विधिक ढांचा अपने सभी मार्गदर्शक विधिक/नीति दस्तावेजों में पूर्व संदत्त मीटरिंग को मान्यता देता है । इस मान्यता के बावजूद, प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों/प्रक्रियाओं की भारी कमी है ।

विशिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों के अभाव के कारण, अनेक सहकारी और प्राइवेट उपयोगिताएं पूर्व संदत्त मीटरिंग का क्रियान्वयन अधिनियम, नीतियों और विनियमों के अपने अनुसार किए गए निर्वचन के आधार पर कर रहे हैं । यहीं नहीं, बल्कि बहुत से राज्य प्रौद्योगिकी को अपनाने से प्राथमिक रूप से पूर्व संदत्त मीटरिंग के आस-पास व्याप्त अनिश्चितता के कारण बच रहे हैं । यह आज्ञापक है कि देश के भीतर और विदेशों में भी पहले पूर्व संदत्त मीटरिंग के गुणों का मूल्यांकन किया जाए और इसके बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को सुव्यवस्थित किया जाए । मीटरिंग के संबंध में सभ् विनिर्दिष्ट विधिक और विनियामक उपबंधें को तथा इसके पूर्व संदत्त मीटरिंग पर प्रभवों को समझने की आवश्यकता है और यह भी जानना आवश्यक है कि विभन्न वितरण उपयोगिताओं उनका अर्थान्वयन कैसे कर रही हैं । यिद ऐसा महसूस होता है कि पूर्व संदत्त मीटरिंग को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने से विद्युत सैक्टर उपयोगिताओं को फायदा हो सकता है तो देश में पूर्व संदत्त मीटरिंग के क्रियान्वयन को एक समान और पूर्व नियोजित रूप में अंगीकार किया जाना चाहिए । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान पूर्व संदत्त मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय विकसित करने पर अध्ययन को मंजूरी दी गई है ।

5.2 वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कार्यवृत्त

- " पूर्व संदत्त मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय विकसित करना " पर अध्ययन को अंतिम रूप देना ।

वित्तीय वर्ष २०११-१२ के लिए निम्निलिखित अध्ययनों की योजना तैयार की गई है :

- समुदाय स्तरीय आफ ग्रिड परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए नीतिगत और विनियामक हस्तक्षेप ।
- १२वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में नवीन और नवीनीय ऊर्जा स्त्रोतों के प्राप्य सामर्थ्य का निर्धारण, आर पी ओ समछेदी का अवधारण और टैरिफ पर इसका प्रभाव ।
- बहु वर्षीय वितरण टैरिफ के लिए आदर्श टैसरिफ मार्गदर्शक विद्धांत ।
- नवीनीय क्रय बाध्यता (आर पी ओ) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आर ई स्त्रोत अभावी राज्यों के लिए प्रोत्साहन ढांचा तैयार करना ।
- आर ई सामर्थ्य में समृद्ध राज्यों में आर इ आधारित विद्युत संयंत्रों में संभाव्य क्षमता बढ़ाने के लिए पारेषण अवसंरचना निकास हेतु योजना तैयार करना ।
- विनियामक लेखाओं का मानवीकरण ।
- धारा ६० से सम्बद्ध बाजार प्रभुत्व ।
- उपयोगिताओं के लिए निर्बाध पहुंच हेतु मानक प्रक्रियाएं ।
- विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं के लिए वितरण अनुज्ञप्ति शर्तें और टैरिफ मार्गदर्शक सिद्धांत ।
- अध्ययन में एक ही दृश्य लेचा में कार्यरत दो या अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों टैरिफ सीमा के अवधारण के लिए उच्च कीमत विनियमन हेतु विद्धांत विकसित हुए हैं ।
- ई आर सी की शक्तियों के लिए आदर्श विनियम जिससे आदेशो को प्रवर्तित किया जा सके ।

6. विनियामकों के फोरम के वार्षिक लेखा-विवरण- 2010-11

31.3.2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि (₹में)

विशिष्टियां		31.3.2011 को	31.3.2010 को
आय-			
सदस्यता अंशदान		**57,00,000**	52,00,000
बचत खाते पर (बीओई खाता 121) पर ब्याज		**2,791**	-
सदस्यता अंशदान- 2008-9 की पूर्व अवधि		**-**	7,00,000
कॉपस निधि एफडीआर (बीओआई) से ब्याज		**24,60,354**	27,67,895
आटो स्वीप (बीओआई) से ब्याज		**4,93,220**	3,83,028
एफडीआर (बीओआई और कारपोरेशन बैंक) से ब्याज		**1,86,532**	1,74,603
अपलिखित की व्यवस्था		**-**	350
उपगत ब्याज (पूर्व अवधि समायोजन)		**49,428**	-
योग-अ		**88,92,325**	**92,25,876**
व्यय-			
बैठक और संगोष्टी खर्च		**11,15,675**	10,94,530
वेतन खर्च		**21,83,072**	12,45,400
समता संवर्धन और परामर्श		**7,48,203**	35,78,849
सचिवालय खर्च			
यात्रा खर्चे-2008-09 की पूर्व अवधि (विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रतिपूरित)	-		(2,92,877)
विज्ञापन और प्रचार खर्चे	**3,75,437**		-
संपरीक्षा फीस	**19,800**		18,000
बैंक प्रभार	**2,510**		16,286
कंप्यूटर मरम्मत और रख-रखाव खर्चे	**92,406**		34,746
अवक्षयण	**1,29,677**		1,40,762
विधिक और वृत्तिक खर्चे	**1,86,000**		6,48,600
अन्य खर्चे	**3,69,119**		32,401
टेलीफोन खर्चे	**46,898**		40,149
मुद्रण और लेख सामग्री खर्चे	**15,167**		15,286
पूर्व अवधि खर्चे	**3,864**		-
यात्रा खर्चे (टीए)	**2,81,233**		1,01,391
प्रशासनिक खर्चे	**4,25,000**	**19,47,111**	5,49,089
योग- आ		**59,94,061**	72,22,613
वर्ष के दौरान अर्जित अधिशेष (घाटा) (अ-आ)		**28,98,264**	20,03,264

I. विनियामकों के फोरम के सदस्य

उपाबंध

क्र. सं.	फोटो	नाम और पदनाम	विद्युत विनियामक आयोग
अध्यक्ष" विनियामकों का फोरम"			
1.		डा. प्रमोद देव, अध्यक्ष	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी ई आर सी)
सदस्य " विनियामकों का फोरम"			
2.		श्री ए. रघोतम राव, अध्यक्ष	आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ए पी ई आर सी)
3.		श्री जयन्त बरकाकाती, अध्यक्ष	असम विद्युत विनियामक आयोग (ए ई आर सी)
4.		श्री बी.के. हल्दर, अध्यक्ष	बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी ई आर सी)
5.		श्री मनोज डे, अध्यक्ष	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सी एस ई आर सी)
6.		श्री बरजिन्दर सिंह, अध्यक्ष	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डी ई आर सी)
7.		डा. पी.के. मिश्रा, अध्यक्ष	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जी ई आर सी)
8.		श्री भास्कर चटर्जी, अध्यक्ष	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच ई आर सी)

9.		श्री सुभाष चन्द्र नेगी	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एच पी ई आर सी)
10.		एस.मारिया डेसाफिन, अध्यक्ष	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे एंड के एस ई आर सी)
11.		श्री मुखतियार सिंह, अध्यक्ष	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे एस ई आर सी)
12.		श्री एम.आर. श्रीनिवास मूर्ति	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (के ई आर सी)
13.		श्री के.जे. मैथ्यू, अध्यक्ष	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (के एस ई आर सी)
14.		श्री राकेश साहनी	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एम पी ई आर सी)
15.		श्री वी.पी. राजा, अध्यक्ष	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एम ई आर सी)
16.		श्री बिजोय कुमार दास, अध्यक्ष	उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग (ओ ई आर सी)
17.		श्री जयसिंह गिल, अध्यक्ष	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पी एस ई आर सी)
18.		श्री डी.सी. सामंत, अध्यक्ष	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आर ई आर सी)
19.		श्री एस काबिलन, अध्यक्ष	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टी एन ई आर सी)

20.		श्री राजेश अवस्थी, अध्यक्ष	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यू पी ई आर सी)
21.		श्री वी. जे. तलवार, अध्यक्ष	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (यू ई आर सी)
22.		श्री प्रसाद रंजन रे, अध्यक्ष	पश्चिमी बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डब्ल्यू बी एस ई आर सी)
23.		श्री वी.के. गर्ग, अध्यक्ष	दिल्ली को छोड़कर संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जे ई आर सी-यू टी)
24.		श्री हिमिंगथांजुआल, अध्यक्ष	मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जे ई आर सी-एम एंड एम)
25.		श्री मनोरंजन करमारकर, अध्यक्ष	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (टी ई आर सी)
26.		श्री पी. जे. बेज़ले, अध्यक्ष	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एम एस ई आर सी)
27.		श्री एस. आई. लोंगकुमार	नागालेंड विद्युत विनियामक आयोग (एन ई आर सी)
28.		श्री दिगविजय नाथ	अरूणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ए पी ई आर सी)

II. विद्युत विनियामक आयोगों के पते और संपर्क ब्यौरे

क्र. सं.	लोगो	विद्युत विनियामक	पता	संपर्क सं./ई-मेल
1.		केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, ३६ जनपथ, नई दिल्ली-110001	टेली.नं. 23353503 फैक्स नं. 23753923 ईमेलः info@cercind.gov.in
2.		आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	डी, नं.11-4-660, चतुर्थ एवं पंचम तल, सिंगारेनी भवन, रेड हिल्स, खैरताबाद, हैदराबाद 500 004	टेली.नं. 23397381/399 /556 /656/684 ईमेलः commn-secy@aperc.gov.in
3.		असम विद्युत विनियामक आयोग	असम इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड काम्पलेक्स 6 मिले द्वारंधर जी.एस. रोड, गुवाहाटी-781 022	टेली.नं. 0361-2224807/2224808 फैक्स नं. 0361-2234432 ईमेलः aerc_ghy@hotmail.com
4.		बिहार विद्युत विनियामक आयोग	भूमि तल विद्युत भवन-II, बीएसईबी काम्पलेक्स बैली रोड, पटना-800021 (बिहार)	टेली.नं. 0612-2556749 फैक्स नं. 0612-2504488 ईमेलः haderbk@yahoo.co.in
5.		छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग	इरीगेशन कालोनी, शांति नगर, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)	टेली.नं. 0771-4048788 फैक्स नं. 0771-4073553 ईमेलः cserc.sec.cg@nic.in
6.		दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग	विनियामक भवन, सी-ब्लाक, शिवालिक, नजदीक मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017	टेली.नं. 011-26673610/26673605 ईमेलः secyderc@nic.in
7.		गुजरात विद्युत विनियामक आयोग	प्रथत तल, नेपच्यून टावर, नेहरू ब्रिज के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबार- 380 009	टेली.नं. 079-26580350 फैक्स नं. 91-079-26584542 ईमेलः gerc@gercin.org

क्र. सं.	लोगो	विद्युत विनियामक	पता	संपर्क सं./ई-मेल
8.		हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग	बे नं. 33-36, सैक्टर-4, पंचकुला (हरियाणा)- 134112	टेली.नं. +91(172)2582531 फैक्स नं. +91(172)2572359 ईमेलः herc@rehd.nic.in
9.		हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	कीओंथल कॉमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला-171002 (एच पी)	टेली.नं. 91-177-2627263 ईमेलः hperc@rediffmail.com
10.		जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विनियामक आयोग	पीडीसी काम्पलेक्स अशोक नगर, सतवारी जम्मू-180003	टेली.नं. 0191-2457899 ईमेलः jkserc@hotmail.com
11.		झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग	द्वतीय तल, राजेन्द्र जवान भवन-सह-सैनिक बाजार, मेन रोड, रांची 834001 (झारखंड)	टेली.नं. 0651-2330926 फैक्स नं. 0651-2330924 ईमेलः jserc@sancharnet.in
12.		कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग	नं.9/2ए महालक्ष्मी चैम्बर्स छटा एवं सातवां तल, एम.जी. रोड, बंगलौर-560001	टेली.नं. 080-25320213 ईमेलः Kerc@vsnl.com
13.		केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग	विनियामक भवन, सी-ब्लाक, शिवालिक, नजदीक मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017	टेली.नं. 0471-2735544 ईमेलः kserc@erckerala.org
14.		मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	मेट्रो प्लाजा, तृतीय एवं चतुर्थ तल, ई-5, अरेरा कालोनी, बिटन मार्केट, भोपाल-462 016	टेली.नं. 0755-2463585/2464643 फैक्स नं. 0755-2766851 ईमेलः secmperc@sancharnet.in

क्र. सं.	लोगो	विद्युत विनियामक	पता	संपर्क सं./ई-मेल
15.	MERC	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग	वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सेंटर नं. 1, तेरहवां तल, कुफ्फे पेरेड, मुम्बई-400 005. एमईआरसी बोर्ड नं.	टेली.नं. 22163964/22163965/22163969 ईमेलः Mercindia@mercindia.com
16.		उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग	बिद्युत नियामक भवन, यूनिट- VIII, भुवनेश्वर-751012	टेली.नं. 0674-2396117/2393097 फैक्स नं. 0674-2393306/2395781 ईमेलः orierc@sancharnet.in
17.		पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग	एससीओ 220-221, सैक्टर 34ए, चंडीगढ़	टेली.नं. 0172-2664758 फैक्स नं. 0172-2645163 ईमेलः percchd8hotmail.com
18.	RERC	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग	विद्युत विनियामक भवन, (स्टेट मोटर गेराज के नजदीक) सहकार मार्ग, जयपुर-302 005	टेली.नं. 0141-2741181/2741016 फैक्स नं. 0141-2741018 ईमेलः rercjpr@yahoo.co.in
19.	TAMILNADU ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग	19-ए, रूकमणी लक्ष्मीपति सलई (मारशल रोड) इगमोर, चैन्नई- 600 008	टेली.नं. 91-044-28411378/28411379 ईमेलः tnerc@vsnl.net
20.	U.P. ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	किसान मण्डी भवन, द्वतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ-226010	टेली.नं. 2720424 फैक्स नं. 2720423 ईमेलः secretary@uperc.org
21.	Uttrakhand Electricity Regulatory Commission	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग	द इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) प्रथम तल, आईएसबीटी के नजदीक, माजरा, देहरादून (उत्तराखंड)	टेली.नं. 0135-2763441 फैक्स नं. ०१३५-२६४१३१४ ईमेलः uerc@indiatimes.com

क्र. सं.	लोगो	विद्युत विनियामक	पता	संपर्क सं./ई-मेल
22.		पश्चिमी बंगाल विद्युत विनियामक आयोग	एफडी-415ए, पौड. भवन, (तृतीय तल) सैक्टर- III बिधाननगर, कोलकाता-700091	टेली.नं. 033-23593553/3397 ईमेलः wberc@ca13.vsnl.net.in
23.		दिल्ली को छोड़कर संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जे ई आर सी-यू टी)	द्वितीय तल, एचएसआईआईडीसी ऑफिस काम्पलेक्स, उद्योग विहार, फेज- V गुडगांव (हरियाणा)	टेली.नं. 0124-2343302 फैक्स नं. 0124-2342853 ईमेलः secretaryjerc@gmail.com
24.	JERC	मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	डी-31, महात्मा गांधी रोड, उप्पर खाटला, एज़वाल, मिजोरम-796001	टेली.नं. 0389-2301926 फैक्स नं. 0389-2301299/0389-2344301 ईमेलः jerc.mm@gmail.com
25.	TRIPURA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION T.E.R.C	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग	बुथोरिया, चौमुहानी, अगरतला-799001	टेली.नं. 0381-2326372 ईमेलः mrk.terc@rediffmail.com
26.	MSERC	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग	लॉवर लाचूमीरी, न्यू एडमिनिस्ट्रेटीव बल्डिंग, प्रथम तल, ईस्ट खासी हिल्स जिला, शिलांग-793 001 (मेघालय)	टेली.नं. 0364-2500142/144 फैक्स नं. 0364-2500062 ईमेलः secy.mserc-meg@nic.in
27.		नागालेंड विद्युत विनियामक आयोग	ऑल्ड एम एल ए हास्टल काम्पलेक्स, कोहिमा-797 001 (नागालेंड)	टेली.नं. 0370-2292101 फैक्स नं. 0370-2292104 ईमेलः nerc_kohima@yahoo.com
28.		अरूणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग	सैक्टर-ए, नाहरलगन, पिन-791110 अरूणाचल प्रदेश	टेली.नं. 0360-2350586 फैक्स नं. 0360-2350985 ईमेलः apserc_75@yahoo.com

III. राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मुद्दों पर प्रास्थिति रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट 2010–11

विनियामकों का फोरम

एफओआर

विनियामकों का फोरम (एफ ओ आर)

राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मुद्दों पर प्रास्थिति रिपोर्ट **33**

1.	ग्रिड संहिताएं	35
2.	प्रौद्योगिकी उन्नयन	36
3.	निर्बाध पंहुच पारेषण प्रभार तथा वितरण नेटवर्क प्रभार	39
4.	कुल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों पर समयबद्ध कार्यक्रम	42
5.	मीटरिंग योजनाएं	44
6.	एचवीडीएस, एससीएडीए तथा डाटा आधारित प्रबंधन का कार्यान्वयन	48
7.	कार्यपालन के मानक के लिए संनियम	51
8.	सीजीआर फोरम एवं ओम्बड्समैन की स्थापना	54
9.	उपभोक्ता समूहों के लिए क्षमता संवर्धन	58

1. ग्रिड संहिताएं

राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) में उपबंध :

5.3.2 .....

उन राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को सितम्बर, 2005 तक ग्रिड संहिता अवश्य अधिसूचित कर देनी चाहिए जिन्होंनें इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया है ।

क्रम सं.	एस ई आर सी	अधिसूचना की तारीख	प्रास्थिति
1.	ए ई आर सी	7.8.2004	कार्यान्वित
2.	सी एस ई आर सी	30.12.2004	पहला संशोधन सितम्बर, 2009 में । अब यह पुनः पुनरीक्षित की जा रही है ।
3.	जी ई आर सी	25.8.2004	अधिसूचित
4.	एच ई आर सी	12.5.2009	ग्रिड संहिता अधिसूचित
5.	एच पी ई आर सी	11.8.2008	एच पी राज्य में एच पी ग्रिड संहिता प्रवर्तन में है।
6.	जे एस ई आर सी	4.2.2009 अधिसूचना सं. 35	अधिसूचित
7.	जे एण्ड के एस ई आर सी	20.11.2007	अधिसूचना सं. 81 / जे के एस ई आर सी 2007 द्वारा अधिसूचित जे एण्ड के राज्य विद्युत ग्रिड संहिता प्रवर्तन में है ।
8.	के ई आर सी	26.1.2006	अधिसूचित । आई ई जी सी 2010 के अनुपालन में उपांतरित किया जाना प्रस्तावित ।
9.	जे ई आर सी (एम एंड एम)	2.7.2010	प्रवर्तन में
10.	एम पी ई आर सी	24.10.2005	5.12.2008 को अंतिम बार संशोधित
11.	एम ई आर सी	15.2.2006	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2006 1 अप्रैल, 2006 से प्रवर्तन में आ गए है ।
12.	पी एस ई आर सी	9.3.2006	1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी राज्य ग्रिड संहिता, सं. पी एस ई आर सी/सचिव वि.-26, तारीख 9.3.2006 द्वारा अधिसूचितत और 24 मार्च, 2006 को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की गई ।
13.	टी ई आर सी	गजट प्रकाशन के अधीन	पत्र में प्रकाशन, टिप्पणियां, सुझाव, आपत्तियों संबंधी ओपचारिकताएं पहले ही पूरी हो चूकी हैं और गजट में प्रकाशन के लिए तैयार है ।
14.	यू ई आर सी	9.4.2007	अधिसूचित
15.	यू पी ई आर सी	14.7.2007	पुनरीक्षित ग्रिड संहिता 14.7.2007 को अधिसूचित की गई ।

2. प्रौद्योगिकी उन्नयन

एनईपी में उपबंध

5.3.3

विनियामक आयोगों को गैर विभेदकारी निर्बाध पहुंच के लिए सहायक ढांचा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । इसके लिए भार प्रेषण केन्द्रों का प्रेषण के समय पर ही (रीयल टाइम में) स्टेट-आफ द आर्ट संचार व डाटा अधिग्रहण क्षमता की व्यवस्था करनी होगी । हालांकि अभी यह मामला प्रदेशिक भार प्रेषण केन्द्रो के स्तर पर चल रहा है, समूचित राज्य आयोगों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तर पर, जहां आवश्यक हो, प्रौद्योगिकी उन्नयनों के साथ ऐसी ही सुविधाएं प्रदान की गई हैं और जून, 2006 तक इन्हें कार्यक्रम दिया गया है ।

1.	ए ई आर सी	चरणबद्ध रीति में कार्यान्वयन के अधीन
2.	सी एस ई आर सी	आर टी यू का संस्थापन प्रगति पर है । ग्रिड के अंत: क्षेपण बिंदु में आर टी यू उपलब्ध कराया गया है ।
3.	जी ई आर सी	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एस सी ए डी ए पर कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है । हानियों में प्रभावी कमी के लिए एम जी वी सी एल, यू जी वी सी एल, डी जी वी सी एल और पी जी वी सी एल में एच वी डी एस कार्यान्वयन पहले ही किया जा चुका है ।
4.	एच ई आर सी	कार्यान्वयनाधीन
5.	एच पी ई आर सी	
6.	जे एण्ड के एस ई आर सी	सं. 6/ जे एण्ड के एस ई आर सी/206 तारीख 25 जनवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित जे एण्ड के राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अंत: राज्य पारेषण और वितरण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2006 प्रवर्तन में हैं जो उपभोक्ताओं को 1 एम डब्ल्यू और अधिक के लिए निर्बाध पहुंच अनुज्ञात करते हैं । एस एल डी सी, श्रीनगर में इसके उप भार प्रेषण केन्द्र के साथ जम्मू में पहले ही स्थापित किया जा चुका है और यह वास्तविक समय आधार पर संसूचना तथा आंकाड़ा अर्जन क्षमताओं से लैस है ।
7.	के ई आर सी	के पी टी सी एल ने एकीकृत एस सी ए डी ए स्कीम के अधीन एस सी ए डी ए के उन्नयन कार्य प्रारम्भ कर दिया है । के पी टी सी एल ने 220 केवी स्तर तक एस सी ए टी डी का कार्यान्वयन पूरा कर लिया है । निम्नतर वोल्टेज पर कायान्वयन प्रगति में है ।
8.	जे ई आर सी (एम एंड एम)	1. प्रक्रिया, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को फीस और प्रभारों के संदाय के लिए निबंधन और शर्ते तथा अन्य सम्बद्ध उपबंधों पर विनियम बना लिए गए हैं । 2. मणिपुर और मिजोरम दोनों के लिए तकनीकी उन्नयन हेतु संचित स्कीम तैयार कर ली गई है ।
9.	एम पी ई आर सी	एम पी में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, वास्तविक समय आधार पर नवीनतम संसूचना और आंकड़ा अर्जन क्षमता से लैस है । राज्य एल डी सी के साथ आर एल डी सी सुविधाओं जैसे अन्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के अलावा एस सी ए डी ए और वाइडबेंड संसूचना भी उपलब्ध कराई गई है । एस एल डी सी फीस और प्रभारों के लिए विनियम 19 मई, 2006 को अधिसूचित किए गए थे । एस एल डी सी टैरिफ आदेश (पांच वर्षीय रोलिंग केपेक्स व्ययों के अनुमोदन सहित) 2006 से नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं । ओ एण्ड एस प्रभारों का 50% पृथक रूप से केपेक्स निधि के रूप में रखा जाता हैं ।

10.	एम ई आर सी	i. महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम, 2004 को अधिक्रांत करते हुए महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम, 2005 अधिसूचित किए गए । ii. निर्बाध पहुंच प्रयोक्ताओं के संबंध में आंकड़ा आधार रखा जाता है और निर्बाध पहुंच आवेदन पत्रों के आन लाइन प्रसंसकरण के लिए साफटवेयर विकासाधीन है । iii. प्रौद्योगिकि उन्नयन अर्थात अंत: राज्य ए बी टी मीटरों का संस्थापन सभी जी>> टी और टी>> डी अन्तरमुख पर 90% मीटरिंग कर लिया गया है । कुल मीटरों के 80% संसूचना लिंक के साथ समाधान पूर्वक रूप से कार्य कर रहे हैं।
11.	पी एस ई आर सी	पी एस टी सी एल (पूर्व में पी एस ई बी) ने अगस्त, 2002 से कमीशन की गई यू एल डी सी (संयुक्त भार प्रेषण और संसूचना) स्कीम के साथ मिलकर स्टेट आफ आर्ट द एम एस/एस सी ए डी ए (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली /पर्यवेक्षणीय नियंत्रण और आंकड़ा अर्जन) प्रणाली स्थापित की है । पी एस टी सी एल ने पहले ही सभी 220 केवी तथा 132 केवी उत्पादक स्टेशनों, अन्तर राज्यिक टाई लाइनों से जुड़े 220 केवी तथा 132 केवी सब स्टेशनों तथा साथ ही महत्वपूर्ण 220 केवी सब स्टेशनों को शामिल करते हुए, 49 दूरस्थ टर्मिनल यूनिट (आर टी यू) (57 और 58 में से क्रमश: 31 अदद 220 केवी तथा 18 अदद 132 केवी) स्थापित किए हैं । इसके अलावा, शेष सभी 220 केवी सब स्टेशनों को 31.12.2011 तक शामिल किए जाने की संभावना है । 132 केवी सब स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा । 42 अदद अतिरिक्त आर टी यू का उपयन उन्नत प्रक्रम पर है और एल ओ आई से एक मास के भीतर चयनित 220 केवी सब स्टेशनों पर पायलट आर टी यू के संस्थापन के अर्हित होने वाली फर्म द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और उसके समुचित रूप से विद्यमान एस सी ए डी ए / ई एम एस के प्रणाली के साथ एकीकृत होने और एक मास तक नियंत्रण केन्द्र में ऑन लाइन आंकड़ों की लगातार उपलब्धता दिखाने के पश्चात एल ओ आई जारी किए जाने की संभावना है । पायलट आर टी यू के संस्थापन के लिए एल ओ आई प्रक्रिया में है और इसके शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है ।
12.	टी ई आर सी	त्रिपुरा में अंत: राज्य निर्बाध पहुंच अभी प्रारम्भ नहीं की गई है । अनुज्ञप्तिधारी अर्थात टी एस ई एल के अधीन एस एल डी सी कार्यरत है । एस एल डी सी का उन्नयन किया जा रहा है और यह कार्य प्रगति पर है ।

13.	यू ई आर सी	एस एल डी सी को अलग करने, इसकी घेराबंदी, इसकी बुनियादी अवसंरचना का विकास करने तथा पृथक ए आर आर फाइल करने के निदेश दिए गए हैं । यह बताया गया है कि एस एल डी सी ने अपना खाता अलग कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है ।
14.	यू पी ई आर सी	एस एल डी सी ने ए बी टी के तहत ऊर्जा यू आई लेखाकरण शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ बहु क्रेता - बहु विक्रेता यूनिट स्थापित की है । तथापि, लाइसेंसधारियों ने सूचित किया है कि रीयल टाइम ऑन लाइन डाटा विनियम प्रणाली अभी चालू नहीं हुई है । विकसित किए गए लेखाकरण सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया गया है और ए बी टी सम्बद्ध मामले में कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है । एस एल डी सी कार्य कर रहा है और पहले ही ए बी टी के तहत टी पी एस से ऊर्जा लेखाकरण संचालित कर रहा है । भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार एस एल डी सी की घेराबंदी व कार्मिक शक्ति का कार्यान्वयन किया जा रहा है । बिजली घरों (पॉवर हाउसों) के डाटा की उपलब्धता के लिए रिमोट कन्सोल चालू कर दिया गया है । ए बी टी मानिटरिंग सॉफ्टवेयर काम कर रहा है । सूचना के रीयल टाइम अन्तरण हेतु एस टी यू व अन्य प्रतिष्ठानों के बीच लिंक स्थापित किए जा रहे हैं । आयोग के दिनांक 05.03.2009 के आदेश के जरिए सभी निकाय यू आई विवक्षाओं के साथ 01.07.2009 से ए बी टी के दायरे में आ रहे हैं (ओब्रा व हर्दुआगंज पी/एस को छोड़कर) आयोग ने उतपादन विनियम, 2009 में ए बी टी उपबंध भी विनिर्दिष्ट किए हैं । इन्टरफेस प्वाइंटों जी-टी और टी-डी में ए बी टी की समनुरूप मीटर प्रणाली है ।

3. निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार तथा वितरण नेटवर्क प्रभार

एन ई पी में उपबंध :

5.3.2

गैर विभेदकारी निर्बाध पहुंच , समुचित आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ट्रांसमिश्न प्रभार की अदायगी पर लाइसेंसधारियों को आपूर्ति करने वाले प्रतिस्पर्धी उतपादकों को प्रदान की जाएगी । समुचित आयोग जून, 2006 तक अवश्य तौर पर ऐसे ट्रांसमिशन प्रभार निर्धारित करेगा ।

5.4.5

अधिनियम की धारा 49 में यह उपबंध है कि जिन उपभोक्ताओं को धरा ४२ के अधीन निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गई है वे टैरिफ सहित ऐसे निबंधन व शर्तो पर बिजली की आपूर्ति हेतु किसी भी व्यक्ति से करार कर सकते हैं जिस पर उनके द्वारा सहमति हो । वितरण में निर्बाध पहुंच के लिए विनियम बनाते समय, एस ई आर सी, अधिनियम की धारा ४२ के अधीन यथा अपेक्षित उपयोग (व्हीलिंग) प्रभार व प्रतिसहायिकी अधिभार भी निर्धारित करेंगे ।

क्रम सं	एस ई आर सी	उपयोगिता (वितरण कंपनी)	अवधि	माप की इकाई	वोल्टेज स्तर
1.	ए ई आर सी	ए पी डी सी एल	एलटीओए/एस टी ओ	एम डब्ल्यू एच	66 केवी 132 केवी 220 केवी
2.	एच ई आर सी	यू एच बी वी एल एल और डी एच बी वी एन एल	दोनों एल टी ओ ऐ और एस टी ओ ए	व्हीलिंग प्रभार @ 46 पैसे / यूनिट प्रति सहायिकी प्रभार (पैसे / यूनिट : एचटी= 72 रेल= 75 थोक प्रदाय = 78 स्ट्रीट लाइट 30	सभी वोल्टेज स्तरों पर समान दर
3.	जे एस ई आर सी	जे एस ई बी	एल टी ओ ए 0.18 रू / यूनिट	/ यूनिट	0.18 रू / यूनिट 0.14 रू / यूनिट कुल
4.	जे एण्ड के एस ई आर सी	जे एण्ड के पी डी डी	i) निर्बाध पहुंच ग्राहकों द्वारा संदेय प्रभारों के संबंध में जे एण्ड के एस ई आर सी ने अधिसूचनाएं जारी की हैं, अंतिम पुनरीक्षण अधिसूचना सं. 05/ जे एण्ड के एस ई आर सी 2010 तारीख 06.10.2010 को जारी की गई जिसमें व्हींलिंग प्रभार 914/- रू./एम डब्ल्यू/दिन नियत किया गया । ii) निर्बाध पहुंच विनियम, विनियामकों के फोरम द्वारा परिचालित आदर्श विनियमों के अनुसार पुनरीक्षित किए जा रहे हैं		

5.	के ई आर सी	उपयोगिता बीईएससीओएम एमईएससीओएम सीईएससी एचईएससीओएम जीईएससीओएम	एचटी/11केवी 10 17 17 24 21		एलटी 22 39 39 57 49
6.	जे ई आर सी (एम एंड एम)	1. पी और ई विभाग, मिजोरम विद्युत विभाग, मणिपुर र	अभी तक किसी भी उपभोक्ता ने निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन नहीं किया है ।		2.
7.	एम पी ई आर सी	एम पी आर सी के आदेश तारीख 3.3.2011 के अनुसार व्हीलिंग प्रभार 33 केवी - 0.2 रू/यूनिट ई एच टी - लागू नहीं होता ।			
8.	एम ई आर सी	एम एस ई डी सी एल टी पी सी डी आर इन्फ्रा डी	रू./के डब्ल्यू एच रू./के डब्ल्यू एच रू./के डब्ल्यू एच	0.36 0.19 0.88	0.04/0.21 0.38 0.46
		बी ई एस टी	बी ई एस टी को माननीय ए टी ई द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई है । एम ई आर सी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम भी बी ई एस टी को निर्बाध पहुंच विनियमों के क्षेत्राधिकार से विनिर्दिष्ट रूप से छूट देते हैं ।		
9.	टी ई आर सी	टी एस ई सी एल	कोई भी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता उपलब्ध नहीं है । निर्बाध पहुंच के लिए विनियम तैयार कर लिया गया है और इसे गजट में अधिसूचित किए जाने के लिए संबंधित खंड को दे दिया है ।	एम डब्ल्यू एच	66 केवी और ऊपर
10.	यू ई आर सी	यू पी सी एल	एस टी ओ ए रू./एम डब्ल्यू / दिन	वाल्टेज वार डाटा की अनुपस्थिति में आयोग व्हीलिंग और पारेषण प्रभार वोल्टेज वार अवधारित करने से बाध्य रहा । तथापि औसत व्हीलिंग प्रभार 8200.23/एम डब्ल्यू/दिन है । सन्निहित निर्बाध उपभोक्ताओं के लिए व्हीलिंग प्रभारों की संगणना विनियम में विनिर्दिष्ट रीति में की गई जो एच टी उद्योग उपभोक्ताओं के लिए 967.35/एम डब्ल्यू/ दिन और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 7562/एम डब्ल्यू/दिन आते हैं । चार वितरण कंपनियों के लिए 2009-10 के टैरिफ आदेश के अनुसार - प्रति साहयिकी प्रभार : शून्य अतिरिक्त अधिभार : शून्य समानान्तर प्रभार : शून्य संविदा मांग अधिभार : शून्य		

11.	यू पी ई आर सी	व्हीलिंग प्रभार (रू. /के डब्लू एच) एल टी ओ ए - 0.297 (संयांजित 11 केवी के ऊपर वोल्टेज स्तर) - 0.475 (11 केवी वोल्टेज स्तर पर संयोजित) एस टी ओ - 0.07 (11 केवी वोल्टेज स्तर के ऊपर संयोजित) - 0.11 (11 केवी वोल्टेज स्तर संयोजित) टिप्पण - डोर केसको मूल्य 1 पैसा कम है । एल टी ओ ए - पांच वर्ष या अधीक की अवधि एस टी ओ ए - एक वर्ष या कम की अवधि 2008-09 के टी ओ के अनुसार

		एल टी ओ	एस टी ओ
के ई एस सी ओ	11केवी के ऊपर	0.25	0.6
	11केवी पर	0.40	0.10
एन पी सी एल	11केवी के ऊपर	0.32	0.8
	11केवी पर	0.51	0.13

एल टी ओ ए - दीर्घ अवधि निर्बाध पहुंच एस टी ओ ए - लघु अवधि निर्बाध पहुंच

पारेषण प्रभार

क्रम सं.	एस ई आर सी	एल टी ओ ए (रू./मेगावाट/मास)	एस टी ओ ए (रू./मेगावाट/दिन)
1.	ए ई आर सी	265740 रू./मेगावाट/मास	8736.65 रू./मेगावाट/दिन
2.	सी एस ई आर सी	72115 रू./मेगावाट/मास (5% माल के रूप में जिसकी कटौती ऊर्जा निवेश बिंदू पर की जाएगी)	593 रू./मेगावाट/दिन (5% माल के रूप में जिसकी कटौती ऊर्जा निवेश बिंदू पर की जाएगी)
3.	जी ई आर सी	2720	680
4.	एच ई आर सी	6.06 लाख	0.28 पैसे/यूनिट
5.	एच पी ई आर सी	64967.43 रू./मेगावाट/मास	64967.43 रू./मेगावाट/मास
6.	जे एस ई आर सी	उपरोक्त	
7.	जे एण्ड के एस ई आर सी		455.0 रू./मेगावाट/दिन
8.	के ई आर सी	95646	786.13
9.	जे ई आर सी (एम एण्ड एम)	अभी अवधारित किया जाना है ।	अभी अवधारित नहीं किया गया है ।
10.	एम पी ई आर सी	2554 रू./मेगावाट/दिन	638.38/दिन
11.	एम ई आर सी	164.68 रू./किलोवाट/मास 5414 रू./मेगावाट/दिन	1353.50 रू./मेगावाट/दिन
12.	पी एस ई आर सी	* 5238	* 3143
13.	टी ई आर सी	अभी तक पारेषण प्रभारों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । किसी भी ग्राहक ने निर्बाध पहुंच प्रदाय के लिए आवेदन नहीं किया है ।	
14.	यू ई आर सी	51924.60 रू.	1730.82 रू.
15.	यू पी ई आर सी	0.094 (132 केवी से ऊपर वोल्टेज स्तर पर संयोजित) 0.126 (132 केवी वोल्टेज स्तर पर संयोजित) एस एल डी सी प्रभार पारेषण प्रभारों में सन्निहित / एस एल डी सी फीस	0.04 (132 केवी से ऊपर वोल्टेज स्तर पर संयोजित) 0.05 (132 केवी वोल्टेज स्तर पर संयोजित) एक लाख रू. (पांच वर्ष या अधिक अवधि के लिए वार्षिक फीस)

* पारेषण और व्हीलिंग प्रभार

4. कुल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियां संबंधी समयबद्ध कार्यक्रम

एनईपी में उपबंध

5.4.6 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों को अलग-अलग करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । प्रत्येक निर्धारित यूनिट में एस ई आर सी एस द्वारा यथा तय ऊर्जा लेखांकन व इसके परिणाम की घोषणा मार्च, 2007 तक करना अनिवार्य है । पर्याप्त निवेशों तथा प्रशासन में उपयुक्त सुधारों के साथ हानियों में कमी की कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए । समय-समय पर, विश्वसनीयता व आपूर्ति की गुणवत्ता व साथ ही हानि के स्तर के मानक भी विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए ताकि इन्हें वर्ष 2012 तक अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप बनाया जा सके ।

			हानि में कमी समछेदी					
क्रम सं.	एसईआरसी	उपयोगिता	वर्ष (%)					
		वितरण कंपनी	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	एईआरसी	एपीडीसीएल	28.84%	27.36%	25.05%	24.24%	22.65%	21.60%
2.	सीएसईआरसी	सीएसपीडीसीएल	43.96%	41.92%	39.32%	41.52%	35.28%	34.0%
3.	एचईआरसी	यूएचबीवीएलएल और डीएचबीवीएनएल	32.3%	30.5%	28.05%	26%	23%	23%
5.	जेएसईआरसी	जेएसईबी (टी एण्ड डी) लक्ष्य	38.66%	36.66%	32.66%	28.66%	24.66%	20.66%
		उपलब्धि	47.62%	42.86%	42.73%	42.79%	36.51%	34.62%
6.	जे एण्ड के एसईआरसी	जे एण्ड के पीडीडी					67.60%	60%
7.	केईआरसी	बीईएससीओएम				16.72%	15.09%	14.55%
		जीईएससीओएम				26.01%	25.53%	22.06%
		एचईएससीओएम				25.15%	20.86%	19.85%
		एमईएससीओएम				12.95%	12.64%	11.92%
		सीईएससी				17.35%	16.42%	15.48%
		हुकेरी आईसीएस				15.38%	15.19%	15.15%

8.	जेईआरसी (एम एण्ड एम)	विद्युत विभाग, मणिपुर					50.77%	47.00%
		पी और ई विभाग, मिजोरम					41.40%	35.00%
9.	एमपीईआरसी	एम पी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल		34.5%	32.5%	29.5%	26.5%	30%
		एम पी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल		30%	28.5%	27%	25.5%	26%
		एम पी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल		43%	40%	37%	34%	33%
10.	एमईआरसी (वितरण हानियां)	एमएसईडीसीएल	लक्ष्य	31.7%	26.2%	22.2%	18.2%	17.2%
			प्राप्त	30.2%	24.09%	21.98%	20.60%	
		आर इन्फ्रा डी	लक्ष्य	12.10%	11.00%	10.75%	10.50%	10.25%
			प्राप्त	11.85%	11.04%	10.16%	10.08%	-
		बीईएसटी	लक्ष्य	11.50%	11.00%	10.50%	10.00%	9.50%
			प्राप्त	11.90%	10.27%	9.29%	9.21%	-
		टीपीसीडी	लक्ष्य	2.93%	2.93%	0.66%	0.66%	0.66%
			प्राप्त	-	2.21%	0.67%	0.59%	1.13%
11.	पीएसईआरसी	पीएसईबी *	22.00%	20.75%	19.50%	19.50%	22.00%	20.00%
12.	टीईआरसी	टीएसईसीएल	41.45%	40.90%	38.03%	34.99%	31.49%	27.71%
13.	यूईआरसी	यूपीसीएल	32.32%	28.32%	24.32%	22.32%	20.32%	19.00%
		टिप्पण : आयोग एटी एण्ड सी हानि के बजाए यूपीसीएल के लिए वितरण हानियां उनुमोदित करता है ।						
14.	यूपीईआरसी	यूपीपीसीएल	23.9% लक्ष्य के विरूद्ध 34.2% प्राप्त किया गया ।					
		केईएससीओ	लक्ष्य 30.47% था जिसके विरूद्ध 37.72% प्राप्त किया गया ।					

* अब पीएसपीसीएल (उत्पादन और वितरण कृत्यों के लिए) और पीएसटीसीएल (पारेषण कृत्यों के लिए) में द्विभाजित ।

5. मीटरिंग योजनाएं

एनईपी में उपबंध :

5.4.9 अधिनियम के अधीन सभी उपभोक्ताओं के दो वर्ष के भीतर मीटर लगाए जाने आपेक्षित हैं । एसईआरसीएस के वितरण लाइसेंसधारियों से उनकी मीटरिंग योजनाएं प्राप्त करनी चाहिए, इनका अनुमोदन करना चाहिए व उनकी निगरानी करनी चाहिए । एसईआरसीएस को पूर्व संयंत्र मीटरों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए । पहल के रूप में कम से कम एक एमवीए के लोड वाले प्रमुख उपभोक्ताओं के लिए टीओडी मीटरों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा । एसईआरसीएस को किसी स्वतंत्र अन्य पक्ष द्वारा मीटर के परीक्षण के प्रबंध भी करने चाहिए ।

क्रम सं.	एसईआरसी	मीटरिंग योजना
1.	एईआरसी	पायलट परियोजनाओं में पूर्व संदत्त मीटरों का उपयोग होता है और टीओडी मीटरों को उच्चतर एच टी प्रवर्ग में प्रोत्साहित किया जाता है ।
2.	सीएसईआरसी	100% मीटरीकृत
3.	जीईआरसी	कृषि उपभोक्ताओं को छोडकर उपभोक्ताओं के सभी प्रर्वग 100% मीटरीकृत हैं ।
4.	एचईआरसी	वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को सीईए मीटरिंग विनियम के अनुसार मीटर उपलब्ध कराने के निदेश दिए गए हैं ।
5.	एचपीईआरसी	
6.	जेएसईआरसी	आयोग ने जेएसईबी के वित्त वर्ष 2010-11 के टैरिफ आदेश में अनुज्ञप्तिधारियों को आगामी टैरिफ याचिका के साथ अनेक नेटवर्क स्तरों पर लगाए जाने वाले मीटरों के तकनीकी विनिर्देशों के साथ विस्तृत मीटरिंग योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने के निदेश जारी किए हैं । यह भी निदेश दिया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मीटरिंग योजना टी एण्ड डी हानि में कमी योजना के साथ लागू की गई है । आयोग द्वारा तृतीय पक्ष मीटर जांच व्यवस्था पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है । इसके उत्तर में जेएसईबी ने एक मीटरिंग योजना बनाई है जिसमें निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं :- (अ) बिना मीटर के कनक्शनों में मीटर लगाना : - आरजीजीवीवाई स्कीम के अन्तर्गत कुटीर ज्योति प्रवर्ग के अधीन वीपीएल उपभोक्ताओं को कनक्शन केवल मीटर के साथ जारी किए जाएंगे । - जेएसईबी ने अभी तक 4,36,106 कनक्शन इस स्कीम के अन्तर्गत जारी किए हैं । सभी कनक्शन मीटरों के साथ दिए गए हैं । - जेएसईबी ने दोषयुक्त मीटरों को बदलने के लिए 50,000 मीटर भी क्रय किए हैं । इनमें से 5000 मीटर प्रथम चरण में कुटीर ज्योति कनकशनों के विरूद्ध ग्रामीण क्षेत्रों मे संस्थापित किए जाने के लिए आबंटित किए गए हैं । - जेएसईबी का लक्ष्य मार्च, 2012 तक घरेलू / वाणिज्यिक और सिंचाई तथा कृषि प्रवर्ग के उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराने का है । (आ) दोषयुक्त मीटरों का बदला जाना : - जेएसईबी के पास नगरीय क्षेत्र में लगभग 80,000 दोषयुक्त मीटर हैं जिन्हें दिसंबर, 2011 तक बदले जाने की योजना है । - जेएसईबी ने जले हुए / दोषयुक्त / रूके हुए मीटरों को बदलने के लिए उपभोक्ताओं को प्रात्साहित करने हेतु प्रोत्साहन स्कीम प्रारम्भ की है । इसके उत्तर में उपभोक्ताओं से 3806 मीटर प्राप्त हुए जिन्हें पहले ही बदला जा चुका है ।

7.	जे एण्ड के एसईआरसी	जम्मू और कश्मीर विद्युत अधिनियम, 2010 के अनुसार पीडीडी (उपयोगिता) से अप्रैल, 2012 के अंत तक 100% मीटरिंग पूरा करने की अपेक्षा की गई है । साथ ही आर एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत आने वाले जम्मू और श्रीनगर राजधानी नगरों सहित राज्य के 30 नगरों में आने वाले संस्थापनों में 100 प्रतिशत मीटर जून, 2011 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । उपयोगिता ने टी ओ डी टैरिफ प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव किया है और आयोग द्वारा इसकी जांच भी की जा रही है ।
8.	केईआरसी	वितरण कंपनियों ने आईपी सेटों और भाग्य जयोति (बीजे) / कुटीर ज्योति (केजे) को छोड़कर सभी संस्थापनों के लिए मीटर लगाए हैं । वितरण कंपनियों द्वारा अभी विशिष्ट मीटरिंग योजना प्रस्तुत नहीं की गई है । 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार बीजे/केजे संस्थाननों की मीटरिंग के प्रतिशत की स्थिति इस प्रकार है : बीजे/केजे — आईपीसेट बीईएससीओएम 95.12% 9.31% एमईसीओएम 90.84% 93.43% सीईएससी 100.00% 20.65% एचईएससीओएम 83.41% 30.02% जीईएससीओएम 72.89% 25.65% * सीईएससी के लिए आईपी सेट आंकड़े वित्तीय वर्ष 2010 के लिए हैं ।
9.	जेईआरसी (एम एण्ड एम)	100 प्रतिशत मीटर लगाने की योजना (पूरा करने की अनंतिम तारीख) मणिपुर : मार्च, 2013 मिजोरम : मार्च, 2012

10.	एमपीईआरसी	आयोग पहले ही इस मुद्दे पर वितरण कंपनियों से बातचीत कर चुका है और वितरण कंपनियों को निदेश दिया है कि :- i. नगरीय क्षेत्रों में बिना मीटर वाले सभी घरेलू कनक्शनों को सितम्बर, 2011 के अंत तक मीटर उपलब्ध करा दिये जाएं । ii. ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर वाले सभी कनक्शनों को चरण बद्ध तरीके में मीटर उपलब्ध कराए जाएं और मीटरीकरण निम्नानुसार पूरा किया जाए :- क. 25% बिना मीटर वाले उपभोक्ता सितंबर, 2011 के अंत तक ; ख. 60% बिना मीटर वाले उपभोक्ता दिसंबर, 2011 के अंत तक ; ग. 100% बिना मीटर वाले उपभोक्ता मार्च, 2012 के अंत तक । iii. कंपनी के समुचे क्षेत्र में फेले मुख्यत : कृषि भार वाले वितरण ट्रांसफारमरों को मीटर चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएं और मीटरीकरण निम्नानुसार पूरा किया जाए :- क. ऐसे कुल डीटीआर के 25% सितंबर, 2011 के अंत तक ; ख. ऐसे कुल डीटीआर के 60% दिसंबर, 2011 के अंत तक ; ग. ऐसे कुल डीटीआर के 100% मार्च, 2012 के अंत तक ।
11.	एमईआरसी	i. एमएसईडीसीएल क्षेत्र में कृषि कनक्शनों को छोडकर महाराष्ट्र में सभी विद्युत कनक्शनों में मीटर लगाए गए हैं । लगभग 15 लाख कृषि उपभोक्ताओं को अभी मीटर दिए जाने शेष है ; ii. आयोग ने 2009 के मामला 76 में 26 अप्रैल, 2010 के अपने आदेश द्वारा पायलट आधार पर पूर्व संदत्त ऊर्जा मीटरों के संस्थापन के लिए एमएसडीसीएल के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है । 25000 पूर्व संदत्त मीटरों का प्रस्तावित नमूना आकार अनुमोदित कर दिया गया है और इसके अंतर्गत एलटी एकल फेस आवासीय उपभोक्ता एलटी वाणिज्यिक प्रवर्ग उपभोक्ता और एलटी अस्थाई प्रवर्ग उपभोक्ता आएंगे ।
12.	पीएसईआरसी	ए पी के अलावा सभी कनक्शनों में मीटर हैं । नमूना मीटरों द्वारा रिकार्ड की गई रीडिंग के आधार पर ए पी उपभोक्ताओं द्वारा खपत का निर्धारण किया जा रहा है । अनुज्ञप्तिधारी ए पी कनक्शनों के विरूद्ध मीटर संस्थापित करने से इस कारण हिचकिचा रहा है कि ए पी कनक्शनों को 100 प्रतिशत मीटर उपलब्ध कराने में भारी आरम्भिक विनिधान की आवश्यकता होगी और 11 लाख से अधिक ए पी उपभोक्ताओं के मीटरों की मासिक रीडिंग लेने के लिए भी व्यय अपेक्षित होगा । आयोग प्रत्येक टैरिफ आदेश में विद्युत अधिनियम, 2003 में दिए गए आज्ञापन को ध्यान में रखते हुए 100% मीटर उपलब्ध कराने के निदेश जारी करता रहता है ।

13.	टीईआरसी	अनुज्ञप्तिधारी अर्थात टीएसईसीएल ने अपना वाणिज्यिक कार्य अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ किया । गत पांच (5) वर्षो के दौरान निगम ने 100% उपभोक्ता मीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मीटर क्रय किए :- 2005-06 1,25,000 अदद 2006-07 30,000 अदद 2007-08 1,00,000 अदद 2009-10 43,000 अदद 2010-11 शून्य 2011-12 1,00,000 अदद के लिए निविदा 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की कुल संख्या 4,87,742 है जिनमें से 54,704 उपभोक्ता कुटीर ज्योति प्रवर्ग के हैं । सभी कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराए गए हैं । यदि कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं की खपत मंजूर की गई (21 के डब्ल्यू एच प्रति मास) से अधिक हो जाती है तो समुचित नियमित टैरिफ प्रभारित किया जाएगा । 1 एम वी ए का न्यूनतम भार रखने वाले उपभोक्ता बहुत कम हैं तथापि टी ओ डी मीटर के 1400 अदद वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान टी गार्डन आदि जैसे एच टी उपभोक्ताओं के लिए उपाप्त किए गए हैं ।
14	यूईआरसी	100 प्रतिशत मीटरिंग के लिए निदेश जारी किए गए । 25 के डब्ल्यू से अधिक भारों और सभी एच टी उपभोक्ताओं के लिए टी ओ डी कार्यान्वित किए गए । 30.06.2010 की स्थित के अनुसार मीटर वाले उपभोक्ताओं की प्रतिशतता 98.24% है ।
15.	यूपीईआरसी	सभी 11 के वी पोषकों में मीटर लगाए गए हैं, बड़े और भारी विद्युत उपभोक्ताओं (एच वी 2) के लिए टी ओ डी मीटर लगाए गए हैं । 100 प्रतिशित मीटर लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं, वितरण कंपनियां सभी उपभोक्ताओं के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगा रही । 25 कि.वा./एचपी से ऊपर के सभी कनक्शनों के लिए टीवीएम/टीओडी मीटर के लिए टैरिफ आदेश में उपबंध । 45 कि.वा. से ऊपर के सभी सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में पूर्व संदत्त मीटरों के लिए आयोग के दिशा-निर्देश ।

6. एचवीडीएस, एससीएडीए तथा डाटा आधारित प्रबंधन का कार्यान्वयन

एन इ पी में उपबंध :

5.4.11 उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली तकनीकी क्षति कम करने, चोरी रोकने, संशोधित वोल्टेज प्रोफाइल और बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए एक प्रभवी तरीका है । तकनीकी आर्थिक तर्को को ध्यान में रखते हुए एल टी / एच टी अनुपात को कम करने के लिए इसे बढ़ाया दिया जाना चाहिए ।

5.4.11 एस सी ए डी ए एवं डाटा प्रबंधन प्रणालियों, वितरण प्रणालियों के सफल कार्यकरण के लिए लाभकारी हैं । एस सी ए डी ए व डाटा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एक समय निर्धारित कार्यक्रम वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से प्राप्त किया जाना चाहिए तथा तकनीकी-आर्थिक तर्को को ध्यान में रखते हुए एस ई आर सी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए । उप केन्द्र स्वचालन उपकरण चरणबद्ध तरीके से संस्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिएं ।

क्रम सं.	एईआरसी	एसवीडीएस	एससीएडह व डाटा आधारित प्रबंधन
1.	एईआरसी	--	आंकड़ा अर्जन पूरा कर लिया गया है और नियंत्रण प्रगति में है ।
2.	सीएसईआरसी	कार्यान्वयन के अधीन	
3.	जीईआरसी	एससीएडीए पर कार्यान्वयन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। हानियों में प्रभावी कमी के लिए एमजीवीसीएल,यूजीवीसीएल, डीजीवीसीएल और पीजीवीसीएल में एचवीडीएस कार्यान्यवयन पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है ।	
4.	एचईआरसी	एचवीडीसी, एससीएडीए और डाटा आधार प्रबंधन कार्यान्वयन की प्रक्रिया के अधीन बताए गए हैं ।	
5.	जे एण्ड के एस ई आर सी	उपयोगिता एपीडीआरपी के अधीन श्रीनगर में दो पायलट परियोजनाएं पहले ही पूरी कर चुकी है और इस समय दो और एक श्रीनगर में और एक कटरा (जम्मू) में निष्पादित कर रही हैं । अन्य क्षेत्रों को आर एपीडीआरपी के भाग ख के अन्तर्गत लाया जा रहा है जिसके लिए उपयोगिता द्वारा तैयारियां की जा रही हैं ।	राज्य के 30 कस्बों/शहरों को सम्मिलत करते हुए आर एपीडीआरपी स्कीम के अधीन एससीएडीए और डीबीएम प्रणाली उपलब्ध कराई जा रही है । स्कीम के अन्तर्गत कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है और इसके 18 महीनों में पूरा होने की संभावना है ।
6.	केईआरसी	केईआरसी,एलटी/एचटी अनुपात को मानीटर कर रहा है । इसके साथ ही एस्कोम्स ने " निरंतर ज्योति स्कीम" के माध्यम से आईपी सेटों की आपूर्ति करने वाले पोषकों का पृथक्करण शुरू कर दिया है ।	केपीटीसीएल ने एकीकृत एससीएडीए स्कीम के अन्तर्गत एससीएडीए के उन्नयन का काम शुरू कर दिया है । डाटा आधारित प्रबंधन के लिए एस्कोम्स ने एमआईएस के कार्यान्वयन के लिए कम्पयूट्रीकरण शुरू किया है तथा आयोग प्रास्थिति को मानिटर कर रहा है ।

7.	जेईआरसी (एम एण्ड एम)	दोनों राज्यों में अभी प्रारम्भ किया जाना है ।	
8.	एमपीईआरसी	केपेक्स योजना, जिसमें पहचान किए गए क्षेत्रों में एचपीडीएस भी सम्मिलित है, का अनुमोदन हो गया है ।	वितरण कंपनियों द्वारा प्रारम्भ किया जाएगा ।
9.	एमईआरसी	हानियों में प्रभावी कमी के लिए एमएसईडीसीएस क्षेत्र में एचपीडीएस कार्यान्यवयन, एपीडीआरपी / आरएपीडीआरपी बी / अवसंरचना स्कीम के माध्यम से किया जा रहा है ।	एमसीएडीए / डीएमएस और डाटा आधारित प्रबंधन का कार्यान्वयन एमएसईडीसीएल क्षेत्र में आर ए पीडीआरपी द्वारा किया जा रहा है । एससीएडीए / डीएमएस प्रणाली का कार्यान्वयन बीईएसटी और आर इन्फ्रा डी अनुज्ञप्त क्षेत्र में पहले ही हो चुका है जबकि टीपीसीडी क्षेत्र में लगभग 50% उपभोक्ता उपकेन्द्रों के पास एससीएडीए है और 100% वितरण उपकेन्द्रों में वर्तमान वर्ष में स्वचालित बनाया जा रहा है ।
10.	पीएसईआरसी	पंजाब राज्य में अनुज्ञप्तिधारी ने एपी प्रवर्ग के लिए एचवीडीएस के कार्यान्वयन की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है । मार्च, 2011 के अंत तक कुल 150347 एपी कनक्शनों को एलटी वितरण प्रणाली से एचवीडीएस में परिवर्तित कर दिया गया है । जून, 2011 तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुल 189037 एपी कनक्शनों को परिवर्तित करने की योजना है । शेष एपी कनक्शनों के लिए स्कीमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।	आर ए पी डी आर स्कीम के अर्न्तगत पंजाब राज्य में तीन कस्बों (लुधियाना, जालंधर और अमृतसर) एलसीएडीए /डीएमएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पात्र हैं । इस के लिए बोली प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा एससीएडीसीए /डीएमएस के संस्थापन के लिए कार्य-आदेश-सह-संविदा करार पीएससीसीएल द्वारा मैसर्स एनडीपीएल, नई दिल्ली को दिया गया है ।

11.	टीईआरसी	एपीडीआरपी स्कीम के अर्न्तगत 239.07 कि.मी. 11 केवी लाइन, 448 अदद वितरण ट्रांसफारमर, 5 अदद 33/11 केवी उपकेन्द्र, 4 कि.मी. 11 केवी यूजी केबल पूरे किए जा चुके हैं । पश्चिमी त्रिपुरा जिले को सम्मिलित करते हुए एससीएडीए / डीएमएस का 70% कार्य पूरा हो चुका है ।	
12.	यूईआरसी	आयोग ने 75 के डब्ल्यू से अधिक सभी भारों के एचटी पर निदेश दिए हैं ।	केन्द्रीकृत व्यवसायिक डाटा-आधारित एमआईएस अनुज्ञप्तिधारी पर कार्यान्वित किया जा रहा है और प्रभागीय एमआईएस के एकीकरण का कार्यान्वयन प्रगति पर है । वितरण कंपनियों ने आयोग के निर्देशानुसार उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं के लिए एएमआर और डाटा लागिंग के लिए परियोजना शुरू की है । कुछ मंडलों में उपभोक्ता पृष्ठांकन और जीआईएस मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है और अन्य मंडलों में चल रहा है ।
13.	यूपीईआरसी	एचटी टैरिफ दर निर्धारित कर दिए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को उच्चतर वोल्टेज की आपूर्ति का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । एचपीडीएस ग्रामीण नेटवर्क के लिए स्वीकार किया गया है ।	एससीएडीए और डाटा आधारित प्रबंधन सभी थर्मल और हाइड्रो विद्युत केन्द्रो, 400 केवी और 200 केवी पारेषण प्रणली और कुछ ग्रिड 132 केवी उपकेन्द्रो पर उपलब्ध हैं । तथापि एससीएडीए के कार्य क्षेत्र के अंर्तगत 132/33 केवी के सभी उपकेन्द्रों को वास्तविक समय एससीएडीए के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

7. कार्य पालन के लिए संनियम

एन ई पी में उपबंध :

5.13.1 समुचित आयोग को, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, संबंधी पूर्व निर्धारित सूचकांक पर आधरित विद्युत प्रतिष्ठानों को नियंत्रित करना चाहिए । पेरामीटर्स में अन्य के साथ-साथ, अवरोध की आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) और अवधि, वोल्टेज पैरामीटर्स, हार्मोनिक्स, ट्रांसफार्मर विफलता दर, आपूर्ति बहाल हाने के लिए प्रतीक्षा, खराब मीटरों का प्रतिशत और नए कनेक्शनों की प्रतिक्षा सूची शामिल हैं । यथोचित आयोग को, निपादन के वांछित मानकों का विशेष उल्लेख करना होगा ।

क्रम सं.	एसईआरसी	एसओपी अधिसूचना की तारीख	सारांश
1.	एईआरसी	05.08.2004	आयोग विनियमों में वर्णित मानकों के विरूद्ध कार्यपालन का पुनर्विलोकन करता है ।
2.	सीएसईआरसी	05.07.2006	विद्युत के वितरण में कार्यपालन के मानक, विनियमों के माध्यम से आयोग द्वारा अधिकथित किए गए हैं । इन विनियमों के अधीन दोष के मामले में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रतिकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है । इसे विनियमों में भी विनिर्दिष्ट किया गया है । उपयोगता ने उपभोक्ताओं के दावे करने वाले अधिकारियों को पदनामित किया है । प्रतिकर के भुगतान का निपटारा करने के लिए उपयोगिता द्वारा विभिन्न स्तरों पर शक्तियां समनुदेशित की गई हैं । आयोग इन उपबंधों का प्रचार पर्याप्त रूप से कर रहा है और उसने उपभोक्ताओं की आम जागरूकता के लिए प्रत्येक वितरण केन्द्र में इस स्कीम और प्रतिकर के भुगतान के तरीके को पोस्टरों के माध्यम से प्रदर्शित करने की सलाह दी है ।
3.	जीईआरसी	अधिसूचना सं. 2005 की 10 तारीख 31.3.2005 द्वारा	उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित मानकों के विरूद्ध आयोग अनेक वितरण कंपनियों के कार्य पालन का पूनर्विलोकन करता है । आयोग, वितरण के लिए एस ओ पी विनियमों के उपबंधों के अधीन अपेक्षित तिमाही रिपोर्ट ब्यौरों के साथ प्राप्त करता है ।
4.	एचईआरसी	16.07.2004	विनियमों के अनुसार ।
5.	एचपीईआरसी	08.10.2004 (वर्ष 2005 में अधिसूचित एवं एस ओ पी विनियमों को निरसित करके)	आयोग तिमाही/वार्षिक आधार पर मानकों के संबंध में अधिसूचित उपयोगिता की रिपोर्टो की मानिटरिंग कर रहा है, अर्थात - प्रचालानात्मक मंडल-वार टी और डी हानियां, विश्वसनीयता सूचकांक, डीटीआर विफलताएं, दोषयुक्त मीटरों की प्रतिशतता और प्रदाय के पुन : स्थापना के लिए समय, वालटेज की समस्या आदि जैसे सेवा कार्य पालन मानक ।

6.	जेएसईआरसी	अधिसूचना सं. 0438 तारीख 17.8.2005	कार्यपालन के मानक के लिए संनियम और प्रत्येक मामले में दोष के लिए उपभोक्ताओं को प्रतिकर का स्तर एन ई पी के अधीन यथा अपेक्षित रूप से विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।
7.	एसईआरसी	19.06.2006	दक्ष, विश्वसनीय, समन्वित और किफायती विद्युत वितरण प्रणाली और खुदरा प्रदाय उपलब्ध कराने के लिए कुछ जटिल वितरण प्रणाली के मानदंडों को बनाए रखने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत अधिकथित करने वाले जे एण्ड के एस ई आर सी (वितरण कार्य पालन मानक) विनियम प्रवर्तन में हैं ।
8.	केईआरसी	10 जून, 2004	विनियम जारी कर दिए गए ।
9.	जेईआरसी (एम एण्ड एम)	25.06.2010 (आयोग द्वारा)	मणिपुर गज़ट में 26 अगस्त, 2010 को प्रकाशित । मिजोरम गज़ट में 2 जुलाई, 2010 को प्रकाशित ।
10.	एमपीईआरसी	26.09.2005	अंतिम बार 18.09.2006 को संशोधित ।
11.	एमईआरसी	20.01.2005	एस ए आई डी आई, एस ए आई एफ आई सी, सी ए आई डी आई जैसे मानदंड वार्षिक आधार पर सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने-अपने कार्य पालन क्षेत्रों के संबंध में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और प्रतिवर्ष एम ई आर सी द्वारा उनका प्रकाशन किया जा रहा है । कार्यपालन के मानकों को पूरा न करने में विफलता के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को संदेय प्रतिकर का स्तर महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधरी के कार्य पालन के मानक, प्रदाय देने के लिए अवधि और प्रितकर का अवधारण) विनियम, 2005 के परिशिष्ट ' क ' में विनिर्दिष्ट हैं । प्रदाय चालू करने के लिए अपेक्षित समयावधि, प्रदाय का पुन: स्थापन, एल/एच टी वोल्टेज में बदलाव के निर्देष से प्रदाय की कवालिटी, जले मीटर की स्थिति में प्रदाय का पुन : स्थापन, ऐसे उपभोक्ता का पुन : कनेक्शन जिसका कनेक्शन छह मास से कम अवधि के लिए काटा गया है, मीटर की रीडिंग, नाम में परिवर्तन और टैरिफ प्रवर्ग में परिवर्तन अंतिम बकाया का उपभोक्ता को भुगतान जैसे मानकों को पूरा करने में विफलता के लिए उपभोक्ता को संदेय प्रतिकर के स्तर के लिए उपबंध बनाए गए हैं । अनुज्ञप्तिधारियों के कर्मचारियों द्वारा नाम का टेग पहनने का उल्लंघन और मांगे जाने पर उपनी पहचान या प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी उपबंध बनाए गए हैं ।

12.	पीएसईआरसी	29.06.2007	कार्य-पालन के मानक (एस ओ पी), पीएसईआरसी (विद्युत प्रदाय संहिता और संबंधित मामले) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं जो 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी हैं और तारीख 29 जून, 2007 की अधिसूचना सं. पीएसईआरसी/सचिव/वि. 31 के अधीन अधिसूचित और तारीख 27 जून, 2007 को राज्य के गज़ट में प्रकाशित किए गए हैं ।
13.	टीईआरसी	11.01.2005	राज्य आयोग ने वितरण क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी के लिए एस ओ पी विनियम वर्ष 2005 में जारी किए हैं जिनमें इस विनियम के अननुपालन के लिए प्रतिकर का भी उल्लेख किया गया हे । इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग समय-समय पर तिमाही कार्य-पालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी से अनुरोध करता रहता है ।
14	यूईआरसी	17.04.2007	उपभोक्ता सेवाओं के विलंब के लिए प्रतिकर और जुर्माने का भुगतान भी विनियम में अधिसूचित किया गया है । वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एस ओ पी पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है । यू ई आर सी उपभोक्ताओं के बीच एस ओ पी के संबंध में जागरूकता भी फैला रहा है।
15.	यूपीईआरसी	फरवरी, 2005	एस ओ पी, विद्युत प्रदाय संहिता में फरवरी, 2005 से सम्मिलित और अधिसूचित है । कुछ मानकों का पालन न करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रतिकर दिए जाने को भी संहिता के अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रभावी बनाया गया है । शेष मानकों के लिए जुर्माने चरणबद्ध रूप से प्रभावी बनाए गए हैं । कार्यान्वयन मुद्दे और प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं सभी वितरण कंपनियों में प्रवर्तित की जा रही हैं ।

8. सीजीआर फोरम एवं ओम्बड्स्मेन की स्थापना

एनईपी में उपबंधः

5.13.3. यह सलाह दी जाती है कि सभी राज्य आयोगों को अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शिकायत निवारण फोरम की स्थापना करने के संबंध में और साथ ही ओम्बड्स्मेन के संबंध में विनियम के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए तथा छः माह के अंदर ओम्बड्स्मेन को नियुक्त करना चाहिए ।

क्र.सं.	एस ई आर सी	सी जी आर विनियम	सारांश
1.	एईआरसी	22.12.2003 को अधिसूचित और कार्यान्वित	वर्तमान में तीन सीजीआर कार्य कर रहे हैं । नवम्बर,2009 से पूर्णकालिक ओम्बड्स्मेन कार्य कर रहा है ।
2.	सीएसईआरसी	2004 में अधिसूचित और 2009 में संशोधित	आयोग ने 2004 में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण और फोरम तथा विद्युत ओम्बड्स्मेन की स्थापना विनियम अधिसूचित किए थे जिनमें व्यापक संशोधन किए गए और इन्हें उपभोक्ता शिकायतों का निवारण विनियम, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । इन विनियमों के अधीन, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में शिकायत निवारण फोरम स्थापित किए गए हैं । दो अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों अर्थात् मैसर्स भिलाई स्पात संयंत्र और मैसर्स जिंदल स्पात और विद्युत लि. ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में फोरम स्थापित किए हैं । फोरम द्वारा उन्हें प्राप्त और निपटाए गए मामलों के ब्यौरे आयोग और ओम्बड्स्मेन देना अपेक्षित है । आयोग और ओम्बड्स्मेन दोनों, फोरम में फाइल की गई शिकायतों की प्रगति को मानीटर करते हैं । आयोग, फोरम के कार्यकरण, उन्हें प्राप्त शिकायतों की किस्म और उनके निपटारे के संबंध में चर्चा करने के लिए नियमित अंतरालों पर फोरम के साथ बैठक करता है । आयोग द्वारा विद्युत ओम्बड्स्मेन की नियुक्ति की गई और वह 2005 से कार्य कर रहा है ।
3.	जीईआरसी	2004 की अधिसूचना सं. 4 तारीख 25.08.2004 द्वारा	आयोग इनके कार्यपालन की समीक्षा तिमाही रिपोर्ट और आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से करता है ।

4.	एचईआरसी	12.04.2004	विनियमों के अनुसार
5.	एचपीईआरसी	2003 और 2004	एचपीईआरसी (विद्युत ओम्बड्स्मेन) विनियम, 2004 और एचपीईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के स्थापना संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2003 लागू हैं और उक्त विनियममों के अनुसरण में स्थापित कार्यालय कार्य कर रहे हैं ।
6.	जेएसईआरसी	सीजीआर विनियम तारीख 6.04.2005 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए ।	झारखंड में सभी अनुज्ञप्तिधारियों ने सीजीआर फोरम स्थापित किए गए हैं और वे काम कर रहे हैं । ओम्बड्स्मेन की भी नियुक्ति की गई है ।
7.	जे एण्ड के एसईआरसी	06.10.2010	जे एण्ड के एसईआरसी (विद्युत ओम्बड्स्मेन) विनियम, 2010 और जे एण्ड के एसईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोर के स्थापना संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2010 क्रमशः अधिसूचना सं. 03/ जे एण्ड के एसईआरसी/2010 तारीख 06.10.2010 और सं.4/ जे एण्ड के एसईआरसी तारीख 06.10.2010 द्वारा अधिसूचित किए गए ।
8.	केईआरसी	10 जून, 2004	सभी पांच वितरण कंपनियों में सीजीआर का गठन किया गया । आयोग ने ओम्बड्स्मेन की नियुक्ति की ।
9.	केएसईआरसी		
10.	जेईआरसी (एम एण्ड एम)	सीजीआरएफ 18.06.2010 को अधिसूचित	दो सीजीआरएफ, एक मणिपुर में और एक मिजोरम में गठित किए गए ।
		ओमबड्स्मेनः 02.07.2009 को अधिसूचित	मणिपुर और मिजोरम दोनों राज्यों के लिए 02 जुलाई, 2009 को ओम्बड्स्मेन पदनामित किया गया ।
11.	एमपीईआरसी	पहले 30.04.2004 को अधिसूचित बाद में 28.08.2009 को पुनरीक्षित	फोरम और ओम्बड्स्मेन वित्तीय वर्ष 2004-05 से कार्य कर रहे हैं ।

12.	एमईआरसी	20.40.2006	क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5) और 42 (6) के अनुसरण में एमईआरसी ने " महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत ओम्बड्स्मेन) विनियम, 2006 बनाए जिन्होंने महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत ओम्बड्स्मेन) विनियम, 2003 के नाम से ज्ञात 2003 में बनाए गए विनियमों को अधिक्रान्त किया । ख) विनियम तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का उपबंध करते हैं, जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी का कोई उपभोक्ता जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा में कमी के कारण व्यथित हो, प्रथमतः अपने क्षेत्र के आईजीआर प्रकोष्ठ में संपर्क करेगा, यदि वहां पर इसका समाधान नहीं हो तो वह अपनी शिकायत अपने जोन के सीजीआरएफ में फाइल करेगा और यदि वह सीजीआरएफ के विनिश्चय से संतुष्ट न हो तो वह ओम्बड्स्मेरन के पास जा सकेगा । ग) तद्नुसार, प्रत्येक वितरण कंपनी ने अपना सीजीआरएफ गठित किया है/किए हैं । तीन वितरण कंपनियों अर्थात् बीईएसटी, आर इन्फ्रा डी और टीपीसी का अपना एक-एक सीजीआरएफ हैं, जबकि एमएसईडीसीएल के, प्रचालन का बड़ा क्षेत्र होने के कारण 11 सीजीआरएफ हैं । अतः वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में कुल मिलाकर 14 सीजीआरएफ हैं । घ) विद्युत ओम्बड्स्मेन का पद 27 दिसम्बर, 2004 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (6) के अधीन सृजित किया गया था और इसने 25 जनवरी, 2005 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था । एमईआरसी राज्य में एक और ओम्बड्स्मेन के प्रावधान पर विचार कर रहा है जिसके होने से उपभोक्ता, ओम्बड्स्मेन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए लम्बी दूरी की यात्रा करने से बच सकेंगे । ड.) पूर्व के ओम्बड्स्मेन द्वारा अपना कार्यकाल पूरा कर लिए जाने के पश्चात् 20 जनवरी, 2011 को नए ओम्बड्स्मेन की नियुक्ति की गई है । च) विद्युत ओम्बड्स्मेन और सीजीआरएफ राज्य में प्रभाव रूप से कार्य कर रहे हैं ।

13.	पीएसईआरसी	पीएसईआरसी ने फोरम व ओम्बड्स्मेन विनियम, 2005 तैयार किए	1) सीजीआरएफ, शक्ति सदन, द मॉल, पटियाला में 01.08.2006 से काम कर रहा है । 2) पीएसईआरसी द्वारा ओम्बड्स्मेन विद्युत पंजाब, चण्डीगढ़ नियुक्त किया गया है और यह 11.09.2006 से काम कर रहा है ।
14.	टीईआरसी	विनियम पहले ही अधिसूचित	विनियम त्रिपुरा गज़ट में 19.09.2006 को प्रकाशित किए गए । विनियम के उपबंध के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी ने 3 स्तरीय प्रणाली में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक फोरम स्थापित किया । उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए टीईआरसी में एक ओम्बड्स्मेन की भी नियुक्ति की गई ।
15.	यूईआरसी	17.01.2007 को अधिसूचित	दो सीजीआरएफ व एक लोकपाल कार्य कर रहे हैं ।
16.	यूपीईआरसी	2007	2003 में बनाए गए विनियमों के आधार पर जिला मुख्यालयों में वर्ष 2003 से सीजीआरएफ को चालू किया गया है । लोकपाल नियुक्त किया गया है और यह काम कर रहा है । राज्य सरकार से लोकपाल के कार्यालय के लिए स्टाफ मंजूर करने का अनुरोध किया गया है । उपभोक्ताओं व स्टेकहोल्डरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अयोग ने 2007 में अधिसूचित इन विनियमों में संशोधन किया । अब नए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार 20 कमीशनरों में सीजीआरएफ प्रचालनरत हैं ।

9. उपभोक्ता समूहों के लिए क्षमता संवर्धन

एनईपी में उपबंधः

5.13.4 केन्द्रों सरकार, राज्य सरकारों व विद्युत विनियामक आयोगों को उपभोक्ता समूहों के क्षमता संवर्धन और विनियामक आयोगों के समक्ष उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व को सुकर बनाना चाहिए । इससे विनियामक प्रक्रिया की प्रभावकारिता बढ़ेगी ।

क्र.सं.	एस ई आर सी	सारांश
1.	एईआरसी	आयोग द्वारा फरवरी, 2005 में स्थापित उपभोक्ता अधिवक्तता प्रकोष्ठ, उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां चला रहा है । प्रकोष्ठ उपभोक्ता समूहों के सदस्यों को प्रकोष्ठ के पैनल में रख रहा है, उपभोक्ता समूहों, अनुज्ञप्तिधारी और आयोग के मध्य बैठकें आयोजित कर रहा है जिससे कि भाग लेने वाले एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर सकें और अपनी चिंताएं बता सकें । प्रकोष्ठ ने हाल ही में नए सदस्यों को पैनल में लिया है और कुछ अन्य सदस्यों को पैनल में लेने तथा जागरूकता बैठकें आयोजित करना प्रस्तावित है ।
2.	सीएसईआरसी	सीईआरसी ने जेपी ममोरियल सेंटर किरनदुल और ऊर्जा इंजीनियर और प्रबंधक सोसायटी (एसईईएम) छत्तीसगढ़ चेप्टर को उपभोक्ता संगम के रूप में मान्यता दे दी है । आयोग अभी और समुचित एनजीओ, इस क्षेत्र में विकास से संबंधित ज्ञान व उपभोक्ता हितों का प्रचार-प्रसार करने वाले उपभोक्ता संगमों की पहचान करने की प्रक्रिया में है ।
3.	जीईआरसी	आयोग उपभोक्ता समूहों को बहुवर्ष टैरिफ प्रक्रिया में भाग लेने व उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं में सुधार हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए भाग लेने आमंत्रित करता है ।
4.	एचईआरसी	आयोग के विचाराधीन
5.	एचपीईआरसी	आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 के तहत उपभोक्ता प्रतिनिधि नियुक्त किया है ।
6.	जेएसईआरसी	- समन्वय फोरम-राज्य सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 (4) के तहत यथा अपेक्षित समन्वय फोरम गठित करने संबंधी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है । - जिला स्तरीय समिति-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 (5) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक समिति गठित की है । जिले के उपायुक्तों को उक्त समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है । - राज्य सलाहाकार समिति-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 में विहित उपबंधों के अनुसार, झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य सलाहकार समिति गठित की है और इसके गठन की अधिसूचना जारी की है । - इसके अलावा, टैरिफ निर्धारण व विनियम बनाने के संबंध में जन सुनवाईयां भी आयोजित की जाती हैं ।

7.	जे एण्ड के एसईआरसी	आयोग नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित करता है और उपभोक्ता संगठनों को सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है ।
8.	केईआरसी	उपभोक्ता समूह के लिए क्षमता संवर्धन, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित करके व तिमाही पत्रिकाओं के अंक निकालकर व पर्चे वितरित करके उपभोक्ता सहायता कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है ।
9.	जेईआरसी (एम एण्ड एम)	1. दोनों राज्यों में उपभोक्ता जागरूकता बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं । 2. राज्य सलाहकार समिति में उपभोक्ताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है ।
10.	एमपीईआरसी	आयोग के साथ लगभग 126 एनजीओ रजिस्ट्रीकृत हैं । वे टैरिफ सुनवाई में लगे हुए हैं और एसएसी में भी प्रतिनिधित्व करते हैं । एनजीओ के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ।
11.	एमईआरसी	i. धारा 86 (4) और 94 (3) के अनुसरण में विद्युत उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व का प्रयोजन प्राप्त करने के लिए, एमईआरसी ने अपने 19 दिसम्बर, 2003 के आदेश द्वार उपभोक्ता संरक्षण संगठनों (सीपीओ) द्वारा अभिव्यक्त हित और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पाए गए उनके अनुभव और निपुणता के आधार पर चार प्राधिकृत उपभोक्ता प्रतिनिध संगठनों को प्राधिकृ किया है, अर्थात्- क) मुम्बई ग्राहक पंचायत, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई ख) प्रयास ऊर्जा समूह, पुणे ग) थाणे बेलापुर उद्योग संगम, नवी मुंबई घ) विदर्भा उद्योग संगम, नागपुर ii. हाल ही में आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में चार व्यक्तियों को विशेषज्ञ के रूप में मामला-प्रति-मामला आधार पर उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीआर के रूप में भी प्राधिकृत किया है । उत्पादन कंपनियों पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, आदि के लिए एआरआर/टैरिफ के अवधारण पर, सुनवाइयों में उपभोक्ता समूह भाग लेते हैं, अपने विचार और उपभोक्ताओं की ओर से सुझाव प्रस्तुत करते हैं । iii. टैरिफ अवधारण और विनियमों को अंतिम रूप देने से संबंधित मामले पर उपरोक्त उपभोक्ता प्रतिनिधियों सहित उपभोक्ताओं/पणधारियों और आम जनता की टिप्पणियां/सुझाव लोक सूचना द्वारा भी आमंत्रित किए जाते हैं । iv. सीजीआरएफ के सदस्यों, विद्युत ओम्बड्स्मेन, उपभोक्ता प्रतिनिधियों और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों का एक दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आयोग (एमईआरसी) द्वारा एक मंच पर आयोजित किया जाता है, जहां उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवा में सुधार लाने के विचारों का भागीदार बनने के साथ-साथ विभिन्न सीजीआरएफ द्वारा निपटाई गई उपभोक्ता शिकायतों की समीक्षा की जाती है । v. एमईआरसी विद्युत उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों और व्यक्तियों की पहचान और प्राधिकृत करने के लिए विनियम बनाने की प्रक्रिया में है ।

12.	पीएसईआरसी	टैरिफ के अवधारण के लिए जन सुनवाई में उपभोक्ता समूह भाग लेते हैं । इनमें से कुछ उपभोक्ता समूह के प्रतिनिधियों को पीएसईआरसी, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है । आयोग द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई विनिश्चय लिए जाने के पूर्व लोक सूचना के माध्यम से उपभोक्ता समूहों की टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं ।
13.	टीईआरसी	अभी अंगीकार नहीं किया है ।
14.	यूईआरसी	आयोग ने विनियम बनाने और अन्य संबंधित मुद्दों में, उपभोक्ताओं के घरेलू और छोटे-मोटे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक उपभोक्ता अधिवक्ता की नियुक्ति की है । इसके अलावा, आयोग सभी राज्यों में विभिन्न बैठकें/जन गोष्ठियां आयोजित करता आ रहा है जिनमें उपभोक्ताओं को अधिनियम व विनियमों के अधीन उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है ।
15.	यूपीईआरसी	आयोग ने प्रारंभ में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर उपभोक्ता जागरूकता एवं अधिवक्तता (सीसीईए) प्रकोष्ठ का सृजन शुरू किया था और 14 नवम्बर, 2007 से प्रभावी "वायस" नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन किया गया था जो दो वर्ष चला । सीसीइए के सफल न होने के कारण इसे समाप्त कर दिया गया । आयोग प्रकोष्ठ स्थापित करने के उपयुक्त विकल्प तलाश रहा है ।

IV. राष्ट्रीय टैरिफ नीति पर प्रास्थित रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट 2010–11

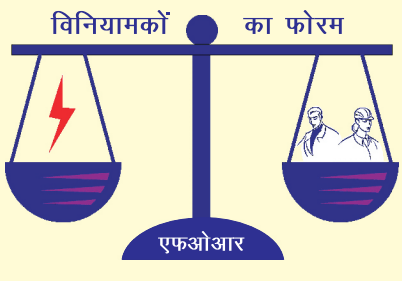

विनियामकों का फोरम (एफ ओ आर)

1.	इक्विटी लाभ (आरओई)	63
2.	अवक्षयण दरें	65
3.	अंतःराज्यिक एबीटी का कार्यान्वयन	68
4.	टीओडी टैरिफ	70
5.	ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत	74
6.	निर्बाध पहुंच अधिभार के अवधारण की प्रास्थिति	80
7.	अधिशेष नियन्त्रित उत्पादन का उपयोग	83

1. इक्विटी लाभ (आरओई)

टैरिफ नीति में उपबंधः

5.3 (क) निवेश से लाभ .....

केन्द्रीय आयोग समग्र जोखिम के मूल्यांकन और पूंजी की प्रचलित लागत का ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर उत्पादन व पारेषण परियोजनाओं के लिए इक्विटी पर लाभ की दर अधिसूचित करेगा जिसे बाद में एसईआरसीएस द्वारा भी अधिसूचित किया जाएगा । आयोग द्वारा पारेषण के लिए अधिसूचित लाभ की दर को, अंतर्ग्रस्त अधिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, एसईआरसीएस द्वारा समुचित संशोधन के साथ वितरण हेतु अपनाया जा सकता है । इस मामले में एक समान दृष्टिकोण बनाने हेतु, विनियामकों के फोरम के माध्यम से सहमति बनाना वांछनीय होगा ।

क्र.सं.	एस ई आर सी	इक्विटी लाभ	सारांश
1.	एईआरसी	14%	आयोग ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 22.79 करोड़ रूपए के इक्विटी पर लाभ का अनुमोदन किया है ।
2.	सीएसईआरसी	कर पूर्व 15.5%	सीएसईआरसी (बहु वर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ अवधारण के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2010 के अनुसार उत्पादन, पारेषण, एसएलडीसी और वितरण कंपनियों के लिए कर पूर्व इक्विटी पर लाभ ।
3.	जीईआरसी	14%	इक्विटी पर लाभ, जीईआरसी विनियमों पर आधारित राज्य के उत्पादन, पारेषण और वितरण को प्रदान किया जाता है ।
4.	एचईआरसी	14%	केपेक्स, 70% ऋण और 20% इक्विटी के अनुपात में अनुज्ञात किया जाता है । इक्विटी पर लाभ, इक्विटी संघटक पर अनुज्ञात किया जाता है ।
5.	एचपीईआरसी		क) वितरणः हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग टैरिफ और खुदरा प्रदाय टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम,2007 के विनियम 20 अनुसार 16% प्रतिवर्ष (कर पश्चात्) । ख) पारेषणः हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम,2007 के विनियम 15 के अनुसार 14% प्रतिवर्ष (कर पश्चात्) । ग) उत्पादनः हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (हाइड्रो उत्पादन टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम,2007 के विनियम 15 के अनुसार 14% प्रतिवर्ष (कर पश्चात्) ।

6.	जेएसईआरसी	15.5%	उत्पादन, पारेषण, वितरण के लिए- 15.5%
7.	जे एण्ड के एसईआरसी	14%	जे एण्ड के एसईआरसी (हाइड्रो उत्पादन टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम,2011 के विनियम 25 और वितरण टैरिफ के अवधारण विनियम, 2011 के विनियम 16 के अनुसार ।
8.	केईआरसी	15.5%	आयोग ने राज्य में सभी अनुज्ञप्तधारियों के लिए 15.5% इक्विटी पर लाभ विनिर्दिष्ट किया है ।
9.	जेईआरसी (एम एण्ड एम)	16%	सीईआरसी संनियमों के अनुसार
10.	एमपीईआरसी	16% (वितरण)	उत्पादन और पारेषण-सीईआरसी संनियमों के अनुसार ।
11.	एमईआरसी	-	एमईआरसी ने अपने विनियम अर्थात् महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2005 द्वारा निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया है: उत्पादन के लिए आरओई: 14% पारेषण के लिए आरओई: 14% वितरण के लिए आरओई: 16% टिप्पण: आयोग ने महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2011 जारी किए हैं और ये विनियम, इनके अन्तर्गत आने वाले तमाम मामलों में टैरिफ अवधारण के लिए 1 अप्रैल, 2011 से आगे वित्तीय वर्ष 2015-16 (अर्थात् 31 मार्च, 2016) तक लागू होंगे ।
12.	पीएसईआरसी	14%	1.4.2009 से सीईआरसी ने 15.5% के के आरओई (कर पूर्व- कुल 23.48% तक) को अपनाया । तथापि, आयोग ने आरओई इस कारण 14% ही रखा क्योंकि उपयोगिता महत्वपूर्ण कार्यपालन संनियमों में सुधार लाने में असमर्थ रही ।
13.	टीईआरसी	-	टीइआरसीएल ने एकल बंडलीकृत उपयोगिता होने के कारण एआरआर के सिवाए लागत आधारित टैरिफ आरंभ नहीं किया है । निवेश पर लाभ के संबंध में टीइआरसी को अंतिम टैरिफ याचिका के समय टीईसीएल ने एआरआर पर इक्विटी पर लाभ के लिए आवेदन किया है किन्तु वह मंजूर नहीं किया गया ।
14.	यूईआरसी	14%	राष्ट्रीय टैरिफ नीति और सीईआरसी विनियमों के संदर्भ में वर्तमान में 14.05.2004 का विनियम प्रवर्तन में है, तथापि वर्तमान टैरिफ विनियमों की समीक्षा की जा रही है ।
15.	यूपीईआरसी		उत्पादन: 15.5% वितरण: 26% पारेषण: 14%

2. अवक्षयण दरें

टैरिफ नीति में उपबंधः

5.3 (ग) अवक्षयण

केन्द्रीय आयोग उत्पादन व पारेषण आस्तियों के संबंध में अवक्षयण की दरें अधिसूचित कर सकेगा । इस प्रकार अधिसूचित अवक्षयण दरें उन समुचित उपांतरणों के साथ वितरण के लिए भी लागू होंगी जो विनियामकों का फोरम विकसित करे ।

क्र.सं.	एस ई आर सी	सीईआरसी दरें	पृथक अवक्षयण की दरों के लिए सुझाव
1.	एईआरसी	-	अवक्षयण की दरें एईआरसी (टैरिफ अवधारण के निबंधन और शर्तें) विनियम,2006 में अधिसूचित की गई हैं ।
2.	सीएसईआरसी	अपनाई गई हैं	अवक्षयण की सीईआरसी दरों का पालन किया जाता है ।
3.	जीईआरसी	विभिन्न आस्तियों के लिए अवक्षयण सीईआर सी दरों के अनुसार अनुज्ञात किया जाता है	अवक्षयण दरें गुजरात राज्य विद्युत निगम लि. (उत्पादन) 5.11% गुजरात राज्य पारेषण कंपनी लि. (पारेषण) 5.07% उत्तर गुजरात विज कंपनी लि. (वितरण) 5.31% दक्षिण गुजरात विज कंपनी लि. (वितरण) 5.27% मध्य गुजरात विज कंपनी लि. (वितरण) 5.26 % पश्चिम गुजरात विज कंपनी लि. (वितरण) 5.27% राज्य भार प्रेषण केन्द्र (प्रेषण केन्द्र) 4.41% टोरेंट पॉवर लि. (उत्पाद) 3.62% टोरेंट पॉवर लि. (अहमदाबाद) (वितरण) 3.57% टोरेंट पॉवर लि. (सूरत) (वितरण) 3.43%

4.	एचईआरसी	सीईआरसी दरों के अनुसार	कोई सुझाव नहीं
5.	एचपीईआरसी	शून्य	अधिसूचित विनियमों के अनुसार
6.	जेएसईआरसी	--	अवक्षयण दरें भूमि 0% पी और एम 5.28% भवन 3.34% सिविल निर्माण कार्य 3.34% हाईड्रोलिक्स 5.28% लाइनें, केबल,नेटवर्क्स 5.28% वाहन 9.5% फर्नीचर और पिक्सर 6.33% कार्यालय उपस्कर 6.33%
7.	जे एण्ड के एसईआरसी	--	2.57% उत्पादन उपयोगिता के लिए और 3% वितरण उपयोगिता के लिए ।
8.	केईआरसी	अपनाई गई हैं ।	आयोग ने सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार अवक्षयण दरों को अंगीकार किया है ।
9.	जेईआरसी (एम एण्ड एम)	--	सीईआरसी दरों को अंगीकार किया जाएगा ।
10.	एमपीईआरसी	सीईआरसी दरें अपनाई गई हैं ।	उत्पादन/पारेषण आस्तियों की तुलना में वितरण आस्तियों के अंतर को ध्यान में रखते हुए पृथक अवक्षयण दरों को विकसित करने की आवश्यकता है ।
11.	एमईआरसी	हां	आयोग ने सीईआरसी की अवक्षयण दरों को अंगीकार किया है ।
12.	पीएसईआरसी	सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के अनुसार	उपयोगिताओं अर्थात् पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल ने अधिसूना सं. का.आ. 226 (अ) तारीख 29.3.1994 से भारत सरकार द्वारा विहित दरों पर अवक्षयण का दावा किया था जो आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए अनुज्ञात की गई थीं ।
13.	टीईआरसी	-	2006-07 के दौरान अंतिम टैरिफ आदेश में एकमुश्त राशि के आधार पर 10 करोड़ रूपए का अवक्षयण अनुज्ञात किया गया है ।

14.	यूईआरसी	अपनाई गई हैं।	यूईआरसी द्वारा सीईआरसी विनिर्दिष्ट दरों को अपना गया है।
15.	यूपीईआरसी	--	**उत्पादनः** सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2009 के अनुसार । **वितरणः** सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2009 के अनुसार 7.84% की भारित दर ली गई क्योंकि नियत आस्ति रजिस्टर नहीं रखे गए थे । **पारेषणः** विनियमों में कोई अवक्षयण सूची नहीं है । 2009-10 के लिए टैरिफ आदेश के अनुसार ट्रांसको के लिए अनुमोदित अवक्षयण दरें 3.08% हैं । 2008-09 के लिए यह 5.27% थी ।

3. अंतःराज्यिक एबीटी का कार्यान्वयन

टैरिफ नीति में उपबंध

6.2 टैरिफ ढ़ांचा तैयार करना और उससे सम्बद्ध मुद्दे

राट्रीय विद्युत नीति के अनुसार, अप्रैल, २००६ तक राज्य स्तर पर उपलब्धता आधारित टैरिफ शुरू किया जाना है । इस ढांचे का विस्तार उत्पादन केन्द्रों (एसईआरसी द्वारा यथा अवधारित क्षमताओं के नियंत्रित संयंत्रों से जुड़े ग्रिड सहित) तक किया जाएगा ।

क्र.सं.	एस ई आर सी	अंतः राज्यिक एनबीटी	सारांश
1.	एईआरसी	-	अभी कार्यान्वित नहीं किया गया
2.	सीएसईआरसी	अधिसूचित	कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रगति पर है । 31 मार्च, 2011 के एमवाईटी टैरिफ आदेश में विद्युत कंपनियों को मॉक बिलिंग के अनुदेश दिए गए ।
3.	जीईआरसी	अंतः राज्यिक ढांचा 5.4.2010 से प्रवर्तित हुआ	राज्य में, उत्पादन केन्द्रों, सीपीपी से जुड़े ग्रिड, निर्बाध पहुंच उपभोक्ता और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए अंतःराज्यिक एबीटी प्रारम्भ किए गए ।
4.	एचईआरसी	अंतःराज्यिक एबीटी विनियम अंतिम रूप से दिए जाने की प्रक्रिया में हैं ।	
5.	एचपीईआरसी	--	हिमाचल प्रदेश राज्य में अंतःराज्यिक एबीटी प्रारंभ नहीं किया गया है ।
6.	जेएसईआरसी	--	वित्तीय वर्ष 2009-10 में आयोग द्वारा निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं (सीपीपी सहित) के लिए तुलन और निपटारा तंत्र विनियम अधिसूचित किया गया था ।
7.	जे एण्ड के एसईआरसी	--	अभी तक अंतःराज्यिक एबीटी प्रारभ नहीं हुआ है ।
8.	केईआरसी	अधिसूचित	एबीटी के कार्यान्वयन के लिए आदेश 26.12.2006 को जारी किया गया । एबीटी का कार्यान्वयन शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा ।
9.	जेईआरसी (एम एण्ड एम)	दोनों राज्यों में अभी कार्यान्वित किया जाना है ।	

10.	एमपीईआरसी	1.11.2009 से अंतर-राज्यिक एबीटी कार्यान्वित	--
11.	एमईआरसी	हां	आयोग ने महाराष्ट्र के भीतर राज्य स्तर पर उपलब्धता आधारित टैरिफ शासन, 2006 के मामला सं. 42 में अपने आदेश तारीख 17 मई, 2007 के माध्यम से शुरू किया है । टिप्पणः 1 अगस्त, 2011 से आईबीएसएम से एफबीएसएम का कार्यान्वयन प्रारम्भ हो गया है ।
12.	पीएसईआरसी	प्रारंभ नहीं हुआ	पंजाब राज्य में उत्पादन और वितरण के कृत्य एक ही कंपनी अर्थात् पीएसपीसीएल द्वारा किए जा रहे हैं । इसलिए वर्तमान में पीएसईआरसी को राज्य में एबीटी प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती ।
13.	टीईआरसी	-	टीएसईसीएल के राज्य में एक मात्र अंबडलीकृत उपयोगिता होने के कारण, अंतःराज्यिक एबीटी अभी शुरू नहीं हुआ है ।
14.	यूईआरसी	4.1.2005 को आदेश जारी हुआ	अंतःराज्यिक एबीटी की अपेक्षाएं 01.11.2005 तक पूरी करने के लिए 4.01.2005 को निदेश जारी किया गया ।
15.	यूपीईआरसी	--	आयोग के 05.03.2009 के आदेश द्वारा सभी एन्टिटियां (ओब्रा और हरदुआगंज पी/एस को छोड़कर), 01.07.2009 से यूआई जटिलताओं के साथ एबीटी के कार्य-क्षेत्र में आ गए हैं । आयोग ने उत्पादन विनियम, 2009 में एबीटी उपलब्ध भी विनिर्दिष्ट किए हैं । अंतरमुख बिन्दु जीटी और टीडी में एबीटी अनुकूल मीटर व्यवस्था है । राज्य में वितरण कंपनियों को विद्युत के आबंटन को अभी राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है । तथापि, एसएलडीसी तारीख 24.01.2011 की अधिसूचना सं. 78/24-यू.एन.एन.पी.-11-25/08 द्वारा अधिसूचत किया जा चुका है और तारीख 29.01.2011 के आदेश द्वारा राज्य विद्युत समिति (एसपीसी) गठित हो चुकी है ।

4. टीओडी टैरिफ

टैरिफ नीति में उपबंध

6.2 टैरिफ ढ़ांचा तैयार करना और उससे सम्बद्ध मुद्दे

समुचित आयोग भार के बेहतर प्रबंधन के लिए व्यस्तम और गैर-व्यस्तम समय के लिए नियत प्रभारों की विभेदी दरें भी प्रारंभ कर सकेगा ।

क्र.सं.	एस ई आर सी	प्रारंभ किया गया टीडीओ	उपभोक्ता प्रवर्ग	व्यस्ततम समय टैरिफ	गैर-व्यस्ततम समय टैरिफ
1.	ईसी आरसी	हां	एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं (50 से 150 केवीए और 150केवी के ऊपर),एचटी (चाय,काफी, रबड़) और एचटी (तेल और कोयला प्रवर्ग) के लिए टीओडी प्रारंभ किया गया । व्यस्ततम समय टैरिफ 5.55 रूपए/यूनिट से 6.25 रूपए/यूनिट के बीच बदलता रहता है और गैर-व्यस्ततम समय, उपभोक्ता प्रवर्ग पर निर्भर करते हुए 3.35रू./यूनिट से 4.5 रू./यूनिट की रेंज में रहता है		
2.	सीई आरसी	हां	सभी ईएचटी और एचटी	6.00बजे अपराह्न से11.00बजे अपराह्न सामान्य टैरिफ का 13%	11.00बजे अपराह्न से 5.00 बजे पूर्वाह्न (अगला दिन) सामान्य टैरिफ का 85%
3.	जीई आरसी	गुजराज राज्य में यह प्रारंभ हो चुका है		व्यस्ततम समय टैरिफ (पैसे/केडब्ल्यूएच)	गैर-व्यस्ततम समय टैरिफ (पैसे/केडब्ल्यूएच)

			एलटीपी- IV एलटीपी IV(अ) एचटीपी-I और II (501 से 1000 केवीए) (1001 से 2500 केवीए) (2500केवीए से ऊपर) एचटीपी -III एचटीपी -IV	400 405 465 485 495 705 —	200 200 390 410 420 630 200

उपभोक्ता प्रवर्ग

1. एलटीपी-मोटिव पॉवर लोड जो 125बीएचपी से अधिक न हो
2. एलटीपी –IV(अ) निम्न वोल्टेज पर 15 के डब्ल्यू और 100 केडब्ल्यू तक की न्यूनतम सीडी
3. एचटीपी-I और II- सीडी या वास्तविक मांग के साथ नियमित प्रदाय
4. एचटीपी –III- 500केवीए से अनधिक का अस्थायी अवधि के लिए प्रदाय
5. एचटीपी –IV- अनन्य रूप से रात्रि के समय विद्युत उपयोग करने वाले

4.	एचई आरसी	अभी प्रारम्भ नहीं हुआ	---	—	---
5.	एचपी ईआरसी	जल और सिंचाई पम्पिंग, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को टीओडी टैरिफ के दो भाग लागू हैं । व्यस्ततम और गैरव्यस्ततम समय के दौरान पृथक मांग और ऊर्जा प्रभार । व्यस्तम समय उल्लंघन प्रभार भी उपभोक्ताओं से उद्ग्रहण किए जाते हैं ।			

6.	जेएस ईआरसी	हां	एचटी उपभोक्ता	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 12% ऊर्जा प्रभारः 4.35रू./केडब्ल्यूएच	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 85% ऊर्जा प्रभारः 4.35रू./केडब्ल्यूएच
7.	जे एण्ड के एसई आरसी	अभी प्रारम्भ नहीं हुआ ।			
8.	केई आरसी	हां	एलटी उद्योग एचटी जल प्रदाय एचटी उद्योग	सामान्य टैरिफ +80 पैसे सामान्य टैरिफ +60 पैसे सामान्य टैरिफ +80 पैसे	सामान्य टैरिफ -80 पैसे सामान्य टैरिफ -60 पैसे सामान्य टैरिफ -80 पैसे
9.	जेई आरसी (एम एंड एम)	दोंनों राज्यों में अभी प्रारंभ नहीं हुआ ।			
10.	एमपीई आरसी	एचटी उपभोक्ताओं के लिए पहले ही प्रचलन में (एमपीईआरसी की स्थापना से भी पहले)	एच.टी.	सामान्य टैरिफ का 115% (1800-2200 बजे)	सामान्य टैरिफ का 92.5% (2200-600बजे) (अगले दिन)
11.	एमई आरसी	हां समय — एमएसईडीसीएल — रू./केडब्ल्यूएच 9.00 बजे से 12.00 बजे — 0.8 1800 बजे से 2200 बजे — 1.1 2200 बजे से 0600 बजे — -0.85 निम्नलिखित प्रवर्गों को लागू 1. एलटी-II: गैरआवासीय या वाणिज्यिक (ख) और (ग) प्रवर्ग टीओडी मीटर संस्थापित कराने वालों के लिए एलटी II के लिए वैकल्पिक । 2. एलटी-III: पीडब्ल्यूडब्ल्यू और मलजल उपचार संयंत्र 3. एलटी-V: एलटी उद्योग (0.20 केडब्ल्यू के लिए वैकल्पिक) 4. एचटी-I: एचटी उद्योग 5. एचटी-II: एचटी वाणिज्यिक 6. एचटी-IV: पीडब्ल्यूडब्ल्यू और मलजल उपचार संयंत्र			

<table>
<tr><td>12.</td><td>पीएस ईआरसी</td><td colspan="4">आयोग ने पंजाब राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारयों को दो भाग और टीओडी टैरिफ प्रारम्भ करने के लिए प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के दिशा-निर्देश दिए हैं।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>टीई आरसी</td><td>प्रारम्भ किए गए हैं ।</td><td>औद्योगिय, चाय/काफी/रबड़, बाग, थोक प्रदाय, जल संकर्म और सिंचाई</td><td>सामान्य दर का 140%</td><td>सामान्य दर का 60%</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>यूई आरसी</td><td>हां, 25 के डब्ल्यू के ऊपर एलटी उद्योग और सभी एचटी उद्योग</td><td>व्यस्ततम समय पर वर्तमान ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार हैः
एचटी उद्योगः4.50रू./केवीएएच
एचटी उद्योगः

भारकारक ऊर्जा प्रभार
33%से कम 4.80रू./ केडब्ल्यूएएच
33%से अधिक और 50%तक 4.80रू./ केडब्ल्यूएएच
50%से अधिक 4.80रू./ केडब्ल्यूएएच</td><td colspan="2">गैर-व्यस्ततम समय पर वर्तमान ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार हैः
एचटी उद्योगः

2.70रू./केडब्ल्यूएच
एचटी उद्योगः
भारकारक
ऊर्जा प्रभार
33%से कम
2.43रू./

केडब्ल्यूएएच
33%से अधिक
2.66रू./
और 50%तक
केडब्ल्यूएएच
50%से अधिक
2.88 रू./

केडब्ल्यूएएच</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>यूपी ईआसी</td><td colspan="4">बड़े व भारी उद्योगों (75 केडब्ल्यू/100एचपीऔर अधिक) के लिए एचवी-2 प्रवर्ग में प्रारंभ टैरिफ आदेश 2009-10 के अनुसार
समय 11 केवी पर 33 से 66 केवी 132 केवी और अधिक वोल्टेज
22 से 06 बजे (-) 7.5% (-) 7.5% (-) 7.5%
06 से 17 बजे 0 0 0
17 से 22 बजे (+) 15% (+) 15% (+) 15%</td></tr>
</table>

5. ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत

टैरिफ नीति में उपबंधः

6.4 सह-उत्पादन सहित ऊर्जा उत्पादन के गैर पारम्परिक स्त्रोत

अधिनियम की धारा 86 (1)(ङ) के उपबंधों के अनुसरण में, समुचित आयोग क्षेत्र में ऐसे संसाधनों की उपलब्धता और खुदरा टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्त्रोतों ऐ ऊर्जा के क्रय के लिए न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करेगा । ऊर्जा के क्रय के ऐसे प्रतिशत को आयोग द्वारा 1 अप्रैल, 2006 तक निर्धारित किए जाने वाले टैरिफ के लिए लागू किया जाना चाहिए ।

क्र. स.	एस ई आर सी	टैरिफ	नवीकरणीय स्त्रोतों से उपाप्त विद्युत (%)
1.	एई आरसी	एईआरसी (ऊर्जा के नवीकरणी स्त्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन और उत्पादन) विनियम, 2009 निम्नलिखित केपड कीमतें अधिसूचित करते हैं- i) जैव समूह : 4.00 रू. प्रति केडब्ल्यू एच ii) लघु हाईड्रो : 3.20 रू. प्रति केब्ल्यूएच iii) सह-उत्पादन : 3.20 रू.प्रति केडब्ल्यूएच iv) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू : 4.40रू. प्रति के डब्ल्यूएच) v) सौर पीवी (ग्रिड संयोजि) (क) 2009-10 तक कमीशन्ड : 11.00रू. प्रति केडब्ल्यूएच (ख) 2009-10 के बाद कमीशन्ड : 10 रू. प्रति के डब्ल्यूएच	एचईआरसी (नवीकरणीय क्रय बाध्यता और इसका अनुपालन) विनियम, 2010 के अनुसार " प्रत्येक बाध्यकारी एंटिटी नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अधीन या जब तक आयोग द्वारा समीक्षा की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से क्रमशः 2010-11,2011-12, 2013-2014 और 2014-15 वर्षों के दौरान कुल ऊर्जा का कम से कम 1.4%,2.8%, 4.2%, 5.6%, और 7% क्रय करेगी । परन्तु यह कि वर्ष 2010-11 में यथा विनिर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय बाध्यता में से 0.05 प्रतिशतता बिन्दू नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के रूप में सौर पर आधारित उत्पादन से उपाप्त किए जाएंगे और उसके बाद प्रति वर्ष 0.05 प्रतिशतता की दर से 2014-15 तक या आयोग द्वारा समीक्षा किए जान तक इसमें वृद्धि की जाएगी ।"
2.	सीएस ईआरसी	—	5% (सौर क्रय बाध्यता के 0.25% सहित)

<table>
<tr><td>3.</td><td>जी ईआरसी</td><td>एक समान किया गया टैरिफ रू./केडब्ल्यूएच (वर्धित अवक्षयण सहित) ,
पवन 3.56
सौर थर्मल 9.29
सौर पीवी 12.54
खोई 4.65
जैव समूह 4.70
(जल शीतलित कन्डेंसर)
जैव समूह 4.49
(पवन शीतलित कन्डेंसर)</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>एचई आरसी</td><td>पवन = 4.08
लघु हाइडल = 3.67
जैव समह = 4.00
खोई = 3.74
जेएनएनएसएम के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए सीईआरसी के अनुसार सौर टैरिफ</td><td>संपूर्ण आरपीओ 1.5%
सौर आरपीओ : संपूर्ण आरपीओ 0.25%</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>एचपी ईआरसी</td><td>एचएसपी टैरिफ 2.95रू./यूनिट और आरईसी तंत्र के लिए वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए एपीपीसी लागत 2.23 रू./यूनिट है ।</td><td>नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता और इसका अनुपालन विनियमम 3 मई, 2010 को अधिसूचित किए गए और दिए गए लक्ष्य निम्नानुसार है:</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>
<table>
<tr><td>वर्ष</td><td colspan="3">कुल खपत का नवीकरणीय स्रोतों से (केडब्ल्यू एच में ऊर्जा के प्रति निर्देश से) क्रय की न्यूतम</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">मात्रा (% में)</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>कुल (2)</td><td>गैर सौर (3)</td><td>सौर (4)</td></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>10.0%</td><td>10%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>2010-12</td><td>11.1 %</td><td>11%%</td><td>0.1%</td></tr>
<tr><td>2010-13</td><td>12.1%</td><td>12%</td><td>0.1%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6.	जेएस ईआरसी	जैव समूह और सह उत्पादन विनियम जारी किए जा चुके है ।	वित्तीय वर्ष 2010-11 : 2% वित्तीय वर्ष 2011-12 : 3% वित्तीय वर्ष 2012-13 : 4%
7.	जे एण्ड के एसई आरसी	1.13 यूनिट	2010-11 के दौरान 1.6%
8.	के ईआरसी	(1) मिनि हाइडल-बिना वृद्धि के 3.40रू./यूनिट (2) पवन- बिना वृद्धि के 3.70रू./यूनिट (3) जैव समूह- प्रथम वर्ष में 3.66 रू./यूनिट जो दसवें वर्ष में बढ़कर 4.13रू./यूनिट हो जाएगी । (4) सह-उत्पादन- प्रथम वर्ष में 3.59रू./यूनिट जो दसवें वर्ष में बढ़कर 4.14रू./यूनिट हो जाएगी । (5) सौर पीवी- 14.50रू./यूनिट और सौर थर्मल 11.35रू./यूनिट (6) रूफ टॉप सौर पीवी और अन्य लघु पॉवर संयंत्र जो 33 केवी के नीचे वोल्टेज स्तर वितरण नेटवर्क से जुड़े हैं : 14.50रू./यूनिट	नए विनियम के अनुसार एस्कॉम- वार नियत प्रतिशितता नीचे दर्शित की गई हैः बेस्कॉम, मेस्कॉम और सीईएससी-- 10% गैरसौर और 0.25% सौर हेस्कॉम, जेस्काम और हुकेरी सोसाइटी—- 7.00% गैर सौर और 0.25% सौर 5% आरपीओ नियंत्रित और ओए उपभोक्ताओं के लिए
9.	जेई आरसी (एम एण्ड एम)	टैरिफ अवधारण के लिए विनियम बना लिए गए हैं । (कुछ आरई के लिए आयोग द्वारा दर नियत)	उपलब्ध नहीं
10.	एमपी ईआरसी	पवन- 4.35रू./यूनिट (25 वर्षों के लिए) जैव समूह- 3.33रू. से 5.14 रू. प्रति यूनिट (20 वर्षों के लिए) सौर पीवी- 15.35रू./यूनिट (25 वर्ष) सौर थर्मल--11.26रू./यूनिट (25 वर्ष) सहउत्पान-- 2.80 रू.से 3.84रू. प्रति यूनिट (20 वर्षों के लिए) लघु हाइड्रो- 5.40रू. से 3.54 रू./यूनिट (20 वर्षों के लिए)	2010-11 के दौरान उपाप्त कुल नवीकरणीय : 264.43 एम यू

11.	एमई आरसी	वि.वर्ष 2010-11 के दौरान कमीशन की गई विभिन्न आरई के लिए एक समान टैरिफ 1. पवन विद्युतः क. पवन जोन- 1: 5.07 रू./केडब्ल्यूएच ख. पवन जोन- 2:4.41 रू./केडब्ल्यूएच ग. पवन जोन- 3: 3.75 रू./केडब्ल्यूएच घ. पवन जोन- 4: 3.38 रू./केडब्ल्यूएच 2. लघुहाइड्रो विद्युत : क. 1एमडब्ल्यू और कमः 4.76रू./केडब्ल्यूएच ख. 1एमडब्ल्यू से अधिक और 5 एमडब्ल्यू तक उसे सम्मिलित करते हुएः 3.65रू./केडब्ल्यूएच ग. 5 एमडब्ल्यू से अधिक और 25 एम डब्ल्यू तक उसे सम्मिलित करते हुएः 3.65 रू./केडब्ल्यूएच 3. सौर विद्युतः क. सौर पीवीः 17.91रू./केडब्ल्यूएच ख. सौर थर्मतः 15.31रू./केडब्ल्यूएच ग. सौर रूफ टाप पीवी और अन्य छोटी सौर विद्युतः 18.41रू./केडब्ल्यूएच 4. जैव समूह विद्युतः 4.98रू./केडब्ल्यूएच 5. गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सहउत्पादनः 4.79रू./केडब्ल्यूएच 6. गैर अर्हित गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन परियोजनएं : 2.14रू./केडब्ल्यूएच निर्देशः एमईआरसी का महाराट्र विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन सामान्य टैरिफ के अवधारण के विाय में 2010 के मामला सं. 20 में तारीख 14 जुलाई, 2010 का स्वप्रेरणा का आदेश ।	एमईआरसी ने महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय बाध्यता, इसका अनुपालन और आरईसी ढांचे का कार्यान्वयन) विनियम, 2010 तारीख 7 जून,2010 द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से (केडब्ल्यू एच के समतूल्य ऊर्जा के प्रति निर्देश से) क्रय की गई न्यूनतम मात्रा (%में) अनुबद्ध की गई है । वि.वर्ष 2010-11 के लिए आरपीओ : 6% (सौर आरपीओ - 0.25%+ गैर सौर आरपीओ- 5.75%)

12.	पीएस ईआरसी	आरई प्रवर्ग जैव समूह खोई/जैव समूह आधारित सहउत्पादन लघु/सूक्ष्म हाइडल सौर पवन	आयोग के 13.12.2007 के आदेश के अन्तर्गत आने वाली आरई परियोजनाएं (रू.प्रति के डब्ल्यूएच) 4.23 3.92 3.92 8.52 4.23	आयोग के 7.7.2010 (सौर) और 30.9.2010 (सौर से भिन्न) आदेश के अन्तर्गत आने वाली आरई परियोजनाएं (रू.प्रति के डब्ल्यूएच) 5.05 4.57 4.26 (5 एमडब्ल्यू से कम) 3.65 (5 से 25 एम डब्ल्यू) 17.91 (सौर पीवी) 15.32 (सौर थर्मल) 5.07	नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से विद्युत (%) विद्युत की कुल खपत (42226 एम यू) का 2.16% (911.62 एमयू) (2010-11 के लिए आरपीओः 3%)
13.	टीई आरसी	इस प्रकार के उत्पादन का विकास त्रिपुरा में अभी नहीं हुआ है ।		विनियम के उपबंध के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के लिए क्रय बाध्यता नियत कर दी गई है, अर्थात् टीएसईसीएल - प्रथम वर्ष 1% द्वितीय वर्ष 1% और तृतीय वर्ष 2%	

<table>
<tr>
<td>14.</td>
<td>यूईआरसी</td>
<td>1.4.2009 को या उसके पश्चात् कमीशन हुई परियोजनाएं
i) एसएचपी परियोजनाएं (25एम डब्ल्यू तक)
5 एमडब्ल्यू तक - 3.50रू./यूनिट (3.75)
5 से10एमडब्ल्यू - 3.40रू./यूनिट (3.65)
10 से 15एमडब्ल्यू - 3.25 रू./यूनिट (3.50)
15 से 20 एमडब्ल्यू - 3.15 रू./यूनिट (3.40)
20से 25 एमडब्ल्यू - 3.00 रू./यूनिट (3.25)
ii) खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं ने 2.60रू./यूनिट (2.75) प्रभार नियत किए । इसके अलावा, मानकीय ईंधन कीमत स्वीकार्य है जो कि 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि के साथ 1.90 % रू./यूनिट वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए है ।
iii) पवन परियोजनाएं :
जोन 1 : 4.75रू./यूनिट (5.15)
जोन 2 : 4.00 रू./यूनिट (4.35)
जोन 3 :3.35 रू./यूनिट (3.65)
जोन 4 :2.90 रू./यूनिट (3.20)
(iv) सौर पीवीः 16.05रू./यूनिट (17.70)
(v) सौर थर्मलः 11.80रू./यूनिट (12.95)</td>
<td>आयोग ने आरपीओ लक्ष्य 2010-11 के लिए 4%, 2010-11 के लिए 4.5% और 2011-12 के लिए 5% प्रतिवर्ष विनिर्दिष्ट किए । इसके अलावा ऊपर अनुबद्ध लक्ष्यों में वि.वर्ष 2011-12 के लिए 0.25% और वि.वर्ष 2012-13 के लिए 0.50% का सौर क्रय का लक्ष्य शामिल है । सहउत्पादन परियोजनाओं सहित नवीकरणीय स्रोतों से पूर्ण 100 प्रतिशत विद्युत योग्यता क्रम के पहले ही क्रय की जाती है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>यूपीईआरसी</td>
<td>खोई 4.24 रू./केडब्ल्यू एच
जैव समूह 4.50 रू./केडब्ल्यू एच
लघुहाइड्रो 4.81 रू.से 3.94रू./केडब्ल्यू एच
सौर 4.65रू./केडब्ल्यू एच
अन्य 3.21रू./केडब्ल्यू एच
कुल खपत का लगभग 3% से 4% तक</td>
<td colspan="2">
<table>
<tr><td>वर्ष</td><td colspan="3">नवीकरणीय क्रय बाध्यता</td></tr>
<tr><td></td><td>गैर सौर</td><td>सौर</td><td>योग</td></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>3.75</td><td>0.25</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>4.50</td><td>0.5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2012-13</td><td>5.0</td><td>1.0</td><td>6</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

6. निर्बाध पहुच अधिभार के अवधारण की प्रास्थिति

टैरिफ नीति में उपबंधः

8.5 प्रतिसहायिकी अधिभार व निर्बाध पहुंच के लिए अतिरिक्त अधिभार

8.5.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति में यह निर्धारित किया गया है कि निर्बाध पहुंच की अनुमति प्राप्त उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले प्रतिसहायिकी अधिभार व अतिरिक्त अधिभार की राशि इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाए, जिसे निर्बाध पहुंच के जरिए सीधे उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन व बिजली की आपूर्ति में पैदा किए जाने का विचार है ।

निर्बाध पहुंच की अनुमतिप्राप्त उपभोक्ता को, उत्पादक पारेषण लाइसेंसधारी, जिसके पारेषण का इस्तेमाल किया गया है; उपयोग प्रभार तथा इसके अलावा प्रतिसहायिकी प्रभार के लिए वितरण प्रतिष्ठान का भुगतान करना होगा । अतः प्रतिसहायिकी अधिभार की परिगणना इस तरह किए जाने की आवश्यकता है कि जहां यह एक ओर वितरण लाइसेंसधारी की क्षतिपूर्ति करें, वहीं इससे निर्बाध पहुंच के जरिए प्रतिस्पर्धा की शुरूआत बाधित न हो । उपभोक्ता, निर्बाध पहुंच का लाभ तभी उठाएगा जब सभी प्रभारों के भुगतान से उसे फायदा हो । यद्यपि वितरण लाइसेंसधारी के हित का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है, फिर भी यह अनिवार्य होगा कि अधिनियम के उपबंध, जिसके तहत निर्बाध पहुंच को समयबद्ध तरीके से शुरू किया जाना अपेक्षित है, का इस्तेमाल, उपभोक्ताओं के व्यापक हित में प्रतिस्पर्धा लाए जाने के लिए किया गया है ।

क्र.सं.	एसईआरसी	उपयोगिता/वितरण कंपनी	प्रतिसहायिकी अधिभार पैसे/केडब्ल्यूएच	अपनाई गई कार्यविधि
1.	एईआरसी	एपीडीसीएल	--	प्रदाय की औसत लागत
2.	सीएसईआरसी	सीएसपीडीसीएल	ईएचवी उपभोक्ता- 71 पैसे/केडब्ल्यूएच एचवी उपभोक्ता- 30 पैसे/के डब्ल्यूएच	छत्तीशगढ़ विद्युत विनियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच) विनियम, 2005 के अनुसार औसत लागत संगणित ।
3.	जीईआरसी	--	वर्ष 2010-11 के लिए आयोग ने प्रति सहायिकी अधिभार निम्निलिखित दरों पर अवधारित कीः (अ) राज्य वितरण कंपनियों के लिएः 51 पैसे/केडब्ल्यूएच (आ) टीपीएल के लिएः i) अहमदाबाद-गांधीनगर क्षेत्रः 52 पैसे/केडब्ल्यूएच ii) सूरत क्षेत्रः 73.65पैसे/केडब्ल्यूएच	प्रतिसहायिकी के लिए कार्यविधि टैरिफ नीति के अनुसार अपनाई गई ।

4.	एचईआरसी	यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवएनएल	एचटी = 72 रेल = 75 थोक प्रदाय = 78 स्ट्रीट लाइटिंग = 30	प्रदाय की लागत और टैरिफ के बीच अन्तर
5.	एचपीईआरसी	एचपीएसईबी लि.	वि.वर्ष 2010-11 के लिए (रू./यूनिट) क) एलएसईएचटी प्रवर्ग के लिए प्रतिसहायिकी अधिभारः 0.20 ख) एलएसएचटी प्रवर्ग के लिए प्रतिसहायिकी अधिभारः शून्य ग) बीएसएचटी प्रवर्क के लिए प्रतिसहायिकी अधिभारः शून्य	कार्य विधि, एचपीईआरसी (प्रति सहायिकी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार और प्रतिसहायिकी समापन) विनियम, 2006 के अनुसार अपनाई गई ।
6.	जेएसईआरसी	जेएसईवी	एचटीएस 33 केवी (100केवीए से अधिक)- प्रतियूनिट 0.47 रू. एचटीएस 132केवी (100केवीए से अधिक)- प्रतियूनिट 0.38रू.	प्रदाय की औसत लागत के संबंध में संगणित ।
7.	जे एंड के एसईआरसी	जेकेपीडीडी	कोई अधिभार उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा ।	
8.	केईआरसी	बेस्कॉम जेस्कॉम हेस्कॉम मेस्कॉम सीईएससी	सभी एस्कोमों में अधिभार शून्य कर दिया गया ।	----
9.	जेईआरसी (एम एंड एम)	1. पी और ई विभाग, मिजोरम 2. विद्युत विभाग, मणिपुर	अभी अवधारित नहीं ।	

10.	एमपीईआरसी	एम.पी. मध्य क्षेत्र वीवीसीएल एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	तारीख 3.3.2011 के विस्तृत आदेश के अनुसार (उदाहरण के लिए 132केवी उद्योग के लिए 28 पैसे/यूनिट और 132केवी रेल के लिए 46पैसे/यूनिट) (आदेश की प्रति संलग्न)	टैरिफ नीति के अनुसार
11.	एमईआरसी	एमएसईडीसीएल, टीपीसी-डी और आर इन्फ्रा-डी	शून्य टैरिफ नीति सूत्र के अनुसार कतिपय पूर्वानुमानों के साथ । टिप्पणः आयोग ने 1 एमडब्ल्यू और अधिक के निर्बाध पंहुच पर अध्ययन प्रारम्भ किया है और निर्बाध पहुंच विनियम के प्रारूपण के समय उस पर विचार किया गया था । 2011 के मामला सं. 43 में एमएसईडीसीएल ने प्रतिसहायिकी अधिभार के अवधारण और ऐसे उपभोक्ता और/या व्यक्ति से जिन्हें निर्बाध पहुंच प्रदान की गई है, वसूल किए जाने वाले व्हीलिंग प्रभार पर अतिरिक्त अधिभार के अवधारण मामले में पुनर्विलोकन की ईप्सा करते हुए एक याचिका फाइल की थी । आयोग प्रतिसहायकी अधिभार के पुनः अवधारण की प्रक्रिया में है ।	
12.	पीसीईआरसी	पीएसपीसीएल	शून्य	टैरिफ नीति में दिए गए सूत्र के अनुसार
13.	टीईआरसी	टीएसईसीएल	कोई अंतःराज्य निर्बाध पहुंच प्रवर्तन में नहीं है । जब कभी अपेक्षित होगा, इस प्रकार के प्रभार की संगणना की जाएगी ।	
14.	यूईआरसी	यूपीसीएल	38 पैसे/केडब्ल्यूएच	वि.वर्ष 2011-12, 19% पूल्ड और प्रणाली वितरण हानि निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं को लागू होगी ।
15.	यूपीईआरसी	- निर्बाध पहुंच अधिभार शून्य है । - वितरण और पारेषण विनियमों के अनुसार, आयोग ने वही सूत्र अपनाया है जो टैरिफ नीति में दिया गया है ।		

7. अधिशेष नियंत्रित उत्पादन को काम में लाना

टैरिफ नीति में उपबंध

6.3 नियंत्रित उत्पादन को काम में लाना

नियंत्रित उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण साधन है । समुचित आयोग को ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे नियंत्रित बिजली प्लांट ग्रिड से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित हों । ऐसे नियंत्रित प्लांट, उत्पादन कंपनियों के लिए यथा लागू सदृश विनियम के अध्यधीन ग्रिड में अधिशेष बिजली डाल सकते हैं।

.....

एसईआरसी द्वारा व्हीलिंग प्रभार व अन्य निबंधन व शर्तें यह सुनिश्चित करते हुए पहले ही निर्धारित की जानी चाहिए कि प्रभार युक्तियुक्त और उचित हैं ।

1. सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा संविदागत मांग में कमी के लिए कोई दण्ड नहीं होना चाहिए ।
2. सामानांतर प्रचालन प्रभारों/ग्रिड सहायता प्रभारों की उगाही का बहुत कम औचित्य होने को ध्यान में रखते हुए, इन प्रभारों को न्यूनतम स्तर पर रखा जाना है ।
3. कोई न्यूनतम गांरटी नहीं होनी चाहिए ।
4. प्रारंभिक /वैकल्पिक बिजली के प्रभार वाजिब होने चाहिए और ये प्रभार अस्थायी कनेक्शन के लिए निर्धारित प्रभारों से अधिक नहीं होने चाहिए ।

क्र.सं.	एसईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा संविदागत मांग की कमी के लिए दण्ड	सामानांतर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायता प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	प्रारंभिक/ वैकल्पिक प्रभार	व्हीलिंग प्रभार
1.	एईआरसी	उपभोक्ता की मांग के अनुसार नियंत्रित उत्पादकों को ऊर्जा प्रभारों के बदले प्रचालन के लिए अनुज्ञात किया गया है ।				
2.	सीएसईआरसी	शून्य	नियंत्रित और गैरनियंत्रित भार पर प्रति केवीए 21/रू	शून्य	आरंभिक विद्युत 150रू/केवीए /मास और 3.20रू./ केडब्ल्यूएच वैकल्पिक प्रभारः लागू नहीं होगा	(i) 60% माल के रूप में, जिसे 33 केवी पर ऊर्जा निवेश में से काट लिया जाएगा (ii) 17 पैसे/केडब्ल्यू एच

3.	जीईआरसी	कोई दण्ड नहीं				
4.	एचईआरसी	अवधारित नहीं	अवधारित नहीं	संलग्न तालिका के अनुसार एमएमसी	सुसंगत उपभोक्ता के प्रवर्ग अस्थाई कनक्शन को लागू टैरिफ	46 पैसे/केडब्ल्यू एच
5.	जेएसईआरसी	शून्य	शून्य	—	ऊर्जा प्रभारः वैकल्पिक मांग के समतुल्य ऊर्जा के लिए तत्स्थानी वोल्टेज और मांग पर एचटी उपभोक्ता ऊर्जा प्रभारों 1.5 गुणा (या समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट आयोग के आदेशानुसार) नियत प्रभारः 35केवीए/मास उपयोग प्रभारः संविदागत वैकल्पिक मांग के लिए तत्स्थानी वोल्टेज और मांग पर समानुपातिक एचटी औद्योगिक उपभोक्ता संविदा मांग टैरिफ (या समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट आयोग के आदेशानुसार) । समानुपात, उपयोग के आधार पर किया जाएगा ।	15.6 पैसे प्रति यूनिट
6.	जे एंड के एसईआरसी	राज्य में कोई अधिशेष नियंत्रित विद्युत उत्पादन उपलब्ध नहीं है । इसके अलावा, राज्य में नियंत्रित विद्युत संयंत्र डीजल द्वारा चलाए जाने वाले हैं जो एक किफायती विकल्प नहीं हो सकता ।				

7.	केईआरसी	यूआई दरों से सम्बद्ध दरें विनिर्दिष्ट करके राज्य में सीपीपी से अधिशेष नियंत्रित विद्युत को काम में लाने के लिए केईआरसी ने आदेश जारी किए हैं । केईआरसी ने सीडी में कमी, समानांतर प्रचालन प्रभार, न्यूनतम गारंटी प्रभारों आदि के लिए कोई दंड विहित नहीं किया है ।			
8.	जेईआरसी (एम एंड एम)	अभी अवधारित नहीं । इस समय कोई नियंत्रित उत्पादन नहीं है ।			
9.	एमपीईआरसी	कोई दंड नहीं	अध्ययन का संचालन ईआरडीए के माध्यम से किया जा रहा है ।	सीपीपी के रूप में शून्य । (उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम प्रभार प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार)	वचनबद्धता प्रभार 132केवी- 25रू./केवीए/मास 33केवी- 31रू./केवीए/मास अस्थाई कनक्शन प्रभार (वर्तमान में सामान्य प्रभारों का 1.3 गुणा) वैकल्पिक विद्युत का उपयोग करने के मामले में नियत और ऊर्जा प्रभार के लिए लागू ।
10.	एमईआरसी	नहीं	— नहीं	*20रू./ केवीए/मास	डिस्कोम / वोल्टेज स्तर / रू./ केडब्ल्यूएच एमएसई / 33केवी / 0.04 डीसीएल / 22केवी/ 11केवी / 0.21 / एलटी स्तर / 0.36 टीपीसीडी / एचटी स्तर / 0.19 / एलटी स्तर / 0.38 आर इन्फ्रा डी / एचटी स्तर / 0.46 / एलटी स्तर / 0.88 —————————— बीईएसटी** / — / —

			1. एमएसडीसीएल- 2009 के मामला सं. 111 में 12 सितम्बर, 2010 के आदेश का खंड 5.6 * 2009 का मामला प्रष्ठ 253 2. टीपीसीडी- 2009 के मामला सं. 98 में 12 सितम्बर, 2010 के आदेश का खंड 6.7 3. आर इन्फ्रा डी -2009 के मामला सं. 121 में 22 जुलाई, 2009 के स्पष्टीकारक आदेश का पृष्ठ 4. ** बीएसटी– बीईएसीटी को मानवीय एटीई द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई है, और एम आईआरसी (वितरण निर्बाध पंहुच) विनियमों में भी बीईएसटी को विनिर्दिष्ट रूप से निर्बाध पंहुच विनियमों के कार्यक्षेत्र में छूट दी गई है ।			
11.	पीएसईआरसी	कोई दंड नहीं	कोई सामानांतर प्रचालन प्रभार नहीं हैं । तथापि कुल क्षमता में से अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के विक्रय के लिए उद्विष्ट क्षमता करके, पर प्रति केवीए 50 रू. की दर से एक बारगी अनुमति शुल्क ।	शून्य, तथापि टैरिफ की अनुसूची के अनुसार मासिक न्यूनतम प्रभार लागू है ।	2010-11 के दौरान एलएस सामान्य उद्योग के लिए लागू टैरिफ अर्थात् प्रति यूनिट 458 पैसे के अनुसार वचनबद्धता प्रभार के रूप में प्रतिमाह प्रति केवीए 20 रू. जिसे बिजली निकालने के बिल के तहत समायोजित किया जाएगा ।	i) दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहकों के लिए पारेषण व्हीलिंग प्रभार प्रति मेगावाट 5238 रू. (2010-11) ii) लघुअवधि निर्बाध पहुंच ग्राहकों के लिए पारेषण धन व्हीलिंग प्रभार-- वर्ष 2010-11 के लिए 3143रू./ मे.वाट /दिन iii) दूरी को

						ध्यान में लिए बिना राज्य ग्रिड में डाली गई ऊर्जा के 2% की दर से एनआरएसई परियोजनाओं से विद्युत की व्हीलिंग के लिए व्हीलिंग प्रभार ।
12.	टीईआरसी	ग्रिड में डाली जा सकने वाली नियंत्रित विद्युत के प्लांट त्रिपुरा में उपलब्ध नहीं हैं ।				
13.	यूईआरसी	शून्य	शून्य, तथापि, समकालिकता व अपेक्षित मानकों के अनुसार समकालिक उपस्कर व आयात/निर्यात मीटर प्रदान करने की जिम्मेदारी नियंत्रित विद्युत उत्पादकों की होगी ।	शून्य	अस्थायी प्रदाय हेतु अनुसूची के तहत विनिर्दिष्ट टैरिफ के अनुसार अर्थात् समुचित दर अनुसूची में प्रभार दर + उन दिनों जब तक प्रदाय लिया जाता है, के लिए न्यूनतम प्रभार व मांग प्रभार के साथ 25 प्रतिशत ।	मामला प्रति मामला आधार पर । किसी मामले की सूचना नहीं है ।
14.	यूपीईआरसी	कोई दंड नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	टैरिफ आदेश के अनुसार

V. संक्षिप्त अक्षरों की सूची

क्र.सं.	संक्षिप्त अक्षर	ब्यौरा
1.	एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद्
2.	एसईबी	राज्य विद्युत बोर्ड
3.	ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
4.	ईए	विद्युत अधिनियम
5.	सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
6.	एमएसई आरसी	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग
7.	जेईआरसी-एम एण्ड एम	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग-मणिपुर और मिजोरम
8.	जेईआरसी-यूटी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग-संघ राज्यक्षेत्र
9.	एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
10.	एमओपी	विद्युत मंत्रालय
11.	एफओआर	विनियामकों का फोरम
12.	एसओपी	कार्य-पालन के मानक
13.	डीएफ	वितरण फ्रेंचाइजी
14.	आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
15.	एनएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
16.	आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र
17.	आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
18.	आरओई	ईक्विटी पर लाभ
19.	डीएसएम	मांग पक्ष प्रबंधन
20.	एनपीटीआई	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
21.	सीजीआरएफ	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
22.	एनएलएस यूआई	भारत का राष्ट्रीय विधि विद्यालय-विश्वविद्यालय
23.	सीएजी	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
24.	आरएमएस डीपी	नियमित बहुराज्य डीएसएम कार्यक्रम
25.	बीईई	ऊर्जा क्षमता ब्यूरो
26.	सीयूएफ	क्षमता उपयोग कारक
27.	एमएनआरई	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
28.	एसईजेड	विशेष आर्थिक जोन

29.	एटी एण्ड सी हानि	सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां
30.	टीओडी	दिन का समय
31.	एपीटीईएल	विद्युत अपील अधिकरण
32.	एमएसएम	राष्ट्रीय सौर मिशन
33.	सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
34.	पीपीए	विद्युत क्रय करार
35.	एसईईपीजेड	सेंटाक्रूज इलेक्ट्रानिक निर्यात प्रसंस्करण जोन
36.	बीएलवाई	बचत लेंप योजना
37.	डिस्कोमस	वितरण कंपनी
38.	एआरआर	वार्षिक राजस्व अपेक्षा
39.	एलटीए	दीर्घ अवधि पहुंच
40.	एमटीओए	मध्यम अवधि निबार्ध पहुंच
41.	सीएनसीई	नियंत्रित और गैर-परंपरागत ऊर्जा
42.	एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन
43.	यूपीएसई आरसी	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
44.	एपीजीसीएल	असम विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
45.	एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
46.	एसएचपी	लघु हाइड्रो पावर
47.	पीएसपीसीएल	पंजाब राज्य पावर कारपोरशन लिमिटेड
48.	पीएसटीसीएल	पंजाब राज्य पारेषण निगम लिमिटेड
49.	सीपीपी	नियंत्रित विद्युत संयंत्र
50.	केपीटीसीएल	कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड
51.	बीएएससी ओएम	बंगलोर विद्युत प्रदाय कंपनी लिमिटेड
52.	एमईएससीओ एम	मंगलोर विद्युत प्रदाय कंपनी लिमिटेड
53.	सीईएससी	कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम
54.	एचईएससी ओएम	हुबली विद्युत प्रदाय कंपनी लिमिटेड
55.	जीईएससी ओएम	गुलबर्ग विद्युत प्रदाय कंपनी लिमिटेड
56.	एफपीपीसीए	ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन
57.	टीएसईसीएल	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
58.	आरवीपीएन एल	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लिमिटेड
59	आई एस टी एस	अंतःराज्यिक पारेषण योजनाएं

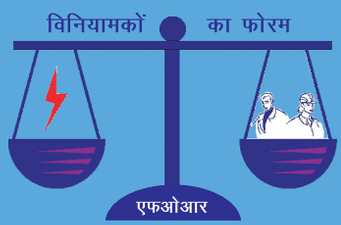

विनियामकों का फोरम

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

3rd & 4th Floor, Chanderlok Building, 36 Janpath, New Delhi-110001
Telephone : +91 11 23753920 Fax : +91 11 23752958
Website : forumofregulators.gov.in